इस्लाम
और
मुस्लिम समाज का परिचय

लेखक
मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी
(प्राध्यापक नदवा कालेज व अध्यक्ष जमीअ़त पयामे अम्न, लखनऊ)

प्रकाशक
जमअ़ीयत पयामे अम्न
नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ-20 (यू०पी०) इण्डिया

© सर्वाधिकार सुरक्षित

नाम-	इस्लाम और मुस्लिम समाज का परिचय
लेखक-	मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी
संस्करण हिन्दी-	प्रथम
पुस्तक संख्या-	1000
वर्ष-	2023
मूल्य-	80 रु०
कम्पोज़िंग-	इरफ़ान अह़मद
प्रकाशक-	जमअ़ीयत पयामे अम्न, नदवा रोड डालीगंज, लखनऊ-20 (यू०पी०) इण्डिया

Publisher	:	Maktaba Payam-e-Amn Nadwa Road, Daliganj, Lucknow (U.P.) India
Writer	:	Mohd Sarwar Farooqui Nadwi (Acharya)
Website	:	www.islamicjpamn.org
Mobile	:	0091– 9919042879, 9984490150
E–Mail	:	maktaba.pyameamnlko@gmail.com siddiquilko@yahoo.com

मिलने के पते

1. मजलिस तह़क़ीक़ात व नशरियात, नद्‌वतुल उ़लमा, पोस्ट बाक्स नं० 119 (लखनऊ) (0522–2741529)
2. न्यू सिल्वर बुक एजेन्सी, 14, मुहम्मद अ़ली रोड, भिन्डी बाज़ार, मुम्बई (0522–2741539)
3. अल् फ़ुरक़ान बुक डिपो, नज़ीराबाद-31 (लखनऊ) (9936635816)
4. मकतबः शबाब जदीद, नदवा रोड, लखनऊ (9198621671)
5. न्यू वाटर टैंक, बंगरौली मोड़, बंगरौली ऊपरहार, प्रयागराज (9457904603)

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं०
प्रस्तावना	09
अ़रब देश के मक्का शहर की भौगोलिक स्थिति	11
अ़रब के रीति रिवाज	12
धार्मिक स्थिति	13
कअ़बः	13
कअ़बः का आकार	14
ज़मज़म	15
काहिन	15
ह़नीफ़	15
कुरैश के लोग	15
यहूदी	15
मसीही	16
अज्ञानता का काल	17
ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का संक्षिप्त जीवन	18
जन्म और शैशवकाल	18
कअ़बः का नव-निर्माण	19
हिरा की गुफा	20
सर्वप्रथम ईमान	20
विरोध	21
पहली हिज्रत	21
ह़ज़रत ख़दीजा की मृत्यु	21
ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का विवाह	22
मदीना की ओर हिज्रत	22
मदीना का जीवन	23
सन्धि	23
बद्र का युद्ध	24
उ़हद का युद्ध	24
यहूदियों का निकाला जाना	25

विषय	पृष्ठ सं०
ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का समकालीन राजाओं से पत्र व्यवहार	25
हुदैबिया की संधि	26
मक्का विजय	26
हुनैन का युद्ध	27
तबूक की लड़ाई	27
नजरान के मसीहियों का शिष्टमंडल	28
अन्तिम ह़ज सन् 632 ई०	28
बीमारी और मृत्यु	29
ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का चरित्र	30
इस्लाम का अर्थ	33
इस्लाम धर्म के संस्थापक	33
इस्लाम विभिन्न भाषाओं में	34
मुसलमान या मुस्लिम	35
इस्लाम धर्म की मूल आस्थाएँ	36
शरीअ़त या विधि शास्त्र के स्रोत	38
विधि शास्त्र का प्रथम स्रोत (कु़र्आन मजीद)	39
कु़र्आन का परिचय	40
कु़र्आन का विवरण तथा अध्याय	40
वर्ण शैली एवं भाषा	41
कु़र्आन का संकलन	41
अल्लाह का आदि वचन	42
ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के बाद संकलन का कार्य	42
उच्चारण की विधि	43
वह़्य का अर्थ	44
कु़र्आन एक अद्‌भुत मोअ़जिज़ा है	44
कु़र्आन की तफ़्सीर (टीका)	45
सूरतों का काल, देश, क्रम, अवतरण	46
कु़र्आन की विषय सामग्री	48
इस्लामी शरीअ़त का द्वितीय स्रोत ह़दीस	49
ह़दीस का अर्थ	49
सुन्नत का सम्मान एवं आदर	50
ह़दीसों का महत्व एवं आवश्यकता	50

विषय पृष्ठ सं०

हदीस के अंग 51
हदीसों का मेअ़यार 52
हदीसों की तद्वीन (खोज) 53
हदीसों के विभिन्न स्तर 54
हदीसकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ 56
क़ुर्आन और हदीस में अन्तर 58
इस्लामी शरीअ़त का तीसरा स्रोत (इज्माअ़) 59
इज्तिहाद 59
चार मुजतहिद 59
चार इमामों की जीवनी 61
इस्लामी शरीअ़त का चौथा स्रोत 'क़ियास' 64
इस्लाम के मूल विश्वास (ईमान) 66
ईमान और मुक्ति (निजात) 66
ईमान के प्रकार 67
अल्लाह पर ईमान 68
अल्लाह के विभिन्न नाम 70
फ़रिश्तो (स्वर्गदूतों पर ईमान) 71
चार विशिष्ट फ़रिश्ते 72
हारूत और मारूत 73
शैतान और जिन्न 74
अल्लाह की किताबों पर ईमान 75
लौहे महफ़ूज़ (सुरक्षित पट्टिका) 76
रसूलों और नबियों पर ईमान 77
रसूल का अर्थ 77
पैग़म्बरों के सद्गुण 78
आख़िरत (परलोक) पर ईमान 80
इल्लीयीन 80
अ़ज़ाबे क़ब्र (क़ब्र में दुख और तक्लीफ़) 80
क़ियामत 81
क़ियामत से पहले 82
क़ियामत के पहले की भविष्यवाणियाँ 82
दज्जाल का प्रकट होना 83
इमाम मेंहदी का प्रकट होना 83

विषय पृष्ठ सं०

याजूज और माजूज का निकलना 83
हज़रत ईसा का पुनः आगमन 83
दण्ड एवं पुरस्कार 84
तराज़ू मीज़ान 84
पुल सिरात 85
हौज़ (कुण्ड) 85
स्वर्ग और नरक का विवरण 85
तक़्दीर (क़िस्मत, भाग्य) पर ईमान 87
तक़्दीर की मान्यता 88
सवाब व गुनाह (पुण्य और पाप) 88
कुफ़्र 88
मुश्रिक (अनेकेश्वरवादी या बहुदेववादी) 88
तौबा 89
कर्तव्य 90
वर्जित कर्म 91
इस्लाम के पाँच स्तम्भ 92
कलिमा तौहीद 92
नमाज़ (सलात) 93
अज़ान 93
वुज़ू 94
तयम्मुम 94
मस्जिद 95
इमाम 95
तक्बीर 95
क़िब्ला 96
जुमअ़ की नमाज़ 96
ख़ुत्बा 96
ईदगाह 96
नमाज़-ए-तरावीह़ 97
रमज़ान का महत्व 97
रोज़ा का अर्थ और सामान्य नियम 97
इफ़्तार 98
सहरी 98

विषय	पृष्ठ सं०
रमज़ान का महत्व	98
ज़कात	98
ज़कात के अधिकारी	99
सद्क़-ए-फ़ित्र	99
हज	99
एहराम	100
हज की विधियाँ	100
कअ़बः की परिक्रमा (तवाफ़-ए-कअ़बः)	100
ज़मज़म का पानी	100
सफ़ा और मरवा के मध्य दौड़ना	100
शैतान पर कंकरियाँ फेंकना	101
क़ुर्बानी करना (बलि देना)	101
सिर मुँडवाना	101
उ़मरह	101
हाजी	101
इस्लामी त्योहार	101

भाग-2 ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन अथवा इस्लाम के प्रारम्भिक ख़लीफ़ा

ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन	106
ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन का अर्थ और उनके कर्तव्य	106
ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन का संक्षिप्त परिचय	107
पहले ख़लीफ़ा हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) (632 से 664 ई०)	107
उपलब्धियाँ	108
सादा जीवन	108
दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत उ़मर फ़ारूक़ (634 से 644 ई०)	108
तीसरे ख़लीफ़ा हज़रत उसमान (644 से 656 ई०)	109
चौथे ख़लीफ़ा हज़रत अ़ली (656 से 661 ई०)	110
ख़ारिजियों का फ़तवा	111
ख़िलाफ़त बनी उमय्या (661 से 750 ई०)	111
हज़रत मुआ़विया (रज़ि०) की ख़िलाफ़त (661 से 681 ई०)	112
हज़रत इमान हुसैन (रज़ि०) की शहादत	112
ख़ुलफ़ा-ए-बनी अ़ब्बासिया (750 से सन् 1258)	113

भाग-3 महत्वपूर्ण इस्लामी समाज सुधारक

महत्वपूर्ण इस्लामी समाज सुधारक	115

भाग-4 मुस्लिम फ़िर्के

मुस्लिम फ़िर्के	122
शियों के फ़िर्के	125
शिया समुदाय के विश्वास	127
ख़ोजा मुसलमान	130
ख़ोजा के धार्मिक विश्वास	131
जमात ख़ाना	132
सुखरीति	133
रोज़ा	133
हज	134
ज़कात	134
मरने के बाद	134
त्योहार	134
बोहरा	135
धार्मिक गुरु	135
बोहरों के धार्मिक रीति-रिवाज	138
बोहरों की धार्मिक पुस्तकें	140
मुस्लिम धर्मदर्शन के प्रमुख सम्प्रदाय	142
मुस्लिम दार्शनिकों के दो बड़े समुदाय	148

भाग-5 सूफ़ीवाद या तसव्वुफ़

सूफ़ीवाद या तसव्वुफ़	150
सूफ़ियों के घराने या परम्पराएँ	150

प्रस्तावना

بسم الله الرحمن الرحيم

इन्सान हर दौर में सोचता रहा है कि वह क्या है? कैसे और क्यों पैदा हुआ है? मरने के बाद उस के साथ क्या होता है? जिस दुनिया में वह जीवन व्यतीत कर रहा है उसे किसने बनाया? जिस ज़मीन पर वह खाता और पीता है और जिस आसमान के नीचे वह सांस लेता है और संसाधनों को वह काम में लाता है उन सब चीज़ों को किसने बनाया? क्या वह सब चीज़ें हमेशा से इसी तरह़ हैं या किसी विशेष समय पर इस की उत्पत्ति हुई। यदि इनकी उत्पत्ति किसी विशेष समय पर हुई थी तो क्या संयोग से हुआ था या किसी तय योजना से किया गया था।

यह वह प्रश्न हैं जो मानव इतिह़ास में हर युग में उठते रहे हैं और हर युग के बुद्धिजीवी और विचारक दार्शनिक धर्मशास्त्री और पैग़म्बर इनका उत्तर देते रहे हैं। इन में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका हमारे ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है और यह स्पष्ट है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और अवलोकन के आधार पर उन सभी का शत-प्रतिशत सही उत्तर नहीं दे सकता।

इस का उत्तर हमें पैग़म्बरों के माध्यम से मिलता है जिस में सबसे पहले पैग़म्बर ह़ज़रत आदम (अ़लै०) ने दिया, उन्होंने बताया कि इस धरती का मालिक अल्लाह है और उसने इन्सानों को आदेश दिया है कि वह उसकी इच्छानुसार जीवनयापन करते हुए इस धरती पर शाँति की स्थापना करे और हर व्यक्ति के मरने के बाद उसे अपना लेखा जोखा देना होगा, यही इस्लाम का मूल है।

फिर यही बात सभी ईशदूतों ने अपनी-अपनी भाषा में कहीं और अन्त में ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने बताया कि मैं किसी नये धर्म की स्थापना के लिए नहीं आया हूँ बल्कि जिस इस्लाम धर्म की शुरुआ़त ह़ज़रत आदम (अ़लै०) ने की थी मुझे उस को पूर्ण करने के लिए अन्तिम ईशदूत या पैग़म्बर बनाकर भेजा गया है।

इस प्रकार इस पुस्तक के भाग-एक में इस्लाम और मुस्लिम की परिभाषा,

इस्लाम के मूल स्रोत, ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का संक्षिप्त जीवन, क़ुर्आन का परिचय, इस्लाम धर्म की मूल आस्थाएँ, आधारशिला, क़ुर्आन का परिचय, ह़दीस, सुन्नत, इज्माअ़ और क़ियास का परिचय ह़दीसकारों की संक्षिप्त जीवनीयाँ, चारो इमामों की जीवनी, ईमान के प्रकार, फ़रिश्ते, शैतान, जिन्न, आख़िरत (परलोक) क़ियामत और क़ियामत से पहले की भविष्यवाणियाँ, दज्जाल, इमाम मेंहदी, याजूज माजूज, ह़ज़रत ईसा (अ़लै०) का आगमन, दण्ड एवं पुरस्कार, पुल सिरात, ह़ौज़, स्वर्ग और नरक, तक़्दीर, कुफ़्र व शिर्क आदि के साथ इस्लाम के पाँच स्तम्भ, कलिमा, नमाज़, रोज़ा, ह़ज और ज़कात के साथ अज़ान, वुज़ू, तयम्मुम, मस्जिद, इमाम क़िब्ला, जुमअ़, ख़ुत्बा, ईदगाह, तरावीह, इफ़्तार, सह़री, रमज़ान, सद्क़-ए-फ़ित्र, कअ़बः, ज़मज़म, क़ुर्बानी, उ़मरह, ह़ाजी और इस्लामी त्योहार का विस्तारपूर्वक वर्णन है।

इसी प्रकार भाग-2 में ख़ुलफ़-ए-राशिदीन और चारों ख़लीफ़ा की जीवनी, इमाम ह़ुसैन की शहादत, ख़िलाफ़त बनी उमय्या व बनी अ़ब्बास और ख़ारिजियों का परिचय और भाग-3 में कुछ महत्वपूर्ण इस्लामी समाज सुधारक जैसे शेख़ अह़मद सरहिन्दी, शाह वलीउल्लाह, सय्यद अह़मद बरेलवी, मौलाना इस्माईल शहीद, मौलवी करामत अली जौनपुरी, सय्यद जमालउद्दीन अफ़गानी, मौलाना शिब्ली नोमानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल अ़ली मौदूदी, मौलाना इलियास का परिचय करवाया गया है और भाग-4 में कुछ मुस्लिम फ़िर्क़े जैसे शिया समुदाय के विश्वास, उनके फ़िर्क़े (सम्प्रदाय) खोजा और उनके धार्मिक विश्वास, बोहरा और मुस्लिम धर्म दर्शन के प्रमुख सम्प्रदाय जैसे-क़ादरिया, मोतज़ला, अशअरिया कर परिचय और भाग-5 में सूफ़ीवाद या तसव्वुफ़ के पाँच घराने जैसे- चिश्ती, सुहरवर्दी, क़ादिरी, सत्तारी, नक़्शबन्दी आदि का वर्णन है।

इस प्रकार यह पुस्तक इस्लाम को समझने वालों के लिए सहायक होगी और तमाम इन्सानों की हिदायत का माध्यम बन सकती है।

मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी
(प्राध्यापक दारुल उलूम नद्वतुल उ़लमा, लखनऊ)

03 सितम्बर 2021 ई०

بسم الله الرحمن الرحيم

अ़रब देश के मक्का शहर की भौगोलिक स्थिति

अ़रब देश में ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का जन्म हुआ। यह भूभाग पश्चिमी एशिया में है। जो मिस्र देश के दक्षिणपूर्व में 'लाल सागर' के पूर्व में स्थित है, आजकल इसे सऊदी अ़रब कहते हैं। इस्लाम में इस देश के मक्का शहर का विशेष महत्व है, इसी देश के मक्का शहर में ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का जन्म हुआ। उनकी जीवन-यात्रा भी इसी देश में हुई, इस भूभाग को 'जज़ीरतुल् अ़रब' भी कहा जाता है। कारण यह है कि इसके तीन ओर समुद्र उत्तर की ओर निर्जन मरुस्थल है। एशिया, अफ़्रीका और यूरोप महादीपों के मध्य स्थित होने के कारण इस देश का बड़ा महत्व है, इसलिए यह संसार की नाभि के समान है। इसका क्षेत्रफल लगभग दस लाख वर्गमील में फैला हुआ है।

इस देश के रहने वाले अपने आप को ह़ज़रत इस्माईल की संतान कहते थे। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के जन्म के पूर्व इस देश में बद्दू क़बीलों के लोगों की बहुसंख्या थी, वह लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, वह प्रायः तम्बुओं में रहते थे, भेड़-बकरी, ऊँट-घोड़े पालते थे, उन्हें शिकार का शौक़ था। कुछ बद्दू क़बीले नगरों और गाँवों में स्थायी निवास करने लगे थे। इन क़बीलों के अतिरिक्त यहूदी लोग भी इस देश में बसे हुए थे, दक्षिण भाग में हब्शी रहते थे। अ़रब के उत्तरी और दक्षिणी भागों पर दूसरी जातियों का शासन था, परन्तु केन्द्रीय भाग बाह्य प्रभाव से सर्वथा मुक्त था।

इस देश के दक्षिणी प्रांत हरे भरे होने के कारण मनोरम थे और यह प्रांत स्थायी आबादी वाले प्रांत थे। अरबिस्तान के शेष भाग में बद्दू क़बीले रहते थे और यह भाग इनकी आपसी लड़ाइयों का क्षेत्र था।

नगरों में रहने वाले बद्दू लोग प्रायः व्यापार धन्धा करते थे। व्यापार में

यहूदी लोग इन सब क़बीलों से बढ़कर सम्पन्न थे। कुछ लोग छोटे-मोटे धंधे करके अपना पेट पालते थे, कुछ लोग मज़दूरी करके अपना पेट भरते थे। मक्का, तायफ़, यस्रिब नगर अ़रब के बड़े नगर थे। मक्का में लोग व्यापार एवं यात्रा के उद्देश्य से आया करते थे और तीर्थ स्थान कअ़बः की परिक्रमा भी किया करते थे।

अ़रब में लोबान, गर्म मसाला, सोना, चाँदी और रेशम आदि का व्यापार होता था। इस देश का सब से बड़ा नगर मक्का व्यापार का बड़ा केन्द्र था। सब दिशाओं से काफ़िले और कारवाँ आते जाते रहते थे। सीरिया, मिस्र, हब्श (अबीसीनिया) ईराक़ और हिन्दुस्तान का माल मक्का के मार्ग से होकर गुजरा करता था, इसीलिए मक्का नगर एक प्रमुख व्यापार केन्द्र भी था।

अ़रब के रीति रिवाज-

अ़रब के निवासी विभिन्न क़बीलों में बँटे हुए थे। क़बीले का मुखिया शेख़ कहलाता था, उसका सम्मान करना और आदेश मानना क़बीले के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य था। निर्धन होते हुए भी यहाँ के लोग अतिथि-सत्कार को जातीय गौरव मानते थे, एक से अधिक पत्नी रखने का आ़म रिवाज था। पत्नियों के अतिरिक्त दासियाँ भी रखी जाती थीं, इन दासियों से भी संतान उत्पन्न करने की प्रथा थी। खून का बदला खून से लिया जाता था और बदले की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। हत्यारे से मूल्य लेकर उसे छोड़ भी दिया जाता था। इस प्रथा को 'क़िसास' कहते थे।

कुछ निम्न कोटि के क़बीलों में लड़कियों का जन्म होते ही उन्हें मार डाला जाता था अथवा उन्हें जीवित ही दफ़्न कर दिया जाता था। निर्धन लोग मुर्दा पशुओं का गोश्त भी खाते थे, जनता में शिक्षा का अभाव था, फिर भी लोगों में कविता, वाद-विवाद एवं किस्से कहानिया सुनने-सुनाने का शौक़ था। भाषण और शास्त्रार्थ भी प्रायः हुआ करते थे।

स्त्रियों से अच्छा बर्ताव किया जाता था, उन्हें जायदाद खरीदने और बेचने का अधिकार था। कुछ स्त्रियाँ व्यापार भी करती थीं और धनवान थीं। विवाह के मामलों में स्त्रियों से परामर्श किया जाता था। कुछ परिस्थितियों में स्त्री अपने पति को तलाक़ दे सकती थी।

धार्मिक स्थिति-

शिक्षा के अभाव के कारण सामान्यतः अ़रब के लोग अंधविश्वासी, मूर्ति पूजक एवं प्रकृति पूजक थे। यहूदी और मसीही धर्म के मानने वाले लोग यहाँ रहते थे, परन्तु इनका सामान्य लोगों पर अधिक प्रभाव न था। अ़रब देश के लोग अल्लाह शब्द से परिचित थे, फिर भी वे मूर्तियों की पूजा करते थे और उनको अपने तथा अल्लाह के बीच सिफारिश करने वाले मध्यस्थ मानते थे। मसीही एवं यहूदी स्रोतों से यह स्पष्ट होता है कि अल्लाह शब्द अ़रब में प्रचलित था। इस शब्द का अभिप्राय है एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस बात में भी सन्देह नहीं किया जा सकता कि इस शब्द से अ़रब के मूर्तिपूजक लोग परिचित थे, यदि वह लोग अ़रबी शब्द से परिचित न होते तो मक्का के लोगों के लिए क़ुर्आन शरीफ़ को समझना असम्भव होता। इसके अतिरिक्त शिलालेखों से भी हमें यह ज्ञात होता है कि सेमिटिक क़बीले भी एक अदृश्य सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को मानते थे, जिसे वह अल्लाह के नाम से पुकारते थे और अ़रब के लोग केवल यही नहीं जानते थे कि अल्लाह एक सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, परन्तु वह इस धारणा से भी परिचित थे कि अल्लाह ही एकमात्र परमेश्वर है।

कअ़बः-

मक्का में कअ़बः नामक एक भवन था, जिसकी परिक्रमा की जाती थी। दूर-दूर से लोग इस भवन के दर्शनार्थ आते थे, परम्परा से एक कथा चली आ रही है कि ह़ज़रत इब्राहीम ने स्वयं इस भवन को बनाया था और यह पहला अल्लाह का घर था, परन्तु अन्धविश्वासियों ने कअ़बः में 360 मूर्तियों की स्थापना कर दी। इसलिए अब यहाँ विभिन्न विश्वासों के लोग आकर आराधना करते थे। यहाँ साधारण जनता पत्थरों और चट्टानों को देवताओं का निवास स्थान मानकर उनकी पूजा किया करती थी।

सूर्य, चाँद और सितारों के साथ ही अन्य देवी देवताओं की पूजा ज़ोरों पर थी, लोग दुष्टात्माओं और जिन्नों से भय खाते थे और लात, मनात एवं उज्जा की पूजा की जाती थी, ये तीन देवियाँ अल्लाह की पुत्रियाँ मानी जाती

थीं। मक्का के रहने वालों ने कअ़बः में एक बड़ी मूर्ति स्थापित की थी, जिसे 'हुबल' कहते थे, इस मूर्ति को अन्य मूर्तियों का मुखिया माना जाता था, इस मूर्ति की अधिक अर्चना एवं पूजा होती थी।

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) से पूर्व भी मक्का को एक पवित्र नगर माना जाता था। मक्का में विभिन स्थानों से लोग यहाँ की यात्रा के लिए आया करते थे। 'ऊकाज़' नगर में प्रत्येक वर्ष एक बड़ा मेला होता था, उसमें सम्मिलित होना आम जनता के लिए आवश्यक था । इस मेले में शेअ़र व शायरी, जुवाँ मद्यपान बहुत होता था। जिन शेअ़रों (कविताओं) को लोग पसन्द करते थे, उनको कअ़बः की दीवारों पर लिख कर लट्का दिया जाता था, मूर्तियों का जुलूस निकाला जाता था, ऊँट, बकरी, आदि की बलि दी जाती थी और बलि में पशुओं का रक्त इन मूर्तियों पर चढ़ाया जाता था।

कअ़बः का आकार-

कअ़बः मक्का में एक भवन है, यह भवन चौकोर है। इस भवन के दक्षिणपूर्वी कोने में भूमि की सतह से लगभग पाँच फुट की ऊँचाई पर एक काला पत्थर दीवार में लगा हुआ है। इस पत्थर को अ़रबी भाषा में 'हज्र अस्वद' कहते हैं।

इस पत्थर के सम्बन्ध में यह मान्यता है कि ह़ज़रत आदम (अ़लै०) इसको स्वर्ग से अपने साथ लाए थे और इसे यहाँ रखा, लेकिन इस भवन को बाद में बनाने वाले ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लै०) थे और उन्होंने अपने पुत्र ह़ज़रत इस्माईल की सहायता से इस भवन का निर्माण किया था, परन्तु इस कअ़बः में अन्धविश्वासियों ने 360 मूर्तियों की स्थापना कर इसे बुत्ख़ाना बना दिया था।

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के पूर्व कअ़बः को बैतुल्लाह (अल्लाह का घर) माना जाता था और लोग दूर-दूर से इस भवन की परिक्रमा के लिए आया करते थे। आज भी कअ़बः मुसलमानों का सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्थान है, प्रतिवर्ष संसार के भिन्न-भिन्न स्थानो से लाखों मुस्लिम ह़ज करने के लिए यहाँ आते हैं। ह़ज करने वालों को ह़ाजी कहा जाता है। कअ़बः के काले पत्थर को पवित्र पत्थर माना जाता है।

ज़मज़म–

कअ़बः के निकट एक पवित्र कुआँ है, जिसे ज़मज़म का कुआँ कहते हैं। यह वह कुआँ है जो ह़ज़रत इस्माईल की प्यास बुझाने के लिए बीबी हाजूरा की दुआ़ के उत्तर में मरुस्थल में स्वयं ही उत्पन्न हो गया था। ह़ज के लिए मक्का आने वाले मुसलमान ज़मज़म के पानी को प्रसाद के तौर पर अपने साथ घर ले आते हैं और इसे पवित्र मानकर पीते हैं और अपने मित्रों एवं निकट सम्बन्धियों में बाँटते हैं।

काहिन–

यह लोग भविष्य वक्ता थे, यह जनता को धोखा देकर लोगों से रुपये पैसे ऐठते थे। काहिनों की भाषा काव्यमय और लचीली होती थी, जिसे सुनकर श्रोतागण मंत्रमुग्घ हो जाते थे।

ह़नीफ़–

यह वह लोग थे जो मूर्तिपूजकों की पूजा के उत्सवों में सम्मिलत नहीं होते थे। बद्दू मूर्तिपूजकों से ये लोग त्रस्त थे, यह लोग मूर्तिपूजा से घृणा करते थे और एक अल्लाह की पूजा तथा उसी की आराधना को उचित मानते थे। यह लोग प्रायः वह थे जो ह़ज़रत इब्राहीम के अनुयायी थे और इनको 'हनीफ' कहा जाता था। विद्वानों के अनुसार ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की प्रथम पत्नी बीबी ख़दीजा और उनके चचेरे भाई वर्का-बिन-नौफ़ल इसी समूह से सम्बन्ध रखते थे।

क़ुरैश के लोग–

मक्का के प्रतिष्ठित एवं सम्मानीय क़बीले का नाम बनू क़ुरैश था। लोग ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लै०) के बेटे ह़ज़रत इस्माईल के वंशज होने के नाते कअ़बः की देखभाल किया करते थे। फलस्वरूप इस क़बीले के लोगों को अ़रबों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) इसी क़बीले के सदस्य थे।

(क) यहूदी–

अ़रब के उत्तरी भाग में यहूदी लोग भी रहते थे। मक्का के निकट तायफ़

नामक नगर में यहूदी बस्ती थी। यहूदी विशेषकर मदीना और उसके आसपास के क्षेत्र में रहते थे। यहूदियों के अ़रबों के साथ आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध अवश्य थे, परन्तु धार्मिक विश्वासों में यह अ़रबों से अलग थे।

यहूदी प्रायः कृषि और व्यापार करते थे, इन सभागृहों में उनकी शिक्षा दीक्षा होती थी। यहूदियों के अपने गुरु होते थे, यहूदियों के पास अपनी किताब (धर्मशास्त्र) तौरेत थी, वह अपने धर्मशास्त्र को तौरात कहते थे। मसीही लोग उनके धर्मशास्त्र को पुराना नियम' कहते हैं, उनका धर्मशास्त्र इब्रानी भाषा में था।

इब्रानी धर्मशास्त्र का यूनानी अनुवाद ईसा पूर्व 132 में हो चुका था। तौरात में पंचग्रन्थ (उत्पत्ति, निर्गमन, लैव्यव्यवस्था, गिनती और व्यवस्था-विवरण) पुस्तकें गिनी जाती हैं। लेखों में काव्य (अय्यूब, ज़बूर, आदि) और नीतिग्रंथ सम्मिलत हैं।

यहूदियों के धर्म-शास्त्र में ह़ज़रत आदम (अ़लै०) नूह़, इब्राहीम, इस्ह़ाक़, इस्माईल, याक़ूब, यूसुफ़, अय्यूब, दाऊद, दानियाल आदि के क्रमबद्ध वर्णन पाये जाते हैं। यह ऐतिहासिक वर्णन और कथाएँ सैकड़ों वर्ष पहले से चली आ रही हैं। क़ुर्आन अ़रबों की अपेक्षा यहूदी लोग आचार व्यवहार में अच्छे थे, वह अ़रबों को मूर्तिपूजक और अनेक देवताओं के मानने वाले समझते थे।

(ग) मसीही–

अ़रब ऐसे देशों से घिरा हुआ था, जिनमें मसीहीयत का प्रभाव काफ़ी व्याप्त था। पश्चिम में एक मसीही राज्य था। अ़रब के दक्षिणी भाग भी मसीह़ी राज्य के अधीन थे। दक्षिणी भाग में नजरान नामक एक प्रगतिशील नगर था, जहाँ मसीह़ी क़बीले निवास करते थे। इन मसीह़ी क़बीलों का सीरिया की मसीही मंडली से घनिष्ठ सम्बन्ध था।

मसीह़ी भिक्षु, कवि और व्यापारी उ़क्काज़ मेले में भाग लेने जाया करते थे। इन में से कुछ शेअ़र व शायरी एवं वाद-विवाद में काफ़ी रुचि लेते थे। कुछ मसीह़ियों में उपवास और भिक्षु जीवन को एक ऊँचा स्थान दिया जाता था। कुछ मसीही वर्ग ऐसे भी थे जो 'ह़ज़रत मरयम' की आराधना करते थे और उन्हे मानते थे। मसीह़ियों का धर्मशास्त्र इंजील था। ईस्वीं सन् 396 तक (ह़ज़रत मुह़म्मद के जन्म के लगभग दो सौ वर्ष पूर्व) कार्थेज में कलीसिया की

सभा द्वारा स्वीकृत हो चुका था। यूनानी भाषा में यह धर्मशास्त्र उपलब्ध था।

क़ुर्आन मजीद में हज़रत ईसा का जो चित्रण हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि क़ुर्आन में ईसा मसीह़ की जीवनी तथा कार्य सम्बन्धी ज्ञान एवं प्रभाव उस समय लोगों में पर्याप्त मात्रा में था।

(3) अज्ञानता का काल–

इतिह़ासकार ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की नुबूवत से पूर्व के काल को अज्ञानता का काल मानते है, क्योंकि हजरत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) से पूर्व अ़रब के लोग अज्ञानी थे और कुफ़्र के अन्धकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।

❁❁❁

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का संक्षिप्त जीवन

'मुह़म्मद' अ़रबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 'स्तुति योग्य' (यानी प्रशंसा योग्य) ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) इस्लाम धर्म को सम्पूर्ण रूप देने वाले अल्लाह के भेजे हुए अन्तिम सन्देष्टा हैं अर्थात अल्लाह के अन्तिम रसूल हैं जिन्हें 'मुह़म्मदरसूलुल्लाह' कहा जाता है। इनका जीवन एक 'आदर्श जीवन' है, इसलिए तमाम मुसलमान इनके आदेशों का पालन करते हैं।

जन्म और शैशवकाल–

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का जन्म 20 अप्रैल सन् 560 ई० मक्का के एक प्रतिष्ठित क़बीले क़ुरैश में हुआ। आप के पिता का नाम ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह और माता का नाम आमिना था। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह कअ़बः की देख रेख करते थे, पुत्र के जन्म से पूर्व ही ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह का देहान्त हो चुका था। जब ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) केवल छः वर्ष के ही थे, तब आप की माता का देहान्त हो गया। इस प्रकार आप छोटी आयु में ही अनाथ हो गये, आप के दादा अ़ब्दुल मुत्तलिब ने पालन पोषण का भार अपने काँधों पर लिया, परन्तु ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) आठ वर्ष ही के हुए थे कि दादा का भी देहान्त हो गया, तब आप के चाचा हजरत अबूतालिब (ह़ज़रत अ़ली के पिता) आपके संरक्षक बने।

बारह वर्ष की आयु में ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने अपने चाचा की छत्र छाया में पहली यात्रा सीरिया की ओर की। आप बयान करते हैं कि इस यात्रा मे आप को एक मसीही भिक्षु मिला, जिसका नाम 'बुहैरा' था। 'बुहैरा' ने आप को देखकर यह भविष्यवाणी की थी कि यह एक श्रेष्ठ पद प्राप्त करेंगे।

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) अपनी ईमानदारी के कारण सभी लोगों में मान्य थे और लोग आप को अल् अमीन कह कर पुकारते थे। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने अपने बचपन के दो वर्ष 'बनू साद' में व्यतीत किये। आप बहुत

लोकप्रिय थे। आप कहा करते थे कि मैं नस्ल के लिहाज़ से क़ुरैशी हूँ मगर मेरी भाषा 'बनू साद' की भाषा है। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) निरक्षर थे, जब आप 25 वर्ष के हुए तो आपके चाचा ने क़ुरैशी क़बीले की एक सुप्रतिष्ठित विधवा हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से निकाह़ कर दिया। ख़दीजा व्यापार व्यवसाय में कुशल महिला थीं। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के व्यवहार और ईमानदारी से प्रभावित होकर हज़रत ख़दीजा ने हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को अपने व्यापारी काफ़िले का मुखिया बना कर सीरिया की ओर भेजा। इस व्यापारिक यात्रा को आपने बड़ी कुशलता से किया और सीरिया की यात्रा से उनके सकुशल लौटने पर ख़दीजा ने बहुत प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने की याचना की, जिसे आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

विवाह के समय हज़रत ख़दीजा की आयु चालीस वर्ष की थी और आप की आयु पच्चीस वर्ष की, परन्तु आप के साथ हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का विवाहित जीवन बहुत सुखमय रहा।

हज़रत ख़दीजा से दो पुत्र और चार पुत्रियाँ हुईं, परन्तु हज़रत फ़ातिमा के अतिरिक्त जो हज़रत अ़ली की पत्नी और हज़रत हसन और हुसैन की माता थीं, सब सन्तान आप के जीवन काल ही में ख़त्म हो गईं।

कअ़बः का नव-निर्माण-

कअ़बः का कुरैश के लोग पुनः निर्माण करना चाहते थे, जब दीवारें ऊपर उठी और काले पत्थर (संगे अस्वद) को दीवार में चुनने का समय आया तो विभिन्न दलों में इस समस्या पर विवाद खड़ा हो गया कि संगे अस्वद को उसके स्थान पर रखने का अधिकार किस दल का होना चाहिए। यह विवाद बढ़ते-बढ़ते युद्ध का रूप धारण करने वाला था कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की व्यवहारिक बुद्धिमत्ता ने युद्ध होने से बचा लिया। आपने एक चादर मँगवाई और संगे-अस्वद को उसके बीच में रखा और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वह सब मिलजुलकर चादर को चारों ओर से पकड़ लें और सामूहिक रूप से संगे अस्वद को उसके स्थान पर रख दें। सब दल आपकी इस सूझबूझ से प्रसन्न हो गए और लोकप्रिय हो गए। इस घटना के समय आपकी आयु 35

वर्ष की थी।

हिरा की गुफा-

एकान्त में परमेश्वर से प्रार्थना करना हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का स्वभाव था। आप प्रारम्भ से ही मूर्ति पूजा से दूर रहते थे और नगर से दूर हिरा नाम की पहाड़ी की एक गुफा में बैठकर एकान्त में अपने मालिक का चिन्तन किया करते थे। इसी गुफा में आपको अल्लाह की ओर से वह्य की गई, जिसे हज़रत जिब्राईल (अ़लै०) लेकर आए। यह सूरः 'अलू-अ़लक़' के प्रारम्भिक पदों के रूप में कलमबद्ध है। इस सूरः की प्रथम आयत का पहला शब्द 'इक़्रा' है जिसका अर्थ है 'पढ़'।

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की आयु जब 40 वर्ष की थी तब परमेश्वर की ओर से उन्हें अह्वान मिला। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के लिए यह एक अनोखा अनुभव था, परन्तु आपको इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया था कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की ओर से ही आप पर वह्य उतर रही है।

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के इन प्रारम्भिक अनुभवों में हज़रत ख़दीजा ने बहुत सांत्वना और सहानुभूति का मामला किया और आपको धीरज बँधाया। वह हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को अपने चचेरे भाई वर्का-बिन-नौफ़ल के पास ले कर गई। हज़रत वर्का-बिन-नौफ़ल ने हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के अनुभवों को सुनकर उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया कि उन पर अल्लाह की ओर से वह्य प्रकट होती है ठीक वैसे ही जैसे कि पूर्वकाल में पैगम्बरों पर होती आई है। फिर लगभग 3 वर्ष तक वह्य का आना बन्द हो गया।

यह काल हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के लिए एक चिन्ता एवं व्याकुलता का समय था, लेकिन 3 वर्ष पश्चात पुनः वह्य उतरने लगी। अब हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने एक प्रचारक के रूप में अल्लाह के सन्देश को मक्का के लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर दिया।

सर्वप्रथम ईमान-

सबसे पहले हज़रत ख़दीजा हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रिसालत पर ईमान (आस्था) या विश्वास लाईं तत्पश्चात हज़रत ज़ैद जो हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)

द्वारा मुक्त किये गये दास थे और हज़रत अ़ली जो हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के चचेरे भाई थे, आप के सन्देश पर ईमान लाए।

इस प्रकार तीन वर्ष के भीतर कुछ व्यक्तियों ने इस्लाम को ग्रहण कर लिया। मुसलमानों का यह दल मूर्तिपूजा से दूर रहता था और तन-मन से प्रयत्न करता था कि मक्का के लोग मूर्तिपूजा त्याग कर एक अल्लाह के उपासक बन जाएँ और उसी की आराधना करें तथा हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रिसालत पर ईमान लाएँ। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) स्वयं भी इस्लाम का प्रचार करने में तत्पर रहते थे और मक्का के लोगों में प्रचार करते और उन्हें ईश्वरीय सन्देश सुनाया करते थे, जो उन पर वह्य के रूप में आती थीं।

विरोध–

मक्का के लोग आप के विरोध में खड़े हो गए। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का सब से बड़ा विरोधी 'अबू लहब' (जो हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का रिश्तेदार था) और अबू जेहल था। यह दोनों अन्तिम समय तक हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और मुसलमानों का विरोध करते रहे तथा मक्का के लोगों को हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के विरुद्ध भड़काते रहे।

पहली हिजरत–

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अपने निकट सम्बन्धियों और मक्का के लोगों के विरोध एवं अत्याचारों से तंग आकर अपने साथियों को किसी दूसरे देश को प्रस्थान करने का परामर्श देने लगे और आप के कुछ साथी हब्शा देश की ओर प्रस्थान कर गए बाद में कुछ और लोग भी वहाँ चले गए और उनकी संख्या बढ़ गई। हब्शा या अबीसीनिया के मसीही राजा ने इस दल को अपने देश में रहने की अनुमति दे दी, जिस से उनको इस देश में सुख-चौन मिला। फिर यह लोग कुछ माह वहाँ रहकर वापस मक्का लौट आए। यह मुसलमानों की पहली हिजरत थी।

हज़रत ख़दीजा की मृत्यु–

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को 50 वर्ष की आयु में हज़रत ख़दीजा की मृत्यु

का दुख सहना पड़ा। एक ओर मक्का निवासियों का विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था और दूसरी ओर आप की प्रिय पत्नी की मृत्यु का दुःख। इस प्रकार यह हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के धैर्य तथा साहस की परीक्षा के दिन थे।

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का विवाह–

हज़रत ख़दीजा की मृत्यु के कुछ समय बाद हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने हज़रत सौदा से विवाह किया और फिर हज़रत आईशा से भी निकाह हुआ। हज़रत आ़ईशा आप के एक प्रिय मित्र हज़रत अबू बक्र की पुत्री थीं, तत्पश्चात और भी कई स्त्रियाँ आप के निकाह में आईं, जिन में सभी विधवा या तलाक़शुदा थीं।

मदीना की ओर हिजरत–

यह हिजरत सन् 622 ई० में हुई, इसे दूसरी हिजरत कहते हैं। मक्का एक तीर्थ-स्थान माना जाता था। यहाँ विभिन्न स्थानों से लोग कअ़बः के दर्शन के लिए आया करते थे। इनमें से यस्रिब (मदीना) के कुछ लोग जब मक्का आए और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से मिले तो वह हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रिसालत पर ईमान लाए। यह लोग जब वापस मदीना पहुँचे तो इन्होंने इस्लाम और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रिसालत का प्रचार आरम्भ कर दिया। जब कुरैश के लोगों को इसका पता चला तो वह हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का वध करने का षड़यंत्र रचने लगे। उधर जब मदीना के लोग अगले वर्ष पुनः यात्रा के लिए मक्का आए तो उन्होंने हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से अपनी निष्ठा प्रकट की और सौगन्ध लेते हुए यह प्रतिज्ञा की कि वे अपनी जान की बाज़ी लगा कर भी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के प्राणों की रक्षा करेंगे और इस पर दृढ़ रहेंगे।

कुरैश के लोगों के षड़यंत्र की आप को जानकारी थीं, इसलिए आपने अपने सम्बन्धियों के साथ मदीना की ओर हिजरत कर जाना ही उचित समझा, चुपके-चुपके बड़े धैर्य और शान्ति के साथ आप अपने निष्ठावान सम्बन्धियों और साथियों तथा उनके परिवारों को मदीना भेजते रहे और आप स्वयं मक्का में ही मौजूद रहे।

इधर बनू कुरैश ने आप को ख़त्म करने की योजना बना ली और आप

का घर घेर लिया ताकि आपकी हत्या कर दी जाए परन्तु परमेश्वर ने आप को वह्य के माध्यम से बता दिया कि आप के मारने की योजना बन चुकी है, इसलिए आप रात में घर से निकल गये। पहले एक गुफा (ग़ार-ए-सौर) में छिपे रहे, फिर अवसर पाकर मदीना की ओर प्रस्थान किया।

मक्का से मदीना की ओर आप के यात्रा की घटना हिजूरत के नाम से प्रसिद्ध है। इसी घटना से हिजूरी जन्त्री प्रारम्भ होती है।

मदीना का जीवन–

मदीना में पहुँच कर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने शान्ति का अनुभव किया और यहाँ नैतिक एवं शैक्षिक उन्नति की ओर ध्यान दिया। यहाँ आकर एक मस्जिद का निर्माण किया जहाँ मुसलमान एकत्रित हुआ करते थे और क़ुर्आन पढ़ते और दीन सीखते थे। मदीना में हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और उनके साथियों का स्वागत हुआ। मदीना में और उसके चारों ओर यहूदियों की घनी आबादी थी, यह लोग धनवान थे और उपजाऊ भूमि के स्वामी थे।

यहूदियों के अतिरिक्त मदीना में कुछ ऐसे भी लोग थे जो हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और उनकी रिसालत पर विश्वास रखते थे, परन्तु गुप्त रूप से विरोध करते थे। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) इनसे भली-भांति परिचित थे, जिन्हें मुनाफ़िक़ीन (कपटाचारी) कहा जाता है। यह लोग निष्ठावान नहीं थे और इनमें आपसी स्नेह का अभाव था। मदीना के वह लोग जो हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रिसालत पर ईमान लाए थे और मुसलमान हो गये थे, हर समय आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे, यह लोग अंसार कहलाते हैं। जो लोग हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के आने से पहले मक्का से मदीना पहुँच गए थे और जो हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथ या उनके बाद मक्का से मदीना आए वह लोग 'मुहाजिरीन' कहलाते हैं।

सन्धि–

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की आयु जिस समय 53 वर्ष की हो गई और मदीना में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुके तो यहाँ के लोगों ने आपको अपना

इस्लाम और मुस्लिम समाज का परिचय

मुखिया स्वीकार कर लिया। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने मदीना के लोगों से एक सन्धि कर ली जिसके अनुसार मदीना के लोगों का यह कर्तव्य था कि वह हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे और दुश्मनों का विरोध करेगें। इस संधि के अनुसार यहूदियों का यह कर्तव्य था कि जब कभी भी इनको सहायता की आवश्यकता होगी वह हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और मुसलमानो की सहायता करेंगे।

यहूदी घमण्डी थे, परन्तु परिस्थिति विशेष को देखते हुए विवश होकर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और उनके साथियों से इस प्रकार की सन्धि करने पर सहमत हो गए। थोड़े समय पश्चात यह सन्धि टूट गई और यहूदियों के मन में हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के प्रति जो द्वेष था वह प्रकट हो गया था जिसका परिणाम बहुत बुरा हुआ ।

यहूदी लोग हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को नबी और रसूल मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके विश्वास के अनुसार नबी केवल हज़रत इस्ह़ाक़ की वंश में हो सकते हैं और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) इस्ह़ाक़ के वंश से नहीं थे, यह हज़रत इस्माईल के वंश से थे।

बद्र का युद्ध–

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को मक्का से मदीना आए केवल दो वर्ष व्यतीत हुए थे कि कुरैश के लोगों ने मदीना पर आक्रमण कर दिया और बद्र नामक स्थान पर मुसलमानों और कुरैशियों का आमना-सामना हुआ, घमासान का युद्ध हुआ। यद्यपि मुसलमान संख्या में कम थे, परन्तु वह विजयी हुए और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के विरोधी भारी संख्या में हताहत हुए। कुरैश के लोगों की भारी आर्थिक क्षति भी हुई। उनमें से बहुत से सैनिक बन्दी भी बना लिये गए। शत्रुओं का जो माल मुसलमानों के हाथ आया उसे मुसलमानों में बाँट दिया गया। इस युद्ध से मुसलमानों का साहस बढ़ गया और उनके समक्ष विजय के द्वार खुल गए।

उ़हद का युद्ध–

कुरैश के लोग बद्र के युद्ध की पराजय का बदला लेने के लिए एक बड़ी

सेना लेकर मदीना की ओर बढ़े। नगर से तीन मील की दूरी से उ़हद नामक स्थान पर उन्होंने पड़ाव डाला। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) भी अपने साथियों को लेकर मदीना से निकले और उ़हद की ओर बढ़ने लगे। कुरैश के सेना की संख्या तीन हज़ार के लगभग थी और मुसलमान केवल एक तिहाई थे।

कुरैश के सेना की संख्या देखकर मुनाफ़िक़ीन ने ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का साथ छोड़ दिया और वापस चले गए। जब युद्ध जोरों पर चल रहा था तो कुरैश की सेना ने यह शोर मचा दिया कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मारे गए। यह सुनकर मुसलमानों में खलबली मच गई जिस से मुसलमानों को बहुत नुक़्सान उठाना पड़ा।

यहूदियों का निकाला जाना–

इसी काल में कुछ यहूदी कबीलों को उनकी बस्तियों से निकाल दिया गया और उनकी भूमि पर अधिकार कर लिया गया। कुछ समय पश्चात कुरैश के लोगों ने पुनः मदीना पर चढ़ाई की और उसे चारों ओर से घेर लिया। इस बार बहुत से यहूदी भी कुरैश की सेना के साथ हो गये थे।

हजरत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने एक ईरानी मुसलमान सल्मान फ़ारसी के परामर्श से मदीना के चारों ओर खाई खुद्वा दी। क़ुरैश की सेना एक मास तक घेरा डाले रही और फिर तंग आकर वहाँ से हट गई।

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का समकालीन राजाओं को पत्र–

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को मदीना में निवास करते हुए छः वर्ष हो गये थे। इस के बाद उन्होंने आस-पास के कुछ राजाओं को पत्र लिखकर उन्हें एक अल्लाह के मानने और रिसालते मुह़म्मदी पर ईमान लाने का परामर्श दिया। इतिहासकारों का विचार है कि यह पत्र 'कुस्तुन्तुनिया' के राजा, ईरान के राजा खुस्रो परवेज़, अबीसीनिया के राजा नज्जाशी और मिस्र के राजा मकौक़िस को भेजा गया। हिरक्ल, कुस्तुन्तनिया के राजा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, खुस्रो परवेज़ ने पत्र पढ़ कर फाड़ डाला।

अबीसीनिया के राजा ने पत्रवाहकों का स्वागत किया और पत्र को बड़े शौक़

से पढ़ा तथा ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और उनके के बारे में उनसे कई प्रश्न पूछे। मिस्र के ह़ाकिम ने पत्र के उत्तर में दो बांदियाँ ह़ज़रत मुह़म्मद की सेवा में रवाना कर दी, जिनमें से एक बांदी मसीही थी जिसका नाम मारिया था।

हुदैबिया की संधि–

हिज्रत के 7वें वर्ष में (628 ई०) ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने यहूदियों के एक और महत्वपूर्ण स्थान, ख़ैबर को फ़तेह़ किया और ख़ैबर विजय के पश्चात् ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अपने साथियों के साथ मक्का गए ताकि उ़मरह अदा कर सकें। (मक्का की इस यात्रा को जो ह़ज के महीने में न की जाए उसे उ़मरह कहते हैं।) मक्का के निवासियों ने मुसलमानों से हुदैबिया नामक स्थान पर एक संधि की, जिसके अनुसार मुसलमानों से यह तय हुआ कि आगामी वर्ष, तीन दिन तक मक्का की यात्रा कर सकते हैं। इस बात की भी संधि की गई कि आगामी 10 वर्ष तक दोनों पक्ष परस्पर आक्रमण नहीं करेंगें।

मुसलमान इस सन्धि से जो हुदैबिया की सन्धि कहलाती है, संतुष्ट हो गए और उ़मरह कर के वापस मदीना लौट आए। कुरैश के लोगों को कोई आपत्ति न हो, इसलिए इस संधि पत्र पर मक्का वालों ने मुह़म्मदुर्रसूलुल्लाह के स्थान पर 'मुह़म्मद-बिन-अ़ब्दुल्लाह' लिखवाया।

अगले वर्ष इस संधि के अनुसार ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अपने साथियों के साथ मक्का में प्रवेश किया और तीन दिन तक वहाँ रह कर कअ़बः की परिक्रमा (तवाफ़) की और उ़मरह की समस्त धार्मिक रीतियों का पालन किया। मक्का के लोग दूर एक पहाड़ी पर एकत्र होकर मुसलमानों की इन अ़िबादतों को बड़े शौक़ से देखते रहे।

मक्का विजय–

मक्का के आसपास के प्रदेशों में जो कबीले रहते थे, वह आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इन क़बीलों के क़ुरैश' से अच्छे सम्बन्ध थे। क़ुरैश ने हुदैबिया की संधि का पालन नहीं किया तो ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने लगभग दस हज़ार सेना के साथ मक्का में प्रवेश किया और मक्का निवासियों से कोई बदला नहीं

लिया। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने कअ़बः को मूर्तियों से साफ़ कर दिया जैसा कि हज़रत इब्राहीम (अ़लै०) के समय में था। इसलिए कि मूर्तियाँ तो बाद में स्थापित की गईं थी और मक्का निवासियों को जिन्होंने कई वर्षों तक हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का घोर विरोध किया था उन्हें क्षमा कर दिया, जिसका जन साधारण पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

हुनैन का युद्ध-

मक्का विजय के पश्चात हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को यह सूचना मिली कि पूर्व की ओर 'हवाजिन' क़बीले के लोग युद्ध के लिए एकत्रित हो रहे हैं और इन लोगों के पास पर्याप्त युद्ध सामग्री है। वे लोग धनुर्विद्या में कुशल थे। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) भी अपनी सेना के साथ उनका सामना करने निकले।

हवाज़िन के धनुर्धारियों ने बाणों की वर्षा से हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सेना का नैतिक बल तोड़ दिया और वह घबरा कर भागने लगी तो हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने सबको ललकारा और पुनः सेना को एकत्रित कर शत्रु पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण इतना तीर्व था कि 'हवाजिन' की सेना के पैर उखड़ गए और वह रण छोड़कर भाग गई। यहाँ पर अनगिनत ऊँट और भेड़-बकरियाँ मुसलमानों के हाथ लगीं। जो लोग इस युद्ध से बच निकले वे 'तायफ़' नामक एक नगर में जा छिपे। मुसलमानों ने इस शहर को घेर लिया, यह घेरा अधिक समय तक नहीं रह सका।

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अपनी सेना के साथ मदीना लौट आए। 'तायफ़' से वापस आने के पश्चात अनेक क़बीलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और इस्लाम का झंडा दूर-दूर तक फहराने लगा।

तबूक की लड़ाई-

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को यह सूचना मिली कि रोम के कैसर तथा बीजन्तियन के कैसर दोनों ने एक बड़ी सेना मुसलमानों को परास्त करने के लिए तैयार की है और वह सीरिया की सीमा तक पहुँच चुकी है। आपने इस्लामी सेना को भी सीरिया की सीमा की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया और बहुत से

अ़रब क़बीलों को इस चढ़ाई में सहायता देने के लिए आमंत्रित किया।

तबूक नामक स्थान पर जो मदीना और दमिश्क के मध्य स्थित है, इस्लामी सेना ने अपना पड़ाव डाला। यहाँ आकर आपको ज्ञात हुआ कि कैसर की सेना को सीरिया की ओर आने की अफ़वाह गलत थी।

आपने सीरिया प्रदेश पर हमला करना उचित नहीं समझा और लगभग 20 दिन तबूक में ठहरकर वापस लौट गए। उसी समय कुछ छोटे मसीही राज्यों ने आपसे शान्ति की सन्धियाँ कर लीं और सीमा पर शान्ति स्थापित हो गई।

नजरान के मसीहियों का शिष्टमंडल-

अ़रब के दक्षिण और पूर्वी भागों में कई मसीही क़बीले मुसलमान हो चुके थे। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने मसीहियों को यह अनुमति दे रखी थी कि वह अपने धर्म पर सुदृढ़ रहें और मुसलमानों के प्रति निष्ठावान रहें। नजूरान के मसीहियों का एक शिष्टमंडल हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सेवा में उपस्थित हुआ। इसमें लगभग 70 आदमी थे जिनमें उनके सरदार भी थे। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इस शिष्टमंडल को बड़े सम्मान के साथ मस्जिद-ए-नबवी में ठहराया और चर्चा के दौरान जब मसीहियों की आराधना का समय आया तो हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इन्हें मस्जिद ही में आराधना करने की अनुमति दे दी। आपने इन लोगों पर इस्लाम की सच्चाई प्रमाणित करने का प्रयत्न किया।

अब हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को मदीना आए दस वर्ष हो चुके थे अनेक शिष्टमंडल आते और इस्लाम स्वीकार कर के चले जाते थे। कुछ यहूदी और कुछ मसीही क़बीलों के अतिरिक्त समस्त मूर्तिपूजक और बहुदेववादी क़बीले इस्लाम स्वीकार कर चुके थे।

अन्तिम हज सन् 632 ई०-

जब हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने यह देखा कि समस्त अ़रब मुसलमान हो गये हैं तो आपने हज करने का निश्चय किया। हज की समस्त रीतियाँ पूरी करने के पश्चात ऊँटनी पर सवार होकर लोगों को उपदेश दिया। उस समय आप मिना शहर के खुले विस्तृत मैदान में ऊँटनी पर सवार थे और अ़रब के तमाम

मुसलमान क़बीले और अन्य क़बीलों के लोग आप के पास मौजूद थे।

आपने अत्यन्त मारमिक शब्दों में मुसलमानों को सम्बोधित किया। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को यह आभास होने लगा था कि यह उनका अन्तिम उपदेश है, इसलिए आपने दिल खोलकर लोगों से सम्बोधित किया वह सब कुछ जो अल्लाह की ओर से आपको मिला था मुसलमानों तक पहुँचा दिया। वृद्धावस्था के बावजूद भी हज़रत मुहम्मद ने हज की तमाम बातों को पूरा किया और मक्का से मदीना की ओर पुनः लौट आए।

बीमारी और देहान्त–

मदीना पहुँचकर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अस्वस्थ हो गए। यह सूचना चारों ओर आँधी की तरह फैल गई। इस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने विद्रोह करने की ठानी, इन विद्रोही व्यक्तियों में सबसे प्रसिद्ध 'मुसैलिमा' नामक व्यक्ति था। उसने पैग़म्बरी का दावा किया और स्वयं को हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिसे कज्जाब कहा जाता है। आज भी इस्लाम के इतिहास में मुसैलिमा कज़्ज़ाब के नाम से स्मरण किया जाता है। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के देहावसान के बाद हज़रत अबू बक्र की ख़िलाफ़त काल में एक बहादुर मुस्लिम सेनापति के हाथों मुसैलिमा का वध हुआ।

बीमारी की हालत में हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अपनी पत्नी हज़रत आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ ठहरे थे। हज़रत आईशा आपकी ख़िद्मत करती थी। बीमारी की हालत में भी आप मस्जिद तक जाकर नमाज़ में सम्मिलित हुआ करते थे। फिर 63 वर्ष की आयु में आप इस संसार को त्याग कर चले गए।

आपके मृत्यु की सूचना ज्यों ही लोगों तक पहुँची लोग एकत्रित होने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस ख़बर को ग़लत समझकर इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे।

हज़रत उमर तो संतप्त होकर चिल्ला उठे "जो व्यक्ति कहेगा कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मृत्यु हो गई है, तो मैं उसका सिर तलवार से काट दूँगा"।

हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) जो लोगों में हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के बाद सबसे अधिक सम्मानित थे स्वयं भीतर गए और हज़रत की मृत्यु की सूचना

देते हुए लोगों से कहा, ऐ लोगों! जो शख़्स मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की अिबादत करता था तो वह जान ले कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और जो अल्लाह की अिबादत करता है तो अल्लाह जीवित है और वह कभी नहीं मरेगा। इसके पश्चात हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) ने क़ुर्आन करीम की एक आयत पढ़ी और कहा मुहम्मद तो बस एक रसूल हैं, इनसे पहले भी रसूल गुज़र चुके हैं, बस क्या अगर वे क़त्ल किए जाएँ या मृत्यु को प्राप्त हो जाएँ तो क्या तुम अपने ईमान से हट जाओगे।

हज़रत उमर (रज़ि०) को अपनी ग़लती का अनुभव हुआ और लोगों के साथ वह भी उदास एवं दुखी होकर अपने घर लौट गए। हज़रत आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर के उसी कमरे में जहाँ रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मृत्यु हुई थी उनको दफ़्न कर दिया गया। उसी स्थान पर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की क़ब्र मुबारक है, जिस के ऊपर हरे रंग का गुम्बद बना हुआ है। जहाँ मुसलमान मस्जिदे नबवी की यात्रा करने के लिए जाते हैं।

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का चरित्र

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के व्यवहार, बोलचाल के तरीक़े और चरित्र के सम्बन्ध में हदीस के रूप में साहित्य मौजूद है। आपका प्रारम्भिक जीवन गरीबी में बीता, आप 6 वर्ष की उम्र में ही अनाथ हो गए थे, 25 वर्ष की आयु में हज़रत ख़दीजा से विवाह करने के पश्चात आपका जीवन सम्पन्नता में व्यतीत हुआ।

यद्यपि आपको धन दौलत का अभाव नहीं था, फिर भी आप सादा जीवन, उपवास और फ़क़ीरी के जीवन को पसन्द करते थे। नौकर-चाकर होते हुए भी स्वयं अपना काम करना पसन्द करते थे, दासों के साथ समानता का व्यवहार करना, दरिद्रों और कंगालों के साथ विनम्रता और दयालुता का बर्ताव करना आपका एक उत्तम गुण था। कोई भिखारी या फ़क़ीर अथवा यात्री आपके द्वार से निराश नहीं लौटता था, आप स्वभाव से ही उदार थे और जबान के सच्चे थे।

आप अल्-अमीन के नाम से प्रसिद्ध थे जिसका अर्थ होता है दयानतदार'। अपनी जबान से कभी कोई बुरी बात नहीं निकालते थे, अधिक से अधिक समय अल्लाह की याद और नमाज़ में व्यतीत करते थे, आप नियमित रूप से

रोज़ा रखते थे।

इतना होते हुए भी घर के कार्यों में हाथ बटाँते थे, अपनी पत्नियों को हर तरह का सुख देने का और उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते रहते थे। बच्चों को प्यार करते और उन्हें ख़ुश देखकर स्वयं भी ख़ुश होते थे, उपहार जो आते थे उन्हे गरीबों मे बाँट देते थे।

शहद और खजूरें खाना प्रिय था, साफ़ सुथरे ऊनी या सूती कपड़े पहनते थे, रेशमी कपड़े नापसन्द करते थे, कंघी करते थे, सुर्मा लगाते और दूसरों को भी सुरमा लगाने की सीख दिया करते थे।

आपकी दाढ़ी सीने तक थी और मूँछे छोटी थीं, आपका रंग गोरा और शरीर शक्तिशाली था, कंधे चौड़े थे। आप कद्दावर थे, मुख पर हल्की सी मुस्कान रहती थी और बात करते समय प्रत्येक व्यक्ति से सभ्यता से पेश आते थे, सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उचित एवं संक्षिप्त दिया करते थे, क्रोध पर नियंत्रण था और तेज चलने की आ़दत थी। अल्लाह से हमेशा अपनी दुर्बलताओं और त्रुटियों के लिए क्षमा माँगते और प्रार्थना करते कि आखिर मैं भी मनुष्य हूँ यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो हे अल्लाह! मुझे क्षमा कर दे।

आप कठोर की अपेक्षा दयालु अधिक थे और हर परिस्थिति में अल्लाह पर पूरा विश्वास रखते थे, कभी हिम्मत नहीं हारते थे, दुःख और कष्ट में अल्लाह का धन्यवाद करते थे। आपको जादूगर, शायर, मजनून कहा गया और आपका आपमान किया गया, आपके रास्ते में गन्दगी, पत्थर तथा काँटे डाल दिये जाते थे, मगर आपने इन सबको धैर्य से सहन किया। शत्रुओं ने आपको कष्ट पहुँचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी।

आप क़ुर्आनी शिक्षा का पूर्ण रूप से पालन करते थे, नियमित रूप से मस्जिद जाते और लोगों को नेक बनाने की शिक्षा दिया करते थे। आपकी विनम्रता और सादगी का यह ह़ाल था कि जहाँ कहीं जगह मिलती वहीं लोगों के बीच बैठ जाते थे, कभी किसी विशेष स्थान पर बैठने की इच्छा नहीं करते थे। बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे और उन्हें स्वयं सांत्वना देते थे।

विश्व इतिह़ास इस बात का साक्षी है कि आपने 23 वर्ष के संक्षिप्त काल में मरुस्थल के असभ्य एवं अशिक्षित कबीलों में एक अल्लाह की उपासना और

आपसी मेलजोल की नवीन चेतना भर दी। आप ने उन कबीलों को धरती से उठाकर आकाश पर बैठा दिया, उन्हें एक साहसी एवं निर्भीक क़ौम बनाकर कर्मठ बना दिया। बहुदेववादियों को एकेश्वरवाद का ऐसा पाठ पढ़ाया कि वह जो पहले मूर्ति के समक्ष दण्डवत किया करते थे, अब अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के सम्मुख सिर झुकाने के लिए तैयार न थे।

आप ने उन्हें स्वाभिमानी एवं सम्मानीय जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी और उन्हें सिखाया कि वे डरें तो केवल अल्लाह से डरें, तथा उनका सिर झुके तो केवल अल्लाह के समक्ष झुके। अ़रब लोगों ने भी अल्लाह के सन्देश को समस्त संसार के लोगों तक पहुँचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया और ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की मृत्यु के कुछ ही वर्षों बाद आप की शिक्षाएँ चारों ओर फैल गईं। अ़रब लोगों ने विश्व विजेताओं के रूप में इस्लाम का डंका संसार में बजा दिया।

मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की यह शिक्षा थी कि समस्त मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में समान हैं, रंग और जाति के आधार पर कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं। जो शुभ कार्य करता है वही अल्लाह के निकट है। आपने यह भी बताया कि आप अन्तिम नबी हैं, इसलिए आपको 'ख़ातिमुल् अम्बिया'(अन्तिम नबी) कहा जाता है।

इसी प्रकार आपने क़ुर्आन शरीफ़ के लिए कहा कि यह किताब उन्हें अल्लाह की ओर से दी गई है और तौरात, ज़बूर, इंजील आदि पुस्तकें निरस्त कर दी गई हैं और अब क़ुर्आन के बाद कोई दूसरी पुस्तक मनुष्यों के पथ प्रदर्शन के लिए आकाश से नहीं उतरेगी। क़ुर्आन मजीद आपका अद्भुत चमत्कार है, यद्यपि आप निरक्षर थे, फिर भी क़ुर्आन मजीद एक ऐसी पुस्तक है जो उत्तम अ़रबी भाषा में है। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के देहान्त के बाद ह़ज़रत उ़मर ने इसका संकलन करवाया था।

सारांश यह है कि विश्व के इतिहास में आप एक अति सफ़ल व्यक्ति रहे और विश्व के समाज सुधारकों में आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ है।

इस्लाम का अर्थ

इस्लाम का शब्दिक अर्थ होता है, 'सुपुर्दगी' (Surrender) सर्व समर्पण या अपने आप को बिना किसी शर्त के परमेश्वर (अल्लाह) के हवाले कर देना अर्थात अल्लाह (परमेश्वर) की इच्छा के अनुसार पूर्ण रूप से नत्मस्तक हो जाना।

इस्लाम का पारिभाषिक अर्थ होता है, "ईश्वरीय शिक्षा को स्वीकार कर लेना तथा उसके प्रति नत्मस्तक हो जाना, अपने और अपने सर्वस्व को अल्लाह के अधीन कर देना तथा सम्पूर्ण जीवन में अल्लाह का आज्ञाकारी और भक्त बन जाना" अर्थात उसी को उपास्य और पूज्य मानना, उसी से प्रार्थना करना और अपना पूर्ण जीवन उसी के नियम व आदेशानुसार व्यतीत करना।

इस्लाम धर्म के संस्थापक (Founder of Islam)

इस्लाम धर्म की स्थापना के विषय में हमारे कुछ इतिहासकारों ने लिखा है, कि इस्लाम धर्म के संस्थापक-ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने किसी नये धर्म की स्थापना नहीं की बल्कि पिछले ईशदूतों और उन पर अवतरित ग्रन्थों की पुष्टि करते हुए पवित्र क़ुर्आन के रूप में मानव जीवन को पूर्ण विधान दिया।

वास्तव में *इस्लाम धर्म के संस्थापक तो अल्लाह तआ़ला या पारब्रहम परमेश्वर है और इस संसार में प्रस्तुत करने वाले सबसे पहले इन्सान व सन्देष्टा ह़ज़रत आदम (अ़लै०) हैं,* जिन्होंने शब्द इस्लाम का उच्चारण अपनी भाषा में किया। जिन को अल्लाह ने बिना माता-पिता के पैदा किया था उनके बाद उनकी पत्नी हव्वा को उन्हीं से पैदा किया, इन्हीं दोनों पति-पत्नी से मनुष्यों की उत्पत्ति का आरम्भ हुआ। जिनका विस्तारपूर्वक उल्लेख पवित्र क़ुर्आन के 'सूर-ए-बकरः' और अनेक ग्रन्थों में किया गया है कि इस धरती के पहले व्यक्ति ह़ज़रत आ़दम (अ़लै०) थे, जो एकेश्वरवादी अर्थात मुस्लिम थे।

इस्लाम विभिन्न भाषाओं में

ह़ज़रत आ़दम (अ़लै०) से लेकर ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) तक जो ईशदूत जिस स्थान पर आते थे, वह ईशदूत वहीं की अपनी भाषा के अनुसार इस्लाम का नाम या उस का भाव बताते थे। जैसे-पूर्व काल में *"सर्व समर्पण धर्म"* था जिसका अर्थ होता है 'इस्लाम'। इसी प्रकार सभी ईशदूतों ने एकेश्वरवाद ही बताया अर्थात सभी सन्देष्टा मुस्लिम थे, जो अपनी-अपनी भाषा में इस्लाम को बताते रहे चाहे संस्कृत में हो या कल्दानी, सुर्यानी व अन्य भाषाओं में परन्तु अन्त में जब ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) मक्का में पैदा हुए तो चूंकि वहाँ की भाषा अ़रबी थी; इसलिए उन्होंने अ़रबी भाषा में इस्लाम शब्द का प्रयोग किया जिसकी स्थापना अल्लाह तआ़ला या पारब्रहम परमेश्वर ने की थी और ह़ज़रत आ़दम (अ़लै०) ने इसे प्रस्तुत किया था, उसी को पू*र्ण रूप देने वाले ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) हैं।*

ह़ज़रत आ़दम (अ़लै०) से लेकर ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) तक बहुत से सन्देष्टा आते रहे और वह इसी इस्लाम धर्म को अपनी-अपनी भाषा में बताते रहे और मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार ईश्वरीय शिक्षा व आदेश देते रहे, परन्तु जब यह मनुष्य रूपी समाज बाल्यावस्था से आगे बढ़ा तो इस की आवश्यकता हुई कि पूरे विश्व में एक ऐसा स्थान हो, जहाँ से पूरे विश्व को ईशज्ञान प्रदान हो सके। उसके लिए परमेश्वर ने महामान्य ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को नियुक्त किया और उन्हें अ़रब देश के मक्का शहर में पैदा करके उन पर ईश्वरीय संविधान के रूप में क़ुर्आन का अवतरण किया, ताकि मानव जाति अपने पैदा करने वाले मालिक के आदेशानुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके।

अतः जिस इस्लाम धर्म की स्थापना अल्लाह तआ़ला या पारब्रहम परमेश्वर ने की थी और ह़ज़रत आ़दम (अ़लै०) ने इस संसार में सबसे पहले प्रस्तुत किया था, उसी को पूरा करने के लिए ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने पिछले तमाम रसूलों (ईशदूतों) और उनकी शिक्षाओं की पुष्टि करते हुए क़ियामत (महाप्रलय) तक के तमाम इन्सानों के लिए परमेश्वर (अल्लाह) ने

एकमात्र अन्तिम रसूल (महाईशदूत) बना कर भेजा, जिन्होंने पवित्र क़ुर्आन और अपने उपदेशों के ज़रिये जीवन के हर क्षेत्र जैसे- वैचारिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में रहनुमाई की, जिन का अनुसरण करके मानव जाति अपनी तमाम समस्याओं का समाधान कर सकती है।

मुसलमान या मुस्लिम

मुसलमान या मुस्लिम वह व्यक्ति है जो अपने आप को अल्लाह के समक्ष बिना किसी शर्त के हवाले कर दे अर्थात अल्लाह (परमेश्वर) की इच्छा के अनुसार पूर्ण रूप से नत्‌मस्तक हो जाए तथा सम्पूर्ण जीवन में अल्लाह का आज्ञाकारी और भक्त बन कर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को अन्तिम महाईशदूत मानते हुए अपना पूर्ण जीवन उन्हीं के आदेशानुसार व्यतीत करे चाहे वह नस्ली मुसलमान हो या कोई भी व्यक्ति। इसलिए कि मुसमान होने के लिए मुस्लिम ग्रोत्र में पैदा होना कोई ज़रूरी नहीं है बल्कि मुसलमान बनने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या नाम का हो मुसलमान बन सकता है। जैसा मशहूर है, कि ख़त्ना कराने वाला, गोश्त खाने वाला या मुसलमान घर में पैदा होने वाला मुसलमान होता है। ऐसा हरग़िज़ नहीं है बल्कि नीचे दिये गये शब्दों को चाहे स्वयं पढ़ कर मान ले या किसी से पढ़वा ले, मुसलमान हो जाता है। उस के लिए किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं होती कि फ़लाँ से कलिमा पढ़ेंगे तभी मुसलमान होंगे ऐसा नहीं है बल्कि बेहतर है कि वह सबसे पहले ग़ुस्ल (स्नान) करे, जिसमें इन तीन बातों का ध्यान रखे-

(1) मुँह में पानी भर कर कुल्ली करे।

(2) नर्म हड्डी तक नाक को पानी से साफ़ करे।

(3) पूरे शरीर पर पानी इस प्रकार बहाए कि बाल के बराबर भी सूखा न रहें।

फिर यह कलिमा पढ़े-

"लाइलाह- इल्लल्लाहु- मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहि"

या

"अश्हदु अल्लाइलाह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न-मुहम्मदर्रसूलुल्लाहि"

अनुवाद- "मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई मअ़बूद (उपास्य) नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह के रसूल (अन्तिम महाईशदूत) हैं"।

ऊपर दिये गये अक्षरों को कलिमा कहते हैं। इसे पढ़ने के बाद आगे दी गई मूल आस्थाओं पर विश्वास करना अनिवार्य हो जाता है, चाहे नस्ली मुसलमान ही क्यों न हो, इसलिए कि इस्लाम में कोई भी व्यक्ति नाम की बुनियाद पर मुसलमान नहीं होता, *बल्कि कर्म की बुनियाद पर मुसलमान होता है।* यदि कोई अपना नाम भगत सिंह या जोजफ़ रखते हुए नीचे दी गई तमाम मूल आस्थाओं पर विश्वास रखे तो वह मुसलमान कहलाएगा। यह लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मुसलमान केवल वह है जो मुसलमान घराने में पैदा हुआ हो, बाक़ी तमाम लोग काफ़िर हैं। ऐसा नहीं, बल्कि नीचे दी गई इस्लाम धर्म की मूल आस्थाओं पर जो भी यक़ीन रखेगा, वही वास्तव में मुसलमान होगा।

इस्लाम धर्म की मूल आस्थाएँ

1. तौह़ीद (अ़द्वैतवाद) का सिद्धान्त-

इस्लाम में सबसे पहला विश्वास अल्लाह पर ऐसी आस्था रखना कि वह अल्लाह अकेला है, उस का कोई साझीदार नहीं, वह अद्वितीय है, उसकी सत्ता, उसके गुण तथा कर्म में कोई उसके समान नहीं। वह स्वतः है, अनादि है, अनन्त और अविनाशी है; उसी ने इस पूरी सृष्टि की रचना की, वह ज़िन्दा, सुनने वाला, देखने वाला है; न कोई उसकी तरह़ है न कोई उसके बराबर है, वह सर्वशक्तिमान और सर्वगुण सम्पन्न है, वह क़िसी काम के लिए किसी का मुहताज नहीं, प्रकृति और जीव भी अपने आप नहीं, उनको भी अल्लाह ही ने उत्पन्न किया है; उसी ने ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, जिन्न, इन्सान और तमाम जीव जन्तुओं को पैदा किया। वही रोज़ी देने वाला तमाम दुनिया का मालिक है, वही मारता और जिलाता है अर्थात उसी की आज्ञानुसार सब कुछ होता है। वह न खाता है, न पीता है और न सोता है, वही रोगी को अच्छा करता है, वही तक्लीफ़ों को दूर करता है, वही

स्वयं हमेशा से है और हमेशा रहेगा।

इसी प्रकार वह हाथ, पैर, नाक, कान और हर प्रकार की मूर्ति से पाक है, उसकी कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं, सभी उसके मुहृताज हैं, वह किसी का मुहृताज नहीं और न ही उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। वही अकेला पूजा, उपासना, अ़िबादत और प्रार्थना का अधिकारी है बाक़ी सब उसके पुजारी और उपासक हैं चाहे वह कैसा ही गुणवान और कीर्तिमान हो।

वह अल्लाह पिता, पुत्र, पति-पत्नी जैसे सम्बन्धो से मुक्त है, ऐसा बन्धन अल्लाह की महानता और पवित्रता के विरुद्ध है, इसी प्रकार वह किसी भी माध्यम से किसी भी प्राणी का रूप धारण नहीं करता, न वह किसी कार्य के लिए शरीर धारण करने पर बाध्य है। उसने जब केवल अपनी इच्छा शक्ति से इतने बड़े सृष्टि की रचना कर दी तो किसी कार्य के लिए उसको शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता! यह उसकी पवित्रता व महानता के विरूद्ध है।

वही निगेहबानी (रक्षा) करने वाला तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अद्वितीय है।

2. रिसालत (ईशदूतत्व विश्वास)-

सर्वप्रथम अपने और सारे ब्राह्मण्ड (Universe) के पैदा करने वाले मालिक (अल्लाह) पर आस्था रखने के बाद हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को अन्तिम सन्देष्टा मानते हुए अपने आप को अल्लाह का बन्दा (भक्त) मानना। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) से पूर्व सभी ईशदूतों (रसूलों) पर आस्था रखते हुए आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को अन्तिम महाईशदूत (आख़िरी रसूल) और आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर अवतरित पवित्र क़ुर्आन को अन्तिम विधान मानना।

3. ईशवाणी या ईशग्रन्थों पर विश्वास-

अल्लाह हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) से पूर्व बहुत से सन्देशवाहकों को भेजता रहा, जिन पर ईशवाणी भी अवतरित करता रहा परन्तु अन्तिम महाईशदूत पर अवतरित ग्रन्थ पवित्र क़ुर्आन जो संशोधन से पाक है और अब क़ियामत तक यही पूर्ण विधान रहेगा। जिसे हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर हज़रत जिब्रईल

(अ़लै०) ने अल्लाह की ओर से जिस प्रकार दिया था, उसी प्रकार आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने पूर्ण रूप से तमाम इन्सानों तक पहुँचा दिया।

4. अल्लाह के फ़रिश्तों (देवदूतों) पर आस्था-

इस बात पर आस्था रखना कि जिस प्रकार अल्लाह ने इन्सानों और जिन्नों को पैदा किया, उसी प्रकार फ़रिश्तों (देवदूतों) को भी उसी ने अपनी शक्ति से पैदा किया और फ़रिश्तों को जिस काम में लगा दिया वह उसका विरोध करने में असमर्थ हैं। अतः ईश्वरीय वाणी पवित्र क़ुर्आन को भी अल्लाह ने अपने एक सर्वश्रेष्ठ फ़रिश्ते 'हज़रत जिब्रईल' (अ़लै०) के माध्यम से हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर अवतरित किया।

5. तक़्दीर पर आस्था-

अच्छी बुरी तक़्दीर अल्लाह की ओर से होती है, वह आइन्दा (भविष्य) में होने वाली सभी घटनाओं को जानता है, वही जिसे चाहता है इ़ज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़लील करता है।

6. क़ियामत और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर आस्था-

इस बात पर आस्था रखना कि यह सृष्टि अनादि और अनन्त नहीं है। इसे एक दिन नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। फिर जिस प्रकार अल्लाह ने इस सृष्टि की रचना की थी, उसी प्रकार वह अपनी इच्छा शक्ति से एक नए सृष्टि की रचना कर देगा और जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से अन्त तक के सारे मनुष्यों को जीवित करके उनके कर्मों का हिसाब लेगा और उनके कर्मों के अनुसार जन्नत (स्वर्ग) देगा या जहन्नम (नर्क) में डालेगा।

शरीअ़त या विधि शास्त्र के स्रोत

इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से चार शरीअ़त या विधि शास्त्र के स्रोत हैं।
(1) क़ुर्आन मजीद (2) हदीस या सुन्नत (3) इज्मअ़ (4) क़ियास।

- क़ुर्आन मजीद को प्राथमिक स्रोत माना जाता हैं। समस्त इस्लामी शिक्षा,

विधान, नियम और रीतियों आदि की आधार शिला क़ुर्आन मजीद है। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के व्यवहारिक सद्गुण क़ुर्आन मजीद के अनुसार थे।

● ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के जीवन काल में ही मुसलमानों ने अपनी दिनचर्या का आदर्श ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के जीवन को ही मानना शुरु कर दिया था।

आपके जीवनकाल से ही आप के प्रवचनों, कथनों तथा शिक्षाओं को एकत्रित किया जाने लगा और आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए सुरक्षित कर लिया गया। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के जीवन के कार्य, वचन, इत्यादि जो आदर्श थे, वह पारिभाषिक भाषा में सुन्नत अथवा ह़दीस कहलाते हैं। यह विधि शास्त्र का दूसरा स्रोत है।

● क़ुर्आन मजीद एवं हदीस या सुन्नत मूल स्रोत हैं, जिसे विधि शास्त्र कहते हैं और कुछ परिस्थितियों में मुसलमानों को ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा जिनके सम्बन्ध में न तो क़ुर्आन मजीद में और न ही ह़दीस या सुन्नत में कोई स्पष्ट निर्देश मिलता था। अतएव विद्वानों ने ऐसी परिस्थितियों में क़ियास से अथवा सदृश्य विचारण (**Analogical Reasoning**) से निर्णय लेने लगे। इन निर्णयों में इस बात की अवश्य सतर्कता रखी जाती थी कि क़ियास क़ुर्आन मजीद और सुन्नत का कहीं भी उल्लंघन तो नहीं करता। इस क़ियास या तर्क को (तुल्य रूप, सदृश्य-विचारणा) इस्लाम धर्म का तृतीय स्तम्भ कहा जाता है। एक और पद्धति का उपयोग किया गया, जिसे इज्मअ़ कहते हैं।

इज्माअ़ का शाब्दिक अर्थ होता है विद्वानों का एक मत होना। इस्लाम के चार आधार स्तम्भ हैं और इन्ही चारों पर इस्लामी शरीअ़त (कानून) तथा विधि शास्त्र की नींव रखी गई है। जो विस्तृत रूप से इस प्रकार है-

1. विधि शास्त्र का प्रथम स्रोत (क़ुर्आन मजीद)

क़ुर्आन मजीद या क़ुर्आन शरीफ़ यह पुस्तक अ़रबी भाषा में है और यह अलौकिक पुस्तक है। इसे बड़े आदर से हाथों में लिया जाता है और इसे बड़े ही उत्साह तथा रुचि से पढ़ा जाता है और यह प्रत्येक मुसलमान के घर में ज़रूर होता है।

क़ुर्आन मजीद में आदेश है कि इसे (क़ुर्आन को) पवित्र लोगों के

अतिरिक्त और कोई न छुए।

क़ुर्आन चूँकि अ़रबी भाषा में अवतरित हुआ था इसलिए इसका अ़रबी भाषा में बाक़ी रहना अनिवार्य है, लेकिन क़ुर्आन के कई भाषा में अनुवाद किये गये और साथ ही यह भी प्रयत्न किया गया है कि इस अनुवाद के साथ अ़रबी मूल पाठ को भी बाक़ी रखा जाए।

क़ुर्आन के अनुवाद लगभग संसार की सभी प्रमुख भाषाओं में हो चुके हैं। जो मुसलमान अ़रबी भाषा से अनभिज्ञ हैं एवं अन्य लोग जो मुसलमान नहीं हैं, इन अनुवादों से क़ुर्आन मजीद के अर्थ को समझने का लाभ उठा रहे हैं।

क़ुर्आन का परिचय-

धार्मिक एवं ईश्वरीय ग्रंथ क़ुर्आन को अल्-किताब' (एक मात्र ग्रंथ) "अल् फ़ुर्क़ान" (अर्थात सत्य और असत्य में भेद करने वाला, कलामुल्लाह (परमेश्वर का वचन) और अत्तनूज़ील (ऊपर से अवतरित पुस्तक) भी कहते हैं, परन्तु इसका मूल नाम क़ुर्आन है और यही नाम प्रायः प्रचलित है।

क़ुर्आन का शाब्दिक अर्थ है 'पढ़ना' जिस प्रकार क़ुर्आन में आया है "इक़्रा बिस्मि रब्बिका" (अर्थात तू यानी ऐ मुह़म्मद! पढ़ अपने रब के नाम से)

क़ुर्आन की यह प्रथम आयत जो ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर अवतरित हुई और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह समस्त आयतें जो ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर समय-समय पर अवतरित होती रहीं और उसी को क़ुर्आन कहते हैं।

क़ुर्आन का शुद्ध रूप से पढ़ना अनिवार्य है, इसलिए क़ुर्आन पढ़ने की विधि का अभ्यास करना पड़ता है, जो मुसलमान इसे शुद्ध उच्चारण से पढ़ सकते हैं और दूसरों को पढ़कर सुना सकते हैं, उन्हें 'कारी' कहते हैं।

क़ुर्आन का विवरण तथा अध्याय-

क़ुर्आन में कुल एक सौ चौदह अध्याय हैं। अ़रबी में अध्याय को सूरः कहते हैं। प्रत्येक सूरः "अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त दयावान एवं कृपाशील है" स्तुतिवाक्य (मंगलाचरण) से प्रारम्भ होती है। केवल नौंवी सूरः ही ऐसी है

जिसके प्रारम्भ में यह वाक्य अंकित नहीं है।

कुर्आन के प्रारम्भिक अध्याय बड़े हैं और अन्तिम अध्याय छोटे हैं। प्रथम अध्याय सूरः अल् फातिहा कहलाती है। यह एक संक्षिप्त अध्याय है, जिसमें कुल सात आयतें हैं, परन्तु इसके पश्चात् बहुत बड़े अध्याय हैं, द्वितीय अध्याय में 286 आयतें हैं।

प्रत्येक अध्याय का एक विशेष नाम है। यह नाम उस अध्याय के पदों में किसी विशेष घटना के नाम पर रखा गया है या किसी व्यक्ति, पशु या स्थान के नाम पर रखा गया है जिसका उल्लेख उस अध्याय में आता है।

कुर्आन की परम्परागत व्यवस्था में (जिसमें लम्बे अध्याय पहले और छोटे अध्याय अन्त में आये हैं।)

वर्ण शैली एवं भाषा–

कुर्आन अ़रबी भाषा में लिखा गया हैं। जिस भाषा शैली का इस ग्रंथ में उपयोग हुआ है वह भाषा शास्त्रीयों (उ़लमा) की दृष्टि में भव्य एवं मनोरम भाषा है। कुर्आन अपनी वर्णन शैली और शब्द प्रयोग में एक उत्तम ग्रन्थ है।

कुर्आन को साधारणतः एक विशेष लय में पढ़ा जाता है। इस विशेष लय में कुर्आन को पढ़ना एक कला है जिसे सीखने के लिए अभ्यास और परिश्रम की आवश्यकता होती है।

कुर्आन का संकलन–

कुर्आन में आया है "निःसन्देह यह (कुर्आन) सारे संसार के रब का उतारा हुआ है, जिसे लेकर एक विश्वसनीय आत्मा (ह़ज़रत जिब्रईल) उतरी है। फिर यह भी आया है"

"वह तो बस वह़्य होती है जो (उस पर) उतरती है। उसे प्रबल शक्ति वाले ने सिखाया जो सुदृढ़ है, पूर्ण रूप में प्रकट हुआ"।

इन दो आयतों में विश्वसनीय आत्मा और प्रबल शक्ति वाले शब्द ह़ज़रत जिब्रईल (अ़लै०) के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

अर्थात जो कुर्आन में है वह वहाँ है जो अल्लाह की ओर से उसके पैग़म्बर

इस्लाम और मुस्लिम समाज का परिचय

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर ह़ज़रत जिब्रईल के द्वारा उतरी। फिर यूँ भी लिखा हैः "वही (अल्लाह) है जिसने तुम पर किताब उतारी, जिसमें कुछ आयतें तो अर्थ में स्पष्ट पक्की और अटल हैं, यही किताब की बुनियाद हैं"।

और दूसरी (आयतें) अस्पष्ट उपलक्षित है जिनके कई अर्थ निकलते हैं।

- रमज़ान में ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर कुर्आन अवतरित हुआ कि समस्त स्वर्गिक ग्रंथ रमज़ान के पवित्र महीने में ही अवतरित हुए हैं।

अल्लाह का आदि वचन–

कुर्आन आदिवचन हैं। जो अनादिकाल से ही यह वाणी लौहे-ए-मह़फ़ूज़ (सुरक्षित पट्टिका) पर अंकित है।

इस पट्टिका की दिन-रात चौकसी की जाती है और यह अर्श के निकट रखी हुई है। कुर्आन अल्लाह की अंकित वाणी है। इस सम्बन्ध में कुर्आन में लिखा है-

"यह तो कुर्आन है गौरव वाला, सुरक्षित पट्टिका में अंकित है। रमज़ान में कुर्आन अल्लाह के पास से नीचे आसमान पर उतारा गया। यहाँ से ह़ज़रत जिब्रईल आवश्यकतानुसार ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को थोड़ा-थोड़ा लाकर शब्द-ब-शब्द सुनाते रहे। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) अपने साथियों और निकट मित्रों को सुनाया करते थे"।

आप के मित्र (सह़ाबा) उन पदों को जो उन्हें सुनाये जाते थे, कण्ठस्थ कर लेते थे और कुछ उन्हें लिख लेते थे।

कुर्आन का अवतरण तेईस वर्ष निरन्तर होता रहा और इस अवधि में अधिकतर व्यक्तियों ने इसे कण्ठस्थ कर लिया और कुछ ने इसे खजूरों के पत्तों, हड्डियों, पत्थर की शिलाओं, चमड़े के टुकड़ों आदि पर अंकित कर लिया। कुर्आन को कंठस्थ करने वाला ह़ाफ़िज़ कहलाता है। जिन का बड़ा सम्मान किया जाता है।

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के बाद संकलन का कार्य–

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की मृत्यु के पश्चात् आपके एक प्रथम ख़लीफ़ा ह़ज़रत अबू बक्र (रज़ि ०) के आदेश से कुर्आन के समस्त अलग-अलग भागों

को संकलित किया।

अतएव आपके लिए यह कार्य अर्थात क़ुर्आन का एकत्र करना और उसे सुव्यवस्थित ढंग से संकलित करना इसलिए भी अनिवार्य हो रहा था कि बहुत से ह़ाफ़िज़ और क़ारी युद्धो में काम आ चुके थे।

क़ुर्आन के नष्ट हो जाने का भय भी अनुभव किया जाने लगा था। इस कारण ह़ज़रत अबू बक्र (रज़ि०) ने ह़ज़रत ज़ैद को यह कार्य सौंपा। ह़ज़रत ज़ैद (रज़ि०) ने बड़े ही परिश्रम से जो क़ुर्आन खजूर के पत्तों, हड्डियों, पत्थर की शिलाओं, चमड़े के टुकड़ों पर लिखा हुआ था, उसे ह़ाफ़िज़ों की सहायता से एकत्रित किया।

वर्तमान क़ुर्आन ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि०) (तृतीय ख़लीफ़ा) के काल में अर्थात **651** ईस्वीं में जो पहले से अलग-अलग लिखा हुआ मौजूद था उसे एक जगह दो दफ़्ती के दर्मियान इकट्ठा कर दिया गया।

उच्चारण की विधि-

क़ुर्आन को सात विभिन्न विधियों से पढ़ा जा सकता है। इनमें से एक उच्चारण विधि मक्का वालों विशेषकर क़ुरैश की है जो आजकल क़ुर्आन पढ़ने की प्रचलित विधि है।

प्रारम्भ में क़ुर्आन के शब्दों में मात्राएँ आदि नहीं थी। परिणाम स्वरूप क़ुर्आनी शब्दों के उच्चारण में अन्तर होने लगा। इसलिए क़ुर्आनी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए कहा जाता है ईराक़ के ह़ाकिम ह़ज्जाज-बिन-यूसुफ़ ने क़ुर्आन के शब्दों पर मात्राएँ आदि लगाई और क़ुर्आन पढ़ने के लिए सुगमता पैदा कर दी।

क़ुर्आन के एकत्रित और सुव्यवस्थित संकलन के इतिह़ास का सार यह है कि अल्लाह ने अपने दूत ह़ज़रत जिब्रईल (अ़लै०) के द्वारा ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर क़ुर्आन अवतरित किया।

● ह़ज़रत अबू बक्र और ह़ज़रत उ़स्मान के आदेश से क़ुर्आन के विभिन्न भागों को एकत्रित किया गया और ह़ज़रत ज़ैद द्वारा जो वहाँ लेखक थे लिखा गया। ह़ज्जाज बिन यूसुफ़ ने उसके शब्दों पर मात्राएँ आदि लगवाई इस प्रकार वर्तमान क़ुर्आन अस्तित्व में आया।

वह़्य का अर्थ-

इब्ने-ख़लूदून जो एक श्रेष्ठ मुस्लिम विद्वान थे लिखते हैं, 'स्वर्गिक पुस्तकों में केवल क़ुर्आन ही एक ऐसी पुस्तक है जिसका एक-एक शब्द, वाक्य और आयत नबी को स्वर्गदूत द्वारा पहुँची। तौरात, ज़बूर और अन्य स्वर्गिक पुस्तकें इस प्रकार अवतरित नहीं हुईं। नबियों के हृदय में केवल उनके अर्थ और विषयों को डाल दिया जाता या पूरी पुस्तक दे दी जाती थी।

वह़्य का अर्थ है कि वे शब्द जो स्वर्गदूत के मुख से निकलकर नबी के कानों तक पहुँचे और नबी ने निस्संदेह स्वर्गदूत के शब्दों को अपने कानों से सुन कर कंठस्थ किया और लोगों को ठीक उसी प्रकार जैसे वे शब्द नबी तक पहुँचे थे सुना दिया।

इस वृतान्त से यह स्पष्ट होता है कि जो पुस्तक वह़्य द्वारा नबी पर अवतरित होती है उसका अनुलेख, शब्द और वाक्य की रचना अल्लाह की ओर से होती है और नबी केवल उन्हे कंठस्थ कर लेता है।

इस पुस्तक में नबी का अपना कोई योगदान नहीं होता। यह विश्वास है कि क़ुर्आन ही केवल एक मात्र पुस्तक है जो वास्तव में वह़्य कहलाने के योग्य है अर्थात क़ुर्आन में न तो किसी प्रकार की कोई कमी है और न ही इसमें किसी अशुद्धि की सम्भावना है, यह हर दृष्टि से दोष रहित है।

परन्तु यह द्रष्टव्य है कि यदि क़ुर्आन मजीद में एक आयत से कोई अन्य श्रेष्ठ आयत उसी विषय पर पाई जाती है तो यह श्रेष्ठ आयत पहली आयत और उसके विषय को निरस्त कर देती है। इन आयतों में श्रेष्ठ आयत को नासिख (रद्द करने वाली) और दूसरी आयत को मन्सूख़ (रद्द हो जाने वाली) आयत कहते हैं। ऐसी भी कुछ आयतें क़ुर्आन मजीद में हैं, जिसे गूढ़ इ़ल्म वाले समझते हैं।

क़ुर्आन एक अद्भुत मोअ़जिज़ा है-

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) 'उम्मी' अर्थात निरक्षर थे। अतः आपके लिए क़ुर्आन जैसी श्रेष्ठ पुस्तक की स्वयं रचना करना सम्भव न था, पढ़कर सुनाना

और उसके अर्थ को समझाना ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का मूल कार्य था। यदि कोई अद्भुद कार्य ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से सम्बन्धित किया जा सकता है तो वह क़ुर्आन है।

क़ुर्आन वह्य भी है और अद्भुत कार्य भी। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने स्वयं यह कहा कि प्रत्येक नबी के साथ लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कुछ चिन्ह भी दिये जाते हैं और जो चिन्ह मुझे मिला है वह क़ुर्आन है और इस कारण मुझे यह विश्वास है कि क़ियामत के दिन मेरे अनुयायी दूसरे नबियों के अनुयायियों से अधिक होगें।

इब्ने खल्दून कहते हैं कि इससे नबी का यह अभिप्राय था कि क़ुर्आन जो वह्य है एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है कि लोग इस से प्रभावित होकर इस पर दृढ़ आस्था कर लेंगे।

क़ुर्आन की लेखन शैली और उसकी सुन्दरता स्वयं एक अद्भुत कार्य समझा जाता है। अ़रब के बड़े-बड़े कवि और भाषा-शास्त्री चुनौती देने पर भी क़ुर्आन के किसी एक अध्याय की भांति लिखकर प्रस्तुत करने में असमर्थ थे। क़ुर्आन में यह चुनौती इस प्रकार अंकित है।

"यदि तुम इस (किताब) के बारे में जो हमने अपने बन्दे (ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)) पर उतारी है सन्देह में हो तो तुम इस जैसी एक सूरः लाओ जो अल्लाह के सिवाय तुम्हारी सहायता करने वाले हों उनको भी बुला लो यदि तुम सच्चे हो"।

क़ुर्आन की तफ़्सीर (टीका)

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और उनके साथियों ने जो अर्थ प्रस्तुत किये वही क़ुर्आन की टीकाओं के शिलाधार हैं। यह सत्य है कि क़ुर्आन की भाषा और उसके अर्थों को समझने के लिए इस्लामी इतिह़ास, ह़दीसे और सुन्नत आदि का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, बल्कि यहूदी और मसीही धर्म का अध्ययन भी होना चाहिए।

क़ुर्आन में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का केवल सांकेतिक उल्लेख है, इसलिए इन घटनाओं को समझने और जानने के लिए अन्य सहायक पुस्तकों

के अध्यन की आवश्यकता होती है। विद्वानों ने प्रारम्भ से ही इस आवश्यकता को स्वीकार करते हुए क़ुर्आन की बहुत सी टीकाएँ लिखी।

भाष्यकारिता एक कठिन कला है, इसलिए धर्मगुरु बड़े परिश्रम के साथ इस कला को सीखते और पुराने भाष्यों का अध्ययन करते हैं। यह प्राचीन भाष्य एक विशेष स्थान और मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। यदि कोई इस पथ से हटकर भाष्य लिखने का प्रयास करता है तो वह स्वीकृत नहीं होता।

क़ुर्आन के जो भाष्य सामान्यतः प्रचलित है वे इस प्रकार हैं- (क) तफ़्सीर-ए-तबरी- यह भाष्य विद्वान 'तब्री' द्वारा लिखित है। पुण्य तिथि 923 ईस्वी। (ख) अल् कश्शाफ यह 'जुमख्शरी' द्वारा लिखित भाष्य है। आपकी पुण्य तिथि 1144 ईस्वी है। (ग) 'तफ़्सीर बैजावी' यह भाष्य 'बैज़ावी' द्वारा लिखा गया है। आपकी पुण्य तिथि 1286 ईस्वीं है।

इसी प्रकार शेख़ फ़ख्रुद्दीन राज़ी का महाभाष्य तथा 'अल्-कबीर' और जलालैन' बहुत प्रसिद्ध हैं। समस्त भाष्य अ़रबी भाषा में लिखे गये थे। आज इनके अनुवाद मिलते हैं, इनके अतिरिक्त बहुत से भाष्य अन्य भाषाओं में भी लिखे गये हैं।

सूरतों का काल, देश, क्रम, अवतरण-

भाष्यकार एवं टीकाकार इस बात पर सहमत हैं कि क़ुर्आन की बहुत सी आयतें प्रासंगिक एवं सामायिक हैं अर्थात उनका सम्बन्ध किसी विशेष घटना अथवा आवश्यकता से हैं। इन घटनाओं एवं प्रसंगों का देश, काल और क्रम निश्चित किया जा सकता है।

इसलिए क़ुर्आन के अधिकांश भागों को तिथि अनुसार व्यवस्थित करना कोई कठिन कार्य नहीं है।

क़ुर्आन की सूरतों को कालानुसार दो प्रमुख विभागों में विभाजित किया गया है। (क) मक्की सूरतें (ख) मदनी सूरतें ।

मक्की सूरतें वह सूरते हैं जो ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर उस समय अवतरित हुई जब आप मक्का में निवास करते थे।

मदनी सूरतें वह हैं जो आप पर उस समय अवतरित हुई जब आप

हिजूरत करके मदीना आए। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि भाष्यकारों ने इस नियम को स्वीकार किया है कि क़ुर्आन की उचित टीका ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हैं।

(क) मक्की सूरतें तीन उपविभागों में विभाजित की जा सकती हैं-

(1) ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के सन्देशवाहक पद पर नियुक्त किये जाने से लेकर उस समय तक जब मुसलमानों के एक छोटे समूह ने हब्शा अर्थात एबीसीनिया या इथियोपिया में शरण ली। यह ई० सन् 612 से 617 तक का काल है। इस काल में जो सूरतें ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर अवतरित हुईं वह संक्षिप्त हैं।

इस उपविभाग में प्रकृति की शक्तियों का उल्लेख है और उन शक्तियों के नाम की सौगन्ध खाई गई है।

बहुदेववादियों को परमेश्वर के क्रोध और न्याय के दिन से भयभीत किया गया है। दुष्टों को नरक की चेतावनी सदाचारियों को स्वर्ग के वचन दिये गये हैं, ईमान लाने वालों को प्रेरणा दी गई है। इस उपविभाग में परमेश्वर के एक होने पर अधिक बल दिया गया है। इस बात पर भी बल दिया गया है ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह के सत्य संदेशवाहक हैं। इस बात की पुनरावृत्ति की गई है कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) कोई जादूगर अथवा काहिन नहीं है, ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रिसालत पर विश्वास करो और क़ुर्आन की शिक्षा को मानो। इस उपविभाग में ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के विरोधियों की निन्दा भी की गई है।

- इसी प्रकार ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से पूर्व के नबियों और उनकी जीवन-घटनाओं के संक्षिप्त वर्णन भी मिलते हैं। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का अ़रब निवासियों को संदेशवाहक होकर आने का अनुमोदन किया गया है और मूर्ति-पूजा की निन्दा की गई है।

इसी प्रकार नबियों के सताये जाने का भी उल्लेख है, यह भी उल्लेख है कि परमेश्वर अन्त में नबियों को विजय देता है। पवित्र बाईबिल में वर्णित इस्राईली नबियों का वर्णन इसमें आया है। इसी प्रकार क़ुर्आन के वह्य होने का

अनुमोदन किया गया है और यह भी बताया गया है कि क़ुर्आन अद्वितीय है।

(ख) मदनी सूरतें-

यह भाग सम्पूर्ण क़ुर्आन के एक तिहाई से कुछ अधिक है। इस भाग में वह आयतें है जो ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मदीना को हिजूरत करने से लेकर मृत्यु तक आप पर अवतरित होती रहीं। यह आयतें विधि प्रधान हैं। इस भाग की सूरते लम्बी हैं, इनमें जो वृत्तां हैं वे क्रमशः नहीं हैं। इस भाग में नियम, उचित, अनुचित, वैध और अवैध, वर्जित और अवर्जित कार्यों का उल्लेख है, यह भाग धर्मशास्त्र सदृश है, इसमें विश्वास सम्बन्धी अधिक उल्लेख नहीं हैं।

इसमें मदीना के अंसार और शरणार्थी के आपस में अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने की सीख दी गई है। यहूददियों, ईसाईयों और मुनाफिकीन (छली-कपटी) का भी उल्लेख है।

मक्की सूरतों में इस बात पर बहुत ज़ोर दिया गया है कि इस्लाम ही केवल एक सत्य एवं पूर्ण धर्म है और पूर्वकालीन स्वर्गिक पुस्तकों पर ईमान रखना अनिवार्य हैं, क्योंकि क़ुर्आन उनका अनुमोदन करता है। साथ ही यह बताया गया है कि पूर्वकालीन स्वर्गिक पुस्तकों अर्थात तौरात एवं इन्जील को यहूदियों एवं ईसाइयों ने अपने स्वार्थानुसार संशोधित कर दिया है। इस भाग में विवाह, तलाक़ सम्पत्ति एवं इस्लामी व्यवस्था तथा जिहाद का उल्लेख भी है।

क़ुर्आन की विषय सामग्री-

यदि हम क़ुर्आन की शिक्षा पर एक विहंगम दृष्टि डालें तो यह बात प्रमाणित हो जाती है कि क़ुर्आन के अवतरण का लक्ष्य बहुदेववादियों को मूर्तिपूजा से रोकना और केवल एक अल्लाह की आराधना एवं उपासना की ओर आकर्षित करना है। अतएव क़ुर्आन का महत्वपूर्ण विषय 'तौहीद' (एकेश्वरवाद) है। साथ ही साथ मानव-समानता का भी संदेश दिया गया है।

यह भी बताया गया है कि समस्त स्वर्गिक पुस्तकों और मनुष्यों का स्रोत एकेश्वरवाद है। तौरात, ज़बूर और इंजील का स्थान-स्थान पर उल्लेख है। यहूदियों और मसीहियों को अहले किताब कहकर सम्बोधित किया गया है, परन्तु यहूदियों और ईसाइयों को कहा गया है कि वह अपनी पुस्तकों में

परिवर्तन करते रहते हैं। इस्लाम की शिक्षा के अनुसार शिर्क (अनेकेश्वरवाद) एक ऐसा पाप है जो अक्ष्म्य है।

क़ुर्आन का दावा यह भी है कि वह कोई नवीन शिक्षा नहीं लाया वरन् अतीत की स्वर्गिक पुस्तकों की शिक्षा का ही अनुमोदन करने तथा उन्हें पूर्ण करने के लिए अवतरित हुआ है। अतएव क़ुर्आन में ऐसे अनेक नबियों का उल्लेख है जो इस्लाम से पूर्वकालीन हैं।

उदाहरण के लिए हज़रत इब्राहीम (अ़लै०) हज़रत मूसा (अ़लै०) हजरत नूह़ (अ़लै०) हजरत यूनुस (अ़लै०) हज़रत दाऊद (अ़लै०) हज़रत सुलेमान (अ़लै०) हज़रत इलियास, हज़रत ज़करिया, हज़रत यह्या (अ़लै०) इत्यादि।

इनके साथ-साथ हज़रत ईसा मसीह (यीशू मसीह) का वृत्तान्त विस्तृत रूप से पाया जाता है, परन्तु यह बात स्मरण रखने योग्य है कि क़ुर्आन हज़रत ईसा को केवल एक पैगम्बर और परमेश्वर का बन्दा कहता है।

क़ुर्आन इस बात की घोषणा करता है कि हज़रत ईसा के प्रति श्रेष्ठ भावों का इसमें उल्लेख है। क़ुर्आन में यह भी आया है कि हज़रत ईसा (अ़लै०) ने अपने पश्चात् किसी एक और पैग़म्बर के आने की घोषणा की थी और वह पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) हैं।

इस्लामी शरीअ़त का द्वितीय स्रोत ह़दीस

(1) ह़दीस का अर्थ-

इस्लाम की आधारशिला का द्वितीय स्तम्भ ह़दीस है। ह़दीस का शाब्दिक अर्थ होता है कथन (क़ौल)। इस्लाम में ह़दीस का अभिप्राय उन कथनों से है जो हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) से सम्बन्धित हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है सुन्नत। इस्लाम के अनुसार इस शब्द का अर्थ है वह कार्य जो हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के कथनों एवं व्यवहारों के अनुसार हों।

सुन्नत शब्द सामान्य तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है-

(क) सुन्नते फ़ेअ़ली अर्थात वह कार्य जो हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने स्वयं किये।

(ख) सुन्नते क़ौली अर्थात वह कार्य जो हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने स्वयं नहीं

किये, परन्तु जिनके करने का आदेश दूसरों को दिया।

(ग) सुन्नते तक़रीरी अर्थात वह कार्य जो आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के सामने किये गये और जिनके लिए आपने मना नहीं किया।

इन तीन अर्थों से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो कार्य नबी ने स्वयं किये और जो कार्य दूसरों को करने के लिए कहा और जिन कार्यों को करने के लिए आप ने मना नहीं किया और वह सब परमेश्वर (अल्लाह) की आज्ञा एवं आदेश से किये गये। इन सब बातों और कार्यों पर विश्वास लाना और उनमें कार्यरत रहना सुन्नत है।

ह़दीस और सुन्नत पर्यायवाची शब्द हैं, परन्तु इनमें कुछ भेद भी है।

(2) सुन्नत का सम्मान एवं आदर-

बहुत सी बातें इस प्रकार की हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि हज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के साथी सुन्नत का किस प्रकार सम्मान और आदर करते थे और उसका अनुकरण करना अपना कर्तव्य मानते थे। उदाहरणार्थ इस्लाम में पत्थरों की मूर्तियों की पूजा वर्जित है, लेकिन ख़लीफा उ़मर ने मक्का के काले पत्थर (संगे अस्वद) को देखकर कहा, ख़ुदा की क़सम! मैं जानता हूँ कि तू केवल एक पत्थर है, न तू लाभ पहुँचा सकता है न हानि। यदि मुझे यह ज्ञान न होता कि तुझे नबी ने चुम्बन किया था तो मैं कदापि ऐसा न करता। केवल इस कारण कि नबी ने ऐसा किया है मैं भी ऐसा करता हूँ।

(3) ह़दीसों का महत्व एवं आवश्यकता-

यदि हम ह़दीसों के संकलन का अध्ययन करें तो हमें यह स्पष्ट होता है कि इनका एक पूर्ण भाग शरीअ़त (नियमों) पर प्रकाश डालता है। इसलिए कि ह़दीसें शरीअ़त की एक प्रकार से भाष्य हैं, जो यह समझाती हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित। क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इत्यादि।

फिर रोज़ा, नमाज़, ह़ज, ज़कात का भी विस्तृत विवरण इनमें पाया जाता है। कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनका क़ुर्आन मजीद में केवल संक्षिप्त या संकेत रूप

में उल्लेख है, लेकिन ह़दीसों में इनका विस्तृत उल्लेख किया गया है। शरीर की स्वच्छता एवं शुद्धता, नैतिक आचरण और सभ्यता के समस्त नियम इन पुस्तकों में मिलते हैं।

इसी प्रकार धर्मविज्ञान की कुछ समस्याओं पर जैसे न्याय का दिन, दण्ड एवं पुरस्कार, नरक एवं स्वर्ग, स्वर्गदूत, संसार की रचना, वह़्य आदि विषयों पर प्रचुर सामग्री इन ह़दीसों में पाई जाती है। इससे ह़दीसों की महत्ता एवं आवश्यकता स्पष्ट हैं। यह भी स्पष्ट है कि ह़दीसों से क़ुर्आन मजीद की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होती है वह यह है कि व्याख्या करते हुए बहुत सी समस्याओं को हल करने के साथ द्वन्द्वात्मक आयतों की उलझनों को सुलझाने में बड़ी सहायता प्राप्त होती है।

(4) ह़दीस के अंग–

प्रत्येक ह़दीस के दो अंग होते है। एक 'सनद' (प्रमाण) और दूसरा 'मतन'। (मूलपाठ) सनद का आश्य होता है किसी वृत्ताँत के सत्य होने का तर्क या प्रमाण।

सनद–

प्रत्येक ह़दीस में कुछ व्यक्तियों के नामों का उल्लेख होता है। इन व्यक्तियों के द्वारा ह़दीस का मूलपाठ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता है। इन व्यक्तियों को जो ह़दीस का मूलपाठ एक से दूसरे तक पहुँचाते हैं, रावी कहते हैं।

मतन (मूलपाठ) का प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है। यदि हम किसी संक्षिप्त हदीस को देखें तो इस प्रकार होगी।

मुस्लिम (ह़दीसकार का नाम है) से रिवायत सुना है कि मुझ से कहा फ़लाँ (नाम) ने और उस से कहा फ़लाँ (नाम) ने और उसे बताया फ़लाँ (नाम) ने और उसने सुना ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से। उन्होंने फरमाया, "जो कोई दान देगा उसका पुण्य इतना होगा"।

इस प्रारूप में जो नाम ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से पहले आये हैं वे अस्नाद' (सनद का बहुवचन) हैं और ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का कथन ह़दीस का मूलपाठ अथवा विषय है।

(5) ह़दीसों का मेअ़्यार (मान दंड)

जिन विद्वानों ने ह़दीसों को एकत्रित किया उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाये जिनके आधार पर सह़ी ह़दीस का निर्णय किया जा सकता है। यदि कोई ह़दीस उन नियमों के अनुसार होती है तो वह सह़ी मानी जाती है और उसे संकलन में स्थान दिया जाता है। यदि कोई ह़दीस उन नियमों के अनुसार नहीं होती तो वह सच्ची नहीं मानी जाती।

अतः हदीसों की सच्चाई या प्रामाणिता के लिए कुछ मानदंड बनाए गये। यह मानदंड दो प्रकार के हैं–

(क) रिवायत (ख) दिरायत

(क) रिवायत– यह वह पद्धति है जिससे प्रत्येक ह़दीस की सनद (प्रामाणिकता) का परीक्षण किया जाता है। प्रत्येक रावी (ह़दीसकार) के नैतिक चरित्र, व्यक्तित्व एवं स्मरणशक्ति आदि की छानबीन की जाती है। फिर यह देखा जाता है कि ह़दीस का विषय रावियों से होता हुआ ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तक पहुँचता है या नहीं। यदि किसी रावी पर असत्य बोलने या संदिग्ध स्मरण शक्ति वाला होने का आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत ह़दीस प्रामाणिक नहीं मानी जाती।

फिर यह भी ज़रूरी समझा जाता है कि रावी रिवायत करते समय वयस्क एवं चैतन्य हो। इसलिए इन रावियों की जीवनियाँ एकत्रित की गईं और इनके व्यक्तित्व एवं चरित्र की जाँच करके लिपिबद्ध किया गया। इन प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ कि उन की जीवनी से ह़दीसों की जांच पड़ताल में बहुत सहायता प्राप्त होने लगी।

(ख) दिरायत–दिरायत का शाब्दिक अर्थ होता है परिमितता एवं युक्तियुक्ता। दिरायत का सम्बन्ध ह़दीस के मूलपाठ से है। मूलपाठ से सम्बन्धित कुछ ऐसे नियम बनाये गये जिनसे ह़दीस के मूलपाठ पर आलोचनात्मक दृष्टि डाली जाने लगी और यह देखा जाने लगा कि क्या स्वयं ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ह़दीस के इन शब्दों का प्रयोग कर सकते थे अथवा ह़दीस में इन विषयों का वर्णन

कर सकते थे और क्या यह शब्द और विषय नैतिक मूल्यों, न्याय एवं समानता के विरुद्ध तो नहीं है।

दिरायत के कुछ नियम इस प्रकार हैं-

- यदि ह़दीस के शब्द या विषय किसी प्रामाणिक ऐतिहासिक घटना से संगत न हों तो उनको निरस्त किया जाए। यदि किसी ह़दीस में ऐसा विषय हो जो इस्लामी लक्ष्यों से मेल न खाता हो तो उसे विश्वसनीय नहीं माना जाता। यदि किसी ह़दीस का विषय केवल एक ही रावी के द्वारा प्रस्तुत हुआ हो और किसी अन्य रावी ने उसका दृतांत न किया हो तो वह भी विश्वसनीय नहीं मानी जाती।

रिवायत और दिरायत के नियमों का सारांश यह है कि यदि ह़दीस के शब्द एवं विषय क़ुर्आन की शिक्षा के विरुद्ध हों तो वह ह़दीस विश्वसनीय नहीं मानी जाती। उपरोक्त नियमों को दृष्टि में रखते हुए ही ह़दीसों को संकलित करने वाले विद्वानों ने ह़दीसों को एकत्रित किया है।

(6) ह़दीसों की तद्वीन (खोज)

प्रथम शताब्दी हिजरी के अन्त में ह़दीसों के संकलन में अत्याधिक रुचि होने लगी। ह़दीसों को एकत्रित करने के लिए वे एक शहर से दूसरे शहर को एक क़बीले से दूसरे क़बीले को और इस्लामी जगत के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा करते।

- ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के जो साथी जीवित थे उनसे या उनके साथियों से मुलाक़ात करके ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के वचन सुनते तथा उनको एकत्रित करते थे।

सबसे पहले ख़लीफ़ा उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (ख़लीफ़ा द्वितीय) ने ह़दीसों को क्रमबद्ध रूप में एकत्रित करने का आदेश दिया। ह़दीसों के लेखकों में दो प्रकार के लेखकों को मान्यता दी गई है।

(क) सह़ाबा-ए-किराम। (ख) ताबईन ।

(क) सह़ाबा-ए-किराम उन लोगों को कहते हैं जो ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथ रहे और जिन्होंने अपने कानों से सुनकर और आँखों से देखकर ह़दीसों का वर्णन किया है। जो ह़दीसें इन्होंने कहीं हैं उन्हे प्रायः प्रामाणिक माना जाता है।

(ख) ताबईन वह लोग हैं जो ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथियों के साथ रहे और जिन्होंने इन साथियों से ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के वचन सुने।

(7) ह़दीसों के विभिन्न स्तर-

ह़दीस जमा करने वालों की श्रेणियाँ हैं जिनका विवेचन करना यहाँ आवश्यक नहीं, मगर इतना कहना उचित होगा कि जिस प्रकार ह़दीस जमा करने वालों के विभिन्न पद हैं उसी प्रकार हदीसों के भी विभिन्न स्तर हैं। कुछ स्तर इस प्रकार हैं-

मुत्वातिर-

वह ह़दीस है जिसके रावी हर दौर में इतनी बड़ी तअ़दाद में पाये जाते हों कि उनका झूठ पर इत्तिफ़ाक़ होना नामुम्किन हो।

मशहूर-

वह ह़दीस है जिसके रावी सह़ाबा-ए-किराम के बाद से किसी दौर में भी तीन से कम न रहे हों, बल्कि हर तब्क़े में तीन या तीन से ज़्यादा हों।

अ़ज़ीज़-

वह ह़दीस जिसके रावी हर दौर में दो से कम न हों।

ग़रीब-

वह ह़दीस जिसके सिल्सिल-ए-सनद में किसी दौर में एक ही रावी हो। ह़दीस गरीब को फ़र्द भी कहते हैं।

शाहिद-

एक ह़दीस किसी सह़ाबी ने रिवायत की हो। ऐसी ही दूसरी ह़दीस किसी दूसरे सह़ाबी से मिल जाए जिससे पहले वाली ह़दीस की ताईद होती हो तो उसको शाहिद कहते है।

(1) सह़ीह़- वह ह़दीस जो ऐसे ह़दीस बयान करने वालों के द्वारा बयान की गई हो जिस का व्यक्तित्व और नैतिक आचरण सुप्रसिद्ध एवं आदर्श हो और जिसकी ह़दीस का मूल पाठ क़ुर्आन की शिक्षा के अनुसार हो ।

(2) ह़सन– ऐसी ह़दीस जिसके वक्ता का पद पहले प्रकार के ह़दीस वक्ता से कुछ कम हो।

(3) ज़ईफ़– ऐसी ह़दीस जिसका वर्णन करने वाला विश्वसनीय न हो और ह़दीस का विषय भी सन्देहास्पद हो।

सह़ाह़ सित्ता–

ह़दीसों के छः अहम संकलन पाये जाते हैं। इनको सह़ाह़ सित्ता कहते हैं। जो इस प्रकार हैं–

(1) सह़ीह़ बुख़ारी–

यह संकलन मुह़म्मद इब्ने इस्माईल बुख़ारी (रह़०) द्वारा किया गया है। इनका मृत्युकाल 1 शव्वाल 256 हिज्री अर्थात एक सितम्बर 870 ईस्वीं है। यह संकलन अति प्रामाणिक माना जाता है। जो संकलन इसके बाद हुए उनके लिए यह नमूने के रूप में काम आया।

(2) सह़ीह़ मुस्लिम–

यह संकलन मुस्लिम (रह़०) ने किया है। मुस्लिम (रह़०) का मृत्युकाल 875 ईस्वीं है। यह भी प्रामाणित संकलन माना जाता है।

(3) सुनन अबू दाऊद सह़ीह़–

इस के संकलनकर्ता अबू दाऊद (रह़०) थे। इनका मृत्यु काल 889 ईस्वीं है।

(4) जामेअ़ तिर्मिज़ी–

यह संकलन तिर्मिज़ी (रह़०) द्वारा किया गया। इनका मृत्यु काल 892 ईंस्वी माना जाता है।

(5) सुनन अन् नसई–

यह संकलन नसई (रह़०) ने किया, इनका मृत्युकाल 915 ईस्वीं है।

(6) सुनन इब्ने माजा–

इसके संकलनकर्ता इमाम इब्ने माजा है। इनका मृत्युकाल 887 ईस्वीं है।

ह़दीसकारों की संक्षिप्त जीवनी

छः हदीसकार सुप्रसिद्ध हैं। उनकी जीवनियों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है–

इमाम बुख़ारी (रह़०)

इनका पूरा नाम मुह़म्मद इस्माईल था। यह बुख़ारा में 19 जुलाई 810 ईस्वी अर्थात 13 शव्वाल 194 हिजूरी को पैदा हुए इसलिए बुख़ारी कहलाते हैं। जब आप केवल ग्यारह वर्ष के थे तब ही आपने ह़दीस का ज्ञान प्रारम्भ किया और 16 वर्ष की आयु में एक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गये। आपको हदीसें कंठस्थ थीं और विद्यार्थी आप से लाभान्वित होते थे।

आप छः वर्ष तक ह़िजाज में पठन-पाठन करते रहे। फिर आप ने यहाँ से तूफानी यात्रा शुरु की। इस यात्रा का उद्देश्य ह़दीसों को एकत्रित करना था। चालीस वर्ष आपने इस्लामी जगत के सभी देशों का भ्रमण किया। आप धर्म-परायण एवं कर्तव्य-निष्ठ थे। आपने ह़दीसों की प्रामणिकता पर विशेष ध्यान दिया और रावी के सम्बन्ध में गहरी छानबीन करने के पश्चात ही उसके नाम को सम्मिलित किया।

आप का संकलन 'अल् जामेअ़ अस्-सह़ीह़' अथवा 'सह़ीह़ बुख़ारी' के नाम से प्रसिद्ध है। आपने कई हज़ार ह़दीसों को एकत्र किया था। ह़दीसों को एकत्र करना आपका एक पवित्र कर्तव्य था, जो सह़ीह़ बुख़ारी क़ुर्आन के बाद सबसे अधिक प्रामाणिक पुस्तक है। आप की मृत्यु 01 शव्वाल 256 हिजूरी अर्थात 870 ईस्वी समरकंद में हुई।

इमाम मुस्लिम (रह़०)

आप का पूरा नाम 'अबू ह़सन मुस्लिम' था, आप का जन्म निशापुर में 206 हिजूरी में हुआ। आप इमाम मुस्लिम के नाम से प्रसिद्ध हैं। 17 वर्ष की

आयु में आपने ह़दीस का ज्ञान आरम्भ किया। ह़दीस एकत्र करने के उद्देश्य से आपने ईराक़, ह़िजाज, सीरिया, मिस्र, बगदाद आदि देशों और नगरों की यात्रा की। समस्त आयु ह़दीस एकत्र करने के कार्य में व्यतीत की। आप ने भी बड़ी सावधानी से ह़दीसों की छानबीन के बाद ही इनका चयन किया। आपने लगभग तीन लाख ह़दीसें एकत्र कीं। आप की मृत्यु 261 हिजूरी अर्थात 875 ई० में हुई।

ह़ज़रत अबू दाऊद (रह़०)

आप का पूरा नाम 'अबू दाऊद सुलेमान' था, आप सिस्तान में 202 हिजूरी अर्थात 817 ईस्वी में पैदा हुए। ह़दीस एकत्र करने के उद्देश्य से देश-विदेश की यात्रा की। आप के संकलन को 'सुनन' कहते हैं जिसमें कई हजार ह़दीसें पाई जाती हैं। आपने लगभग पाँच लाख ह़दीसें एकत्र की थी। आपकी मृत्यु 275 हिजूरी अर्थात 889 ईस्वीं सन् 888 में हुई।

इमाम इब्ने माजा (रह़०)

आप का नाम 'अबू अ़ब्दुल्लाह मुह़म्मद' था। आप 209 हिजूरी अर्थात 824 ईस्वीं में ईरान में पैदा हुए। आपने ह़दीस एकत्र करने के उद्देश्य से ईराक़, मिस्र, कूफा और ह़िजाज आदि देशों और स्थानों की यात्रा की और अपना संकलन किया, आपका संकलन भी 'सुनन इब्ने माजा' कहलाता है। आप प्रतिष्ठित विद्वान थे, आपने क़ुर्आन पर भी एक भाष्य लिखा। आपकी एक पुस्तक इतिहास पर भी है। आप की मृत्यु 273 हिजूरी अर्थात 887 ईस्वी में हुई।

इमाम तिर्मिज़ी (रह़०)

आप का नाम 'अबू ईसा अल् तिर्मिज़ी' था। आप तिरमज़ नगर 209 हिजूरी अर्थात 824 ईस्वीं में पैदा हुए। आप ने ख़ुरासान, ईराक़ और हिजाज की यात्रा कर के ह़दीसों को एकत्र किया। आप का संकलन जामेअ़ अस् सह़ीह़ के नाम से प्रसिद्ध है। आप ने पाँच लाख हदीसें एकत्र कीं, उनमें सें केवल कुछ का चयन किया। आपने ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की जीवनी पर भी एक पुस्तक लिखी और आप की मृत्यु 279 हिजूरी अर्थात 892 ईस्वीं में हुई।

इमाम नसई (रह़०)

आप का नाम अबू अ़ब्दुर्रह़मान नसई था। आप ख़ुरासान के नसा नगर में ह़िज्री 214 अर्थात 829 ईस्वीं में पैदा हुए। आपने भी ह़दीसों को एकत्र करने के लिए अनेक नगरों की यात्रा की। आप का संकलन भी सुनन कहलाता है, इसमें 4482 ह़दीसें हैं। आप की मृत्यु हिज्री 303 अर्थात 915 ईस्वीं में मक्का में हुई।

क़ुर्आन और ह़दीस में अन्तर

क़ुर्आन को अल्लाह की वाणी और ह़दीस को रसूल की वाणी माना जाता है। क़ुर्आन को ह़ज़रत जिब्रईल (अ़लै०) ने ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) तक पहुँचाया परन्तु ह़दीसें विभिन्न ह़दीसकारों द्वारा इकट्ठा की गईं। क़ुर्आन के ह़ाफ़िज़ (कंठस्थ करने वाले) बहुत होते हैं, परन्तु ह़दीसों के बहुत कम होते हैं। क़ुर्आन एक पुस्तक है जिसको समस्त मुसलमान प्रामाणित मानते हैं। क़ुर्आन की आयत जब किसी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वह तत्काल उसे स्वीकार कर लेता है। क़ुर्आन को समझने के लिए ह़दीस की भी आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में ह़दीस क़ुर्आन की व्याख्या है।

इस्लामी शरीअ़त का तीसरा स्रोत (इज्माअ़)

इज्माअ़ का शाब्दिक अर्थ होता है जमा होना। साधारणतः इससे अभिप्राय किसी एक बात पर सहमत होना। विशेष विद्वान जब धर्म की किसी समस्या पर एकमत हो जाते हैं तो उसे इज्माअ़ कहते हैं। विशेष विद्वानों से अभिप्राय ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के साथियों अथवा साथियों के साथियों से है।

यह लोग धर्म के जिस नियम पर एकमत हो गये वह मुस्लिम शरीअ़त **(Law)** में विधिवत् स्वीकृत हो गया।

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के साथी आप के आदेशों और क़ुर्आन की बातों से भली-भांति परिचित थे और उन समस्त बातों का ज्ञान इन साथियों से दूसरे साथियों और फिर उनके साथियों तक पहुँचता रहा।

इज्तिह़ाद-

इस शब्द का अर्थ होता है प्रयत्न करना, कोशिश करना, रास्ता ढूँढना अर्थात जहाँ क़ुर्आन और ह़दीस का आदेश साफ़ न हो वहाँ उचित रास्ता निकालना।

इस्लाम के कुछ विद्वानों का यह मत है कि इज्माअ़ प्रत्येक काल में उचित है। अतएव मुजू़तहिद का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो नवीन समस्याओं के हल में अपनी मानसिक शक्ति को बड़े परिश्रम और नेक कोशिश से उपयोग में लाए और उसकी सहायता से तर्कपूर्ण एवं बुद्धिपूर्ण परिणाम निकाल सके।

चार मुजू़तह़िद-

प्रारम्भ में शरीअ़त (मुस्लिम विधि) का ज्ञान क़ुर्आन और ह़दीस पर आधारित था, परन्तु बाद में कुछ ऐसी घटनाएँ सामने आने लगीं जिनके प्रति क़ुर्आन और हदीस में आदेश स्पष्ट नहीं थे, इसलिए इज्तिहाद की आवश्यकता मह़सूस होने लगी।

प्रारम्भ में चारों ख़लीफ़ाओं का इज्तिहाद पर्याप्त था और वही शरीअ़त के ह़ाकिमों के लिए नमूना था। अतः इन खलीफाओं के इज्तिहाद के उदाहरण एकत्रित किये जाने लगे। ह़दीसों के साथ-साथ ख़लीफ़ाओं के अधिकारियों को भी लिखित रूप दिया जाने लगा और यहीं से मुस्लिम न्यायशास्त्र (इ़ल्म फिक़ः) की नीव पड़ी।

मुस्लिम न्यायशास्त्र **(Islamic Jurisprudence)** को चार विद्वानों ने व्यवस्थित किया, इस प्रकार मुस्लिम न्यायशास्त्र के चार विचारक अस्तित्व में आए। न्यायशास्त्र के निर्माणकर्ता को इमाम कहते हैं।

शियों के अतिरिक्त समस्त मुसलमान शरीअ़त के आदेशों में इन इमामों (अबू ह़नीफ़ा, इब्ने मालिक, शाफ़ई और इब्ने हम्बल) को मुजू़तहिद मानते हैं और इन में से किसी एक का अनुसरण करना होता है। शरीअ़त में किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई मुस्लिम समर्थन नहीं करता है

चारो इमामों की जीवनी

चारो इमामों की जीवनी का संक्षिप्त वर्णन जिन्होंने चार न्यायशास्त्र की स्थापना की थी।

इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़०)

इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़०) का पद न्यायशास्त्री के रूप में सर्वोपरि है। आप ह़न्फ़ी मस्लक (सम्प्रदाय) के संस्थापक थे, आप कूफ़ा में 80 हिजूरी अर्थात 700 ईस्वी में पैदा हुए। आप का मृत्युकाल 150 हिजूरी अर्थात 776 ईस्वी (अथवा 769) माना जाता है, आप इमाम आ़ज़म (श्रेष्ठ) कहलाते। आप की सुप्रसिद्ध पुस्तक 'फ़िक़ा-ए-अकबर' कहलाती है।

आपने क़ुर्आन की शिक्षा को अपने न्यायशास्त्र की आधारशिला बनाया। यदि आपको किसी समस्या के लिए क़ुर्आन में कोई आयत न मिलती तो आप सदृश्य प्रमाण से काम लेते और अपना मत प्रकट करते।

अतएव आप सदृश्य और मत के आधार पर न्याय करने वालों के गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो गए और आप के अनुयायी ह़न्फ़ी कहलाते हैं।

इमाम अबू ह़नीफ़ा के शिष्यों में जो आप के पश्चात प्रसिद्ध हुए अपने गुरु अबू ह़नीफ़ा की न्यायशास्त्र-व्यवस्था में बहुत कुछ राय दी है। इससे यह स्पष्ट है कि ह़न्फ़ी न्यायशास्त्र में काफ़ी उदारता पाई जाती है। यही कारण है कि न्यायशास्त्र का यह मस्लक अधिक प्रसिद्ध है।

इमाम मालिक

आप मालिकी न्याय शास्त्र के संस्थापक थे। आप का पूरा नाम 'मालिक इब्ने अनस' था। आप 95 हिजूरी अर्थात 713 ईस्वीं में मदीना में पैदा हुए और 179 हिजूरी में वहीं आप का स्वर्गवास हुआ। आप मदीना में ही रहे। अतः ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के मदनी जीवन का आपके जीवन पर गहरा

प्रभाव पड़ा था। आप ने उन सब ह़दीसों को जो प्रचलित थी एकत्र किया और एक सुव्यवस्थित रूप दिया। न्यायशास्त्र पर आप ने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम 'किताबुल् मुवत्ता' है। 'मुवत्ता' का अर्थ होता है वह पथ जो लोगों के निरन्तर चलने से बन जाता है।

इस पुस्तक का बड़ा भाग ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथियों के कथनों और मतों पर आधारित है। आप का न्यायशास्त्र अ़रब निवासियों तथा उत्तर अफ़्रीका के मुसलमानों में अधिक स्वीकृत हुआ। आपने राय और क़ियास को अधिक महत्व न देकर ह़दीस और सुन्नत पर अपने न्यायशास्त्र की स्थापना की। कुछ बातों में आप का इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़०) से मतभेद है। इब्ने मालिक के शिष्य इमाम अश्-शाफ़ई थे, जिन्होने स्वयं एक नवीन न्यायशास्त्र मस्लक (सम्प्रदाय) की नींव रखी।

इमाम-अश-शाफ़ई

आप का जन्म 150 हिजूरी अर्थात सन् 769 ई० में सीरिया देश में और कुछ इतिहासकारों के अनुसार फ़िलिस्तीन देश में हुआ। आप का देहान्त 204 हिजूरी अर्थात सन् 819 ई० में मिस्र देश में हुआ। आप इमाम मालिक के सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे और आप ने मालिकी न्यायशास्त्र का गहरा अध्ययन किया था।

क़ुर्आन और सुन्नत से तथा ह़ज़रत के साथियों के कथनों और प्रवचनों से सुपरिचित थे।

इमाम शाफ़ई ने ह़दीसों के उपयोग में बड़ी सावधानी बरती है और जब तक एक ही विषय पर कई हदीसें नहीं मिल जाती थी तब तक आप को संतोष नहीं होता था। शाफ़ई सम्प्रदाय के अनुयायी उत्तर अफ़्रीका, मिस्र और अ़रबिस्तान के दक्षिणी राज्यों में पाये जाते हैं। भारत में मद्रास, केरल और मैसूर के कुछ भागों के मुसलमान इसी इमाम शाफ़ई को मानते हैं। श्रीलंका के मुसलमान भी इमाम शाफ़ई मस्लक (सम्प्रदाय) के अनुयायी हैं।

अह़मद इब्ने ह़म्बल

आप हम्बली मस्लक (सम्प्रदाय) के संस्थापक थे। 164 हिजूरी अर्थात सन्

780 ई० में आप बग़दाद में पैदा हुए और 241 हिजूरी अर्थात सन् 855 ई० में आप की मृत्यु हुई, आप इमाम शाफ़ई के शिष्य थे। आप नियमों का कठोरता से पालन करते थे, आप मोतजिली दर्शन के घोर विरोधी थे और सदैव उनके विरोध में तत्पर रहते थे। इस के कारण आपको कारावास का दुख भी सहन करना पड़ा, परन्तु आप अन्त तक अपने नियमों पर अडिग रहे और विरोधियों की तनिक भी परवाह नहीं की।

आप ने ह़दीसों का गहरा अध्ययन किया था और लगभग बीस हज़ार ह़दीसों को एकत्रित किया। आप की पुस्तक का नाम 'मुस्नद अह़मद' है, परन्तु आप ने इमाम बुख़ारी और इमाम मुस्लिम की भांति ह़दीसों का कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया।

इन के मानने वाले क़ुर्आन और हदीसों के अर्थ पर अधिक ज़ोर देते हैं, वह धर्म और न्याय के नियमों पर वाद-विवाद करना उचित नहीं समझते। इन के मानने वाले अधिकतर सऊदी अ़रब के मक्का में पाये जाते हैं।

इस्लामी शरीअ़त का चौथा स्रोत 'क़ियास'

क़ियास इस्लामी शरीअ़त का चौथा स्रोत है। क़ियास का अभिप्राय है किसी वस्तु से तुल्ना कर के किसी परिणाम तक पहुँचना। इसे तर्कशास्त्र में सदृश्य निगमन (**Analogical Deduction**) कहते हैं। सबसे पहले क़ियास का उपयोग ह़ज़रत उ़मर (द्वितीय ख़लीफ़ा) ने किया। आपने फ़रमाया–

जो चीज़ क़ुर्आन और ह़दीस में न मिले और उसके प्रति सन्देह हो तो उस पर विचार करे, ख़ूब सोचे और उसके सदृश्य घटनाओं की खोज करे और फिर उनसे क़ियास करे अर्थात सदृश्य घटनाओं की तुल्ना से किसी परिणाम को निकाले।

कियास की नींव वास्तव में क़ुर्आन, ह़दीस और अइम्मा (किसी एक बात पर सहमत होना) पर आधारित है। इमाम अबू ह़नीफ़ा ने अपनी व्यवस्था में क़ियास का उपयोग किया है।

निम्नलिखित उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि क़ियास किसे कहते हैं–

- क़ुर्आन में मादक द्रव्य का उपयोग वर्जित है। अब इससे यह क़ियास किया गया कि शराब और अफ़ीम नशा पैदा करती हैं इसलिए यह भी ह़राम है। जब कि क़ुर्आन में इन दोनों वस्तुओं का नाम लेकर उन्हें ह़राम नहीं बताया गया है।
- उ़ल्मा इस सम्बन्ध में इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि वही परिणाम अथवा क़ियास ठीक हो सकता है जिस पर मुस्लिम विद्वान एकमत हों।

संक्षेप में हम इसे यूँ कह सकते हैं कि वही क़ियास ठीक है जिस पर उपरोक्त चारों इमाम एकमत हों।

- क़ियास यह है कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने फरमाया, मेरी उम्मत हरगिज़ किसी गलत बात पर एकमत नहीं होगी और साथ ही आपने यह भी फ़रमाया कि मेरी उम्मत में मतभेद कृपा का चिन्ह है।
- आपके इन दोनों कथनों में असंगति पाई जाती है परन्तु यदि हम दूसरे

कथन पर विचार करें तो इसका अभिप्राय यह होगा कि यदि क़ौम में किसी बात को लेकर मतभेद भी होगा तो वह भी क़ौम के लिए कृपा का कारण होगा और उससे क़ौम में फूट आदि नहीं पड़ेगी।

क़ियास के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि हो सकता है कि एक युग के मुज़्तहिद (धार्मिक विषयों में विवेकपूर्ण निर्णय करने वाला) का क़ियास दूसरे युग के लोगों को स्वीकार न हो क्योंकि कोई न्यायी किसी ऐसे निर्णय को जो क़ियास पर आधारित हो दोषों से मुक्त नहीं समझता।

मुज़्तहिद क़ियास के विषय में दोष का पात्र हो सकता है, क्योंकि क़ियास का सम्बन्ध किसी एक मुज़्तहिद से होता है। अतएव इज्मा-ए-क़ियास की तुलना में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसमें न्यायशास्त्रियों का एकमत होना आवश्यक है।

इस्लाम के मूल विश्वास (ईमान)

ईमान शब्द का अर्थ होता है किसी के भरोसे पर किसी की बात को मान लेना अर्थात किसी बात पर इतनी सदृढ़ आस्था हो कि फिर किसी सन्देह के लिए स्थान ही न रहे। विश्वास कहते हैं किसी वस्तु पर हृदय की दृढ़ धारण तथा वाणी द्वारा उस वस्तु को स्वीकार करना विश्वास कहलाता है।

ह़दीस में ईमान शब्द विस्तृत अर्थ में प्रयोग हुआ है। बुख़ारी ईमान शब्द पर लिखते हैं-

- "ईमान की सत्तर से भी अधिक शाखाएँ हैं और ह़या ईमान की एक शाखा है"।

ईमान का अर्थ है मन की दृढ़ आस्था और इस्लाम का अर्थ है अल्लाह के समक्ष पूर्ण आत्म-समर्पण करना। क़ुर्आन और ह़दीस में मोमिन और मुस्लिम दोनों पर्यायवाची शब्द माने गये हैं। उदाहरणार्थ किताबुल् ईमान में ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) द्वारा कही गई कथा को बुख़ारी इस रूप में लिखते हैं-

"ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) एक दिन बाहर बैठे हुए थे कि उन से आकर एक व्यक्ति ने पूछा कि ईमान क्या है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने उत्तर दिया कि ईमान अल्लाह और उस के स्वर्गदूतों और उस के रसूल और मृत्यु के पश्चात् जीवन पर विश्वास करना है। फिर उसने पूछा, इस्लाम किसे कहते हैं? ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने उत्तर दिया, इस्लाम से अभिप्राय है एक अल्लाह की आराधना करना, नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना"। (बुख़ारी)

ईमान और मुक्ति (निजात)-

हर व्यक्ति के लिए जो निजात (मुक्ति) पाने का इच्छुक है यह आवश्यक है कि वह यह कलिमा "लाइलाहा इल्लल्लाह मुह़म्मदुर्रसूलुल्लाह" (नहीं है कोई उपास्य केवल अल्लाह के और ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उस के रसूल हैं) इसको

स्मरण करे इस पर विश्वास लाए और शुभ कार्य करें। ईमान के साथ अच्छे कार्य करने वाले को अल्लाह मुक्ति का अधिकारी बना देता है।

ईमान का सम्बन्ध मनुष्य के हृदय से है और इसके प्रकटीकरण के दो साधन हैं। एक तो यह है कि मनुष्य शब्दों द्वारा यह स्वीकार करता है कि वह इन बातों पर विश्वास रखता है और दूसरा साधन यह है कि वह केवल मौखिक रूप से कुछ शब्दों का उच्चारण ही नहीं करता वरन् उन्हें अपने व्यवहार में परिणत करने की भी चेष्टा करता है। वह कलिमा पढ़ता है, नमाज़ को नियमित रूप से पढ़ता है, हज, रोज़ा और ज़कात (दान) देना वह अपना कर्तव्य समझता है। वह उन कार्यों को जो एक मुसलमान के लिए अनिवार्य हैं उसे पूर्ण कर अपने विश्वास को प्रकट करता है। इन्ही कार्यों को करने से यह प्रकट होता है कि वह एक मुसलमान है।

ईमान के प्रकार–

ईमान के दो प्रकार हैं-

(क) ईमान मुजम्मल। (ख) ईमान मुफ़स्सल।

(क) ईमान–ए–मुजम्मल–

अल्लाह के एकत्व और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के अल्लाह का रसूल होने पर ईमान लाना ईमान–ए–मुजम्मल अर्थात ईमान का सारतत्व है।

तौहीद अर्थात अल्लाह का एक्य तथा हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रिसालत इस्लाम के केन्द्रीय नियम हैं।

- ईमान–ए–मुजम्मल की इन शब्दों में व्याख्या की जा सकती है।

"ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि वह अपने नामों एवं गुणों के साथ हैं और मैंने उसके समस्त नियमों को स्वीकार किया"।

(ख) ईमान–ए–मुफ़स्सल–

ईमान–ए–मुफ़स्सल यह है कि ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर और न्याय के दिन पर और इस पर कि ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर और न्याय के दिन पर और इस पर कि अच्छी व बुरी तक़्दीर

ख़ुदा की ओर से होती है और मृत्यु के बाद उठाये जाने पर।

- ईमान के निम्नांकित अंगों को मान लेना अथवा उन पर विश्वास लाना ईमान–ए–मुफ़स्सल कहलाता है।

(1) अल्लाह पर ईमान।

(2) फ़रिश्तो (स्वर्गदूत) पर ईमान।

(3) अल्लाह की किताबों (स्वर्गिक पुस्तकें) पर ईमान।

(4) रसूलों और नबियों पर ईमान।

(5) आख़िरत (परलोक) पर ईमान।

(6) तक़्दीर पर ईमान।

इन के साथ–साथ हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रिसालत को अन्तिम मानने पर और क़ुर्आन को अन्तिम ग्रन्थ मानने पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। इन में ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि यदि हम इन में से किसी एक कड़ी का भी इन्कार करें तो इसका अर्थ होगा समस्त भागों का इन्कार करना। इसीलिए इस्लाम ने मनुष्य के दो प्रकार बताए हैं, ईमान लाने वाले और ईमान का इन्कार करने वाले। ईमान लाने वाले मोमिन और इन्कार करने वाले काफ़िर कहलाते हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वास वह दीपशिखा है जिसके प्रकाश में मोमिन (विश्वासी) सीधे और टेढ़े पथों का भेद मालूम करता है। विश्वास प्रतिदिन शुभ कार्य करता है अर्थात विश्वास शुभ कार्यों पर आधारित है। इस्लाम में ईमान के बिना कोरे शुभ कार्यों को मुक्ति अथवा उद्धार का साधन नही माना जाता।

(1) अल्लाह पर ईमान

यह अल्लाह का गुण है कि वह अपने स्वरूप में भी एक है और अपने गुणों में भी एक है अर्थात तौहीद (एकेश्वरवाद) का अर्थ हुआ अल्लाह को एक समझना अथवा उसके एक होने पर विश्वास करना, उसके एक होने की घोषणा करना। साधारणतया हम यह कह सकते हैं कि केवल एक परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं और उस परमेश्वर को अल्लाह कहते है, फिर उस अल्लाह का किसी प्रकार का कोई भागी नहीं। वह एक है और स्वयं ही एक है।

अल्लाह और उसके गुण 'आदि' है उनके अतिरिक्त कोई चीज़ नहीं है। आदि का अभिप्राय है सदा से होना और सदा तक रहना। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस वस्तु का प्रारम्भ न हो अर्थात वह आदिकाल से ही उसे अनादि कहते हैं।

जिस वस्तु का अन्त न हो अर्थात् सदा रहे उसे अनन्त कहते हैं। इसलिए अल्लाह अनादि एवं अन्नत है। जब हम यह कह सकते हैं कि अल्लाह आदि है तो उसका यह अभिप्राय है कि वह अनादि एवं अन्नत है।

(1) अल्लाह एक है।
(2) उसका कोई आकार-प्रकार नहीं। न उसके हाथ हैं, न पाँव, न कान, न नाक।
(3) वह अतुल्य है, कोई वस्तु उसके तुल्य नहीं।
(4) सब उस पर आश्रित एवं आधारित हैं परन्तु वह निराधार है, उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं।
(5) वही समस्त संसार के प्राणियों का अन्नदाता है।
(6) अल्लाह ही प्रार्थना और आराधना के योग्य है और उसके अतिरिक्त कोई भी आराधना के योग्य नहीं है।
(7) वह सर्वज्ञ है, कोई वस्तु उससे छिपी नहीं।
(8) उसी ने पृथ्वी, आकाश, चाँद, सूर्य, स्वर्गदूत, मनुष्य, जिन्न अर्थात समस्त संसार का सृजन किया है और वही उसका स्वामी है।
(9) उसका कोई भागीदार अथवा साझीदार नहीं अर्थात् अल्लाह की सत्ता, उसके गुणों, उसके अधिकारों और स्वत्व में कोई साझीदार नहीं।
(10) उसने स्वर्गदूत को बनाकर विश्व के प्रबन्ध और विशेष कार्यों पर उनको नियुक्त किया।
(11) उसने अपनी सृष्टि के पथ-प्रदर्शन के लिए पैग़म्बर भेजे कि वह मनुष्यों को सत्य धर्म की शिक्षा दें, अच्छी बाते बताएँ और बुरी बातों से उन्हें बचाएँ।
(12) वह स्वयं न खाता है, न पीता है, न सोता है।
(13) न उसका पिता है, न बेटा, न बेटी, न पत्नी और न उसका कोई सम्बन्धी है। वह इन समस्त बन्धनों से मुक्त है।

(14) उसको किसी ने जन्म नहीं दिया।
(15) वह अनादि व अनन्त है।
(16) जीवन और मृत्यु उसी के आदेशाधीन हैं, वही मारता और जीवन देता है।
(17) वह सर्वशक्तिमान है, सर्वसामर्थी है।
(18) वह समस्त त्रुटियों से रहित है।

अल्लाह के विभिन्न नाम-

क़ुर्आन मजीद में अल्लाह के कई नाम आये हैं। इन नामों में रब सब से अधिक प्रसिद्ध है। इस शब्द का मौलिक अर्थ है पालने वाला। फिर स्वाभाविक रूप से इसमें कई अर्थों का प्रादुर्भाव हुआ है और इस तरह़ इस शब्द में बड़ी व्यापकता आ गई है। क़ुर्आन में यह शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है-

(1) 'रब' नाम मालिक या स्वामी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है अर्थात अल्लाह समस्त संसार का स्वामी है और समस्त प्राणीगण का मालिक है।
(2) 'रब' का दूसरा अर्थ है पालनकर्ता, संरक्षक, देखरेख करने वाला।
(3) 'रब' का तीसरा अर्थ है ह़ाकिम, शासक एवं व्यवस्थापक, विधाता, प्रबन्धकर्ता। यह बात स्मरण रखने योग्य है कि क़ुर्आन अल्लाह के रब होने पर अधिक बल देता है।

अर्रह़मान-

● क़ुर्आन में अल्लाह के लिए 'अर्रह़मान' नाम भी प्रयुक्त हुआ है। जो साधारणतया इस शब्द का अनुवाद है "जो अति दयालु" है परन्तु यदि हम इस शब्द पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि यह शब्द अल् और रह़मान के योग से बना है। 'रहमान' अथवा 'रहमान' शब्द पश्चिमी अ़रबिस्तान के मसीह़ी लोगों में ईश्वर के लिए प्रचलित था।

क़ुर्आन में और ह़दीसों में अल्लाह के अनेक नामों का उल्लेख है। शब्द अल्लाह को छोड़ नामों की संख्या लगभग 99 है और इन्हें अस्मा-ए-हुस्ना यानी सुन्दर नाम कहा जाता है। यदि हम इन 99 नामों की सूची पर दृष्टिपात करें तो हमे यह ज्ञात होगा कि कुछ नाम अल्लाह की जलाली सिफ़ात (आतंकमय गुणों

Terrible Attribute) को प्रकट करते हैं और कुछ नाम उसकी जमाली सिफ़ात (महिमायम गुणों **(Glorious Attributes)** को प्रकट करते हैं।

विद्वानों का यह मत है कि केवल अल्लाह ही एक ऐसा नाम है जो इस्मेज़ात (परमेश्वर का स्वरूप लक्षण युक्त नाम **The Essential Name of God**) है अर्थात यह नाम उसके अस्तित्व का प्रतीक है, शेष 99 नाम अल्लाह के गुण प्रकट करते हैं।

- क़ुर्आन के सूरः 7 से 180 में इस प्रकार अंकित है-

सुन्दर नाम (गुण) अल्लाह के ही लिए है, तो तुम उन्हीं नामों के द्वारा उसे पुकारो।

- क़ुर्आन मजीद में अल्लाह के समस्त नामों की सूची नहीं दी गई है, परन्तु टीकाकारों ने ह़दीसों की सहायता से इन नामों की सूची तैयार की है।
- ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से एक दन्तकथा सम्बन्धित है कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने कहा, वस्तुतः परमेश्वर के नाम 99 हैं, जो इन नामों का जाप करेगा उसका स्वर्ग में प्रवेश होगा। इसी ह़दीस में 99 नामों की सूची दी गई है। इन 99 नामों के साथ यदि अल्लाह शब्द को मिला दिया जाए तो कुल 100 नाम होते हैं।

अल्लाह के सुन्दर नामों में यह दो नाम 'अर्रह़मान' और 'अर्रह़ीम' सुप्रसिद्ध हैं।

(2) फ़रिश्तो (स्वर्गदूतों पर ईमान)

फ़रिश्ते का अर्थ और कार्य-

फ़रिश्ता शब्द के लिए अ़रबी में 'मलक' शब्द है। इस शब्द की व्युत्पत्ति अलक शब्द से छुई है जिसका अर्थ है 'सन्देशवाहक'। प्रत्येक मुस्लिम का कर्तव्य है कि फ़रिश्तों पर विश्वास रखें।

- ह़ज़रत आ़ईशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के अनुसार ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने उन्हें बताया था कि जिन्न अग्नि (आग) से पैदा हुए हैं। स्वर्गदूत प्रकाश (नूर) से हम स्वर्गदूतों को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, कुछ पैग़म्बरों ने उन्हें देखा है। स्वर्गदूत न स्त्रियाँ हैं, न पुरूष, उन में न पाप करने की शक्ति और

न अल्लाह के आदेशों का उल्लंघन करने की क्षमता है, यह अपार्थिव हैं, यह जिन्नों से भिन्न हैं।

क़ुर्आन मजीद में उन्हें रसूल अथवा संदेशवाहक कहा गया है, जो अल्लाह के सन्देश को तीव्रगति से पहुँचा देते हैं, यह अल्लाह के कार्यों को सम्पन्न करते रहते हैं। इस प्रकार यह अपने कार्य में लगे रहते हैं।

यद्यपि यह अल्लाह के सन्देश को नबियों तक पहुँचाते हैं, तथापि स्वयं शरीर धारण कर पृथ्वी पर मनुष्यों के निर्देश के लिए नहीं आ सकते।

चार विशिष्ट फ़रिश्ते-

फ़रिश्तों की संख्या कितनी है, इसका उल्लेख क़ुर्आन में नहीं है। अल्बत्ता चार फ़रिश्तों का ज़िक्र है जो अल्लाह के अत्यन्त निकट हैं।

(1) जिब्रईल (अ़लै०)-

यह अल्लाह के विशिष्ट दूत हैं, जो अल्लाह का सन्देश नबियों तक पहुँचाते हैं। यह अल्लाह की पुस्तकें आदेश और सन्देश पैग़म्बरों के पास लाते हैं। क़ुर्आन में इनको रुह़ भी कहा गया है। यह सामर्थ्यवान और विराट आकार वाले हैं। यह पल भर में आकाश से पृथ्वी पर आ जाते हैं।

(2) इस्राफ़ील (अ़लै०)-

अल्लाह का यह फ़रिश्ता अन्तिम दिन (क़ियामत) आवाज़ लगाएगा। जब आदेश होगा तो यह ऐसे भयानक स्वर में तुरही फूकेंगा कि सब प्राणी प्राण छोड़ देंगे और यही अन्तिम दिन के प्रारम्भ का संकेत होगा। फिर इस्राफ़ील पुनः अपनी तुरही फूँकेगा तब सब मृतक जीवित हो जाएँगे।

(3) मिकाईल (अ़लै०)-

अल्लाह का यह स्वर्गदूत सृष्टि की आवश्यकताओं की देखरेख में लगा रहता है।

(4) इज़राईल (अ़लै०)-

अल्लाह का यह स्वर्गदूत प्राणियों के प्राण लेने के लिए नियुक्त है, इसे

मलकुलमौत (यम) कहा जाता है।

इन चार विशिष्ट दूतों के अतिरिक्त और भी फ़रिश्ते हैं। जो इस प्रकार हैं-

(i) किरामन कातिबीन-

यह अ़रबी का शब्द है जिसका अर्थ है प्रतिष्ठित लिखने वाले। क़ुर्आन में इनकी ओर संकेत किया गया है। ह़दीसों में इनके सम्बन्ध में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है।

अल्लाह ने प्रत्येक व्यक्ति पर दो स्वर्गदूत दिन और रात में देखभाल के लिए नियुक्त किये है। एक दाहिने और एक बाएँ तरफ़ रहता है, जो मनुष्यों के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। शुभ तथा अशुभ जो भी कार्य मनुष्यों से होते हैं उनको लिख लेते हैं। इन्हें पहरेदार भी कहते हैं, लेकिन यह प्रायः किरामन कातिबीन के नाम से ही प्रसिद्ध हैं।

(ii) मुन्कर और नकीर-

यह दो फ़रिश्ते हैं जो क़ब्र में प्रायः मृतको से पूछताछ करते हैं। इनकी सूरत डरावनी, रंग काला और आँखे नीली हैं। सच्चे मोमिन जो इन स्वर्गदूतों को अच्छे उत्तर देते हैं इस बात को कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल पर विश्वास रखते हैं और उन के द्वारा दिये गये दीन पर अ़मल करता था।

● फ़रिश्ते विशेष अवसरों पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थ, जिब्रईल ह़ज़रत मरियम को मनुष्य के रूप में दिखाई दिये।

● एक ह़दीस में उल्लेख है कि जब तुम मुर्ग को बांग देते सुनो तो अल्लाह से दया माँगों, क्योंकि जब उसे फ़रिश्ते नज़र आते हैं तब वह बांग देता है।

● जब गधे को रोते सुनो तो “लाह़ौला वला क़ुव्वता” पढ़ो और “नऊजु बिल्लाह” कहो, क्योंकि वह शैतान को देख कर चिल्लाता है।

(3) हारूत और मारूत-

क़ुर्आन में इन दो स्वर्गदूतों का नाम भी आया है। वास्तव में यह भले स्वर्गदूत थे और इस जगत के भट्के हुए मनुष्यों का मार्ग-दर्शन करने और उन्हें सत्य पर लाने के लिए अल्लाह की आज्ञा से ये इस पृथ्वी पर आए थे।

यह भी विश्वास है कि कुछ स्वर्गदूत स्वर्ग का प्रबन्ध आदि करने के लिए नियुक्त किये गये हैं और कुछ दूत नरक का प्रबंध करने के लिए और कुछ दूत अल्लाह की स्तुति और आराधना में हर क्षण व्यस्त रहते हैं।

शैतान और जिन्न

(i) शैतान-

स्वर्गदूतों के उल्लेख के पश्चात यह उचित है कि शैतान अथवा इब्लीस का भी उल्लेख किया जाए। इब्लीस का शाब्दिक अर्थ है अत्यन्त निराश एवं शोकग्रस्त अथवा इन्कार करने वाला। यह इस्लामी विश्वास है कि जब अल्लाह ने ह़ज़रत आदम (अ़लै०) को बनाया और स्वर्गदूतों को यह आदेश दिया कि उसको सज्दा करें तो घमण्ड और बड़प्पन के कारण इब्लीस ने इस आदेश का पालन करने से इन्कार कर दिया तो उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज दिया गया। यह इब्लीस शैतान और अज़ाज़ील भी कहलाता है और वह अन्तिम दिन तक रहेगा, तत्पश्चात इसको भी नष्ट कर दिया जाएगा।

क़ुर्आन में उल्लेख है कि शैतान एक जिन्न है अर्थात वह अग्नि से उत्पन्न किया गया है जबकि आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है।

● ह़दीसों में यह भी उल्लेख है कि हर नवजात शिशु को शैतान स्पर्श करता है तब वह चिल्ला कर रोता है। शैतान मनुष्य के मन में सन्देह उत्पन्न करता है, वह क़ियामत तक मनुष्यों को पथभ्रष्ट करने में संलग्न रहेगा तथा उन्हें सत्य मार्ग से विचलित करने की पूरी चेष्टा करता रहेगा।

(ii) जिन्न-

जिन्न स्वर्गदूतों से एक पृथक प्रकार की जाति है। इन्हें ह़ज़रत आदम (अ़लै०) से पूर्व अग्नि से उत्पन्न किया गया था। इनमें कुछ ऐसे गुण पाये जाते हैं जो मनुष्य जाति के समान हैं।

उदाहरणार्थ वह खाते पीते हैं, उनके सन्तान होती है और वह मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कुछ इनमें ऐसे जिन्न भी है जो सैकड़ों वर्ष जीवित रहते हैं। जिन्नों में कुछ मुसलमान हैं, कुछ काफिर हैं जिन्हें नर्क की आग में डाला

जाएगा। क़ुर्आन मजीद में सूरः (72) में जिन्नों का वर्णन है।

(3) अल्लाह की किताबों पर ईमान

इस्लाम में किताब से अभिप्राय है वह पुस्तक जो मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए अल्लाह की ओर से किसी रसूल पर अवतरित होती है। यह किताब अल्लाह की वाणी होती है और इसे लोगों तक पहुँचाने एवं उसकी व्याख्या करने के लिए और व्यावहारिक रूप देने के लिए अल्लाह की ओर से रसूल या सन्देशवाहक (पैग़म्बर) भेजे जाते हैं। इन में से हज़रत मूसा (अ़लै०) पर तौरात, हज़रत दाऊद (अ़लै०) पर ज़बूर और हज़रत ईसा (अ़लै०) पर इन्जील और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर क़ुर्आन अवतरित हुआ। क़ुर्आन में अन्य तीनों का उल्लेख नाम सहित पाया जाता है।

अल्लाह की ओर से अवतरित किताब क़ुर्आन का पूरा-पूरा पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति इनमें लिखी हुई कुछ बातों पर विश्वास लाता है और कुछ मानने से इन्कार कर देता है तो वह काफ़िर होगा। इसी प्रकार क़ुर्आन के अवतरण से पूर्वकालिक समस्त किताबें निरस्त हो गई हैं। और जो तैरात, ज़बूर और इन्जील की पांडुलिपियाँ वर्तमान काल में प्रचलित हैं वह विश्वास के योग्य नहीं।

(क) तौरात-

तौरात हज़रत मूसा (अ़लै०) पर अवतरित हुई थी, परन्तु जो पांड्लिपि वर्तमान समय में पाई जाती है वह शुद्ध एवं मौलिक नहीं है।

(ख) ज़बूर (भजन संहिता)-

क़ुर्आन में उल्लेख है कि हमने दाऊद को ज़बूर दिया। अतएव क़ुर्आन के अतिरिक्त अन्य अवतरित पुस्तकों को निरस्त माना जाता है।

(ग) इन्जील-

क़ुर्आन मजीद में आया है कि हमने मरियम के बेटे ईसा को भेजा और हमने उसे इन्जील प्रदान की।

इंजील एक ऐसी पुस्तक थी जो हज़रत ईसा (अ़लै०) की ही भाषा (सीरियाई अथवा इब्रानी) में परमेश्वर ने हज़रत ईसा पर अवतरित की थी।

(घ) क़ुर्आन मजीद-

क़ुर्आन सब किताबों से श्रेष्ठ और अन्तिम ग्रन्थ है जो क़ियामत तक सुरक्षित रहेगा, इसमें ऐसे नियम और आदेश पाये जाते हैं जो प्रत्येक काल, देश और जाति के लिए पर्याप्त हैं।

क़ुर्आन का प्रत्येक शब्द सुरक्षित है, इसलिए इसमें एक बिन्दु का भी हेरफेर नहीं किया जा सकता। क़ुर्आन मनुष्य की वाणी नहीं यह अल्लाह का वचन है, यह अपौरुषेय है। यह अन्तिम धार्मिक कानून अथवा धर्मशास्त्र है, इसलिए समस्त पूर्वकालीन धार्मिक कानून निरस्त कर दिये गये हैं। इसके पश्चात कोई और आध्यात्मिक किताब अवतरित न होगी और न कोई अन्य धर्मशास्त्र प्रचलित होगा।

(च) लौहे़ महफ़ूज़ (सुरक्षित पट्टिका)-

क़ुर्आन में लौहे़ महफ़ूज़ शब्द का उल्लेख केवल एक बार आया है। इसका अभिप्राय है कि एक ऐसी पट्टिका है जिसकी हर समय चौकसी की जाती है। यह सामान्य विश्वास है कि क़ुर्आन आसमान में अल्लाह के सिंहासन के निकट एक सुरक्षित पट्टिका पर लिखा है, जहाँ से हज़रत जिब्रईल (अ़लै०) उसके अंश हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को सुनाते रहे।

एक और भी विश्वास यह है कि किताब के सिद्धान्त और मुख्य रहस्य अल्लाह की ओर से पैग़म्बरों के हृदय में अवतरित होते हैं और इनके शब्दों और अर्थों में पैग़म्बर अपनी बुद्धि, विवेक संकल्प और इच्छा से चितमात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए शब्दार्थ और भावार्थ दोनों ही अल्लाह की ओर से दिये गये हैं अर्थात वह अल्लाह का वचन होते हैं। किताब वह दीपक है जो पथ-प्रदर्शक के हाथ में होती है, वह स्वयं भी इसकी ज्योति में सीधे मार्ग पर चलता है और दूसरों को भी सीधे मार्ग की ओर ले जाने में उनका नेतृत्व करता है। अतएव प्रत्येक किताब के साथ एक पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता है और कोई भी किताब बिना पथ प्रदर्शक के अवतरित नहीं हुई।

(4) रसूलों और नबियों पर ईमान

(क) रसूल का अर्थ–

इस्लाम धर्म में रसूल शब्द का उपयोग एक विशेष अर्थ में किया गया है। रसूल वह है जो अल्लाह का सन्देश मनुष्यों तक पहुँचाए और अल्लाह और अल्लाह के आदेशानुसार सीधे मार्ग पर उनका नेतृत्व करे। क़ुर्आन मजीद में अन्य पैग़म्बरों के साथ-साथ ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रिसालत को स्वीकार करना विश्वास का अनिवार्य सिद्धान्त है और यदि कोई सब नबियों (भविष्यवक्ता) पर विश्वास रखता हो और केवल ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को सन्देश वाहक मानने से इन्कार करे तो वह काफ़िर है।

रसूल अल्लाह के सर्वप्रिय बन्दे होते हैं वह मनुष्यों को अल्लाह के प्रति आज्ञाकारिता की शिक्षा देते हैं, मुक्ति का न्यौता देते हैं, कुफ़्र तथा अल्लाह के भागीदार के विचार की भर्त्सना करते हैं। अल्लाह की ओर से अलौकिक ज्ञान एवं अलैकिक दृष्टि का वरदान उन्हें प्राप्त होता है। वह अल्लाह के आदेशानुसार अद्‌भुत कार्य करते हैं। जैसा कि क़ुर्आन में लिखा है–

"हमने उन्हें कोई ऐसा शरीर नहीं दिया था कि वह खाना न खाएँ और न वह संसार में सदैव रहने वाले थे"।

अर्थात् रसूल होते तो इन्सान हैं जो अल्लाह की इच्छाओं, नियमों और आदेशों को मनुष्यों तक पहुँचाते हैं, वह सच्चे होते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते, पाप नहीं करते और अल्लाह के आदेशों में कुछ घटा-बढ़ा नहीं सकते। रसूल के लिए पैग़म्बर शब्द का भी उपयोग किया जाता है।

पैग़म्बर फ़ारसी भाषा का शब्द है। सब नबी एक ही समूह के सदस्य है और सबकी शिक्षा, सबका धर्म एक ही है। सब एक ही सीधे पथ की ओर मनुष्यों को आमंत्रित करते हैं।

हर विश्वासी के लिए इन नबियों पर विश्वास लाना आवश्यक है, परन्तु कुछ नबियों की शिक्षा को उनके स्वार्थी अनुयायियों ने परिवर्तित कर दिया है। इन पैग़म्बरों की ठीक-ठीक संख्या मालूम नहीं है, परन्तु कुछ दंत कथाओ के

अनुसार इनकी संख्या लगभग एक लाख चौबीस हज़ार बताई जाती है।

क़ुर्आन मजीद में लगभग 25 पैग़म्बरों के नाम आये हैं जिसमें ह़ज़रत नूह़, ह़ज़रत इस्ह़ाक़, ह़ज़रत यूनुस, ह़ज़रत यह़्या, ह़ज़रत इब्राहीम, ह़ज़रत इस्माईल, ह़ज़रत याक़ूब, ह़ज़रत अय्यूब, ह़ज़रत मूसा, ह़ज़रत सुलेमान, ह़ज़रत ज़करिया, ह़ज़रत ईसा, ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अधिक प्रसिद्ध हैं।

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अन्तिम पैग़म्बर या रसूल हैं और समस्त नबियों और रसूलों में श्रेष्ठ तथा सम्मानीय हैं, आपके पश्चात कोई नबी नहीं आएगा। मगर ह़ज़रत ईसा (अ़लै०) अन्तिम समय इस जगत में आएँगे, परन्तु वह ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के द्वारा दिये गये धार्मिक नियमों के अनुयायी होंगे और ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के प्रतिनिधि होंगे। वह लोगों को इस्लाम धर्म को स्वीकार करने की शिक्षा देंगे। ह़ज़रत आदम (अ़लै०) प्रथम नबी थे। इन नबियों में से यह विशेष नबी हैं।

(1) ह़ज़रत आदम (अ़लै०)
(2) ह़ज़रत नूह़ (अ़लै०)
(3) ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लै०)
(4) ह़ज़रत ईसा (अ़लै०)
(5) ह़ज़रत मुह़म्मद (अ़लै०)

(ख) पैग़म्बरों के सद्‌गुण–

(1) सत्यता (सदाक़त)– पैग़म्बर का यह कर्तव्य है कि वह अल्लाह की ओर से जो सन्देश उन को प्राप्त होते है उन्हें ज्यों का त्यों घटना सहित लोगों तक पहुचाएँ। कोई सन्देश घटा बढ़ाकर या घटना के विपरीत सूचित न करे। परमेश्वर के एक होने की घोषणा करें और उसकी आराधना के प्रति लोगों में अनुराग उत्पन्न करे।

(2) धरोहर (अमानत)– पैग़म्बरों का आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार समान होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वह सत्य की घोषणा निरमयता से करें और उनका कोई कार्य ऐसा न हो जिसमें उनकी निजी इच्छा की झलक पाई जाए। वह अल्लाह के आदेशों का पालन करने वाले हों तथा शुद्ध जीवन व्यतीत करें।

(3) प्रचार (तब्लीग़)- परमेश्वर के आदेश को स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुचाएँ किसी विरोध से भयभीत न हों। परमेश्वर के सन्देश को किसी भी परिस्थिति में न छिपाएँ और लोगों को शुभ कार्य करने का परामर्श दें।

(4) बुद्धिमता (ह़िक्मत)- पैग़म्बर प्राज्ञ दूरदर्शी होते हैं और इन गुणों में वे साधारण व्यक्तियों से श्रेष्ठ होते हैं।

(5) अनपेक्षित बातें- वह कार्य जो पैग़म्बरों से कभी नहीं होते अर्थात जिनका उनसे होना असम्भव है। यह है असत्य वचन, परमेश्वर के नियमों की उपेक्षा, सत्य को छिपाना, क्रोध करना, निकृष्ट व्यवसाय अपनाना अथवा परित कार्य करना, किसी नीची जाति की सन्तान होना अथवा नीच वंश का सदस्य होना। पैग़म्बरों से कोई गल्ती नहीं होती, इसलिए पैग़म्बरों का आज्ञाकारी होना ज़रूरी है।

(6) शारीरिक आवश्यकताएँ- पैग़म्बरों में श्रेष्ठ गुण होते हुए भी वे शारीरिक आवश्यकताओं के बन्दी भी होते हैं। उदाहरणार्थ वे अन्य मनुष्यों की भांति खाते हैं, भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी का उन्हें अनुभव होता है। बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। थकन होने के कारण उन्हे विश्राम की आवश्यकता भी रहती है। वह अन्य मनुष्यों की भांति सोते-जागते भी हैं और किसी सम्मानीय व्यवसाय को भी अपना लेते हैं, परन्तु कोई ऐसा व्यवसाय नहीं करते जो कलंकित हों।

(7) पवित्रता- पैग़म्बर पाप रहित होते हैं यह विश्वास है कि समस्त नबी निष्पाप होते हैं, क्योंकि उन पर परमेश्वर का अनुग्रह सदैव बना रहता है।

यह तो सच है कि नबी पाप और दुष्कर्म से मुक्त होते हैं, परन्तु फिर भी यदाकदा परमेश्वर नबियों को धैर्य और दृढ़ता की शिक्षा देने के लिए तथा कठिनाईयों में साहसी और ऐश्वर्य में कृतज्ञ बनने के लिए दुःखों और विपत्तियों में डाल देता हैं, ताकि दूसरों को भी इससे शिक्षा मिले और लोग नबियों के अद्‌भुत कार्य देखकर उन्हें परमेश्वर न मान लें। कुछ पैग़म्बरों को विपत्तियों में डालना परमेश्वर की अपनी ही इच्छा होती है, जिसे मनुष्य की बुद्धि नहीं समझ सकती।

(5) आख़िरत (परलोक) पर ईमान

(क) मौत का अर्थ- मौत (मृत्यु) का अर्थ है परिवर्तित हो जाना अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, संसार को त्याग पर परलोक सिधारना। मृत्यु के समय मनुष्य की आत्मा (रुह़) उसके शरीर से पृथक हो जाती है।

(1) मृत्यु के समय (नज़अ)- प्राण का अन्त अर्थात दम टूटना। मरने के निकट आत्मा (रुह़) का घबराना और शरीर से निकलने के लिए छटपटाना। मृत्यु के निकट मनुष्य को कुछ ऐसे तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं जो अब तक उसकी दृष्टि से लुप्त थे।

सज्जन पुरुषों को विश्राम और आनन्द के दृश्य दिखाई देते हैं। वह स्वर्गदूतों को दिन्य ज्योति में देखते हैं, परन्तु दुष्ट, काफिर और बहुदेव-उपासक, दुख, कष्ट, वेदना और पीड़ा के दृश्य देखते हैं और डरावनी वस्तुओं को देखते हैं। उस समय मनुष्य को यह होश नहीं रहता कि वह कहाँ है और कौन लोग उसके समीप खड़े हैं, वह अपने प्रिय बन्धुओं को भी नहीं पहचानता।

उस समय मृत्यु का यम व्यक्ति की आत्मा को अपने अधिकार में ले लेता है, इस दशा को जाँनकनी कहते हैं। यह दुःख सब को होता है, किसी को कम, किसी को अधिक।

मोमिन के लिए यह पीड़ा उसके पापों के लिए प्रायश्चित अथवा पापों की शुद्धि के लिए किया जाने वाला कृत्य बन जाता है। आत्मा को शरीर से निकालने के पश्चात स्वर्गदूत उसे आसमान की ओर ले जाते हैं। यदि वह किसी दुष्ट की आत्मा होती है, तो यह आदेश मिलता है कि इसे कष्ट पहुँचाओ।

इ़ल्लीयीन- यह विश्राम और सुख का स्थान है, जिसमें सदाचारी आत्माएँ क़ियामत तक ठहराई जाएँगी। सिज्जीन वह स्थान है जहाँ पर दुष्ट आत्माएँ क़ियामत तक रहेंगी। यह बड़े दुख और कष्ट का स्थान है।

अ़ज़ाबे क़ब्र (क़ब्र में दुख और तक्लीफ़)-

मृतक यदि गाड़ दिया जाए तो क़ब्र में और यदि गाड़ा न जाए तो जिस

दशा में होगा उसी में दो स्वर्गदूत मुन्कर और नकीर आते हैं और पूछते हैं कि ऐ मनुष्य! तुम्हारा रब कौन है! तुम किस धर्म के हो और किस के अनुयायी हो? यदि वह मनुष्य ईमान वाला और सदाचारी होता है और इस बात की घोषणा करता है कि मैं अल्लाह का बन्दा हूँ और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का अनुयायी हूँ और मेरा धर्म इस्लाम है तो उसके लिए तुरन्त विश्राम और सुख के सब साधन जुटा दिये जाएँगे और यदि वह मनुष्य इस बात को स्वीकार करता है कि वह ईमान वाला नहीं और कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता तो उस पापी पर अल्लाह का प्रकोप छा जाएगा।

पुण्य (सवाब)–

प्रार्थना से मृतक और जीवित दोनों को पुण्य प्राप्त होता है। मृतकों के लिए प्रार्थना करने से उन्हें पहुँचता है। सद्क़ा और दान से भी मृतकों को पुण्य पहुँचता है।

(ख) क़ियामत–

इसका अभिप्राय है अन्तिम दिन अथवा न्याय का दिन। इसे रोज़-ए-महशर भी कहते हैं। क़ियामत का शाब्दिक अर्थ होता है उठना। भावार्थ के अनुसार अन्तिम दिन के बाद समस्त मृतक अल्लाह के आदेश से अपने कार्यों का फल पाने के लिए पुनः जीवित किये जाएँगे।

क़ियामत के पूर्व अर्थात अन्तिम दिन समस्त संसार नष्ट कर दिया जाएगा। सब जीव मृत्यु को प्राप्त होंगे और यह उस समय होगा जब इस्राफ़ील (अ़लै०) तुरही फूँकेगा। उस तुरही की आवाज़ इतनी भयानक होगी कि उसके सुनते ही सब प्राणी मर जाएँगे। अल्लाह के अतिरिक्त कोई वस्तु अस्तित्व में न रहेगी।

क़ियामत के दिन एक नवीन संसार की रचना की जाएगी, अल्लाह न्याय करेगा। प्रत्येक व्यक्ति से उसके कार्यों का लेखा जोखा लिया जाएगा। मनुष्यों को उस दिन नया जीवन दिया जाएगा और अपने परमेश्वर के सम्मुख होंगे और उस दिन उनके कार्यों को तौला जाएगा और उन सब का न्याय किया जाएगा।

अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग और बुरे कर्मों का फल नरक होगा। जब कोई मुसलमान इस नियम को स्वीकार करता है तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि

मनुष्य अपनी करनी का स्वयं ही उत्तरदायी है।

क़ुर्आन मजीद में उल्लेख है कि यह संसार केवल अस्थायी निवास है। मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं वरन इससे परे भी जीवन है जो अधिक स्थायी एवं उत्तम है। मनुष्य जो कर्म इस संसार में करता है उनका लेखा सुरक्षित रहता है और उन्हीं कर्मों को तौला जाएगा और मनुष्यों से पूरा-पूरा हि़साब लिया जाएगा क्योंकि मनुष्यों को उनके कार्यों के अनुसार फल प्राप्त होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि वे सशरीर जीवित किये जाएँगे।

क़ुर्आन मजीद में है कि जिन्होंने कुफ़्र किया वह कहते हैं, हम पर वह घड़ी क़ियामत न आएगी आप बता दीजिए कि सब कुछ खुली किताब में अंकित है। क़ियामत आएगी ताकि वह उन लोगों को बदला दे जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किये। यह वह लोग है जिनके लिए क्षमा है और सम्मानित रोज़ी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप की, उनके लिए बहुत ही बुरा अ़ज़ाब है—दुःख भरा।

जो शरीर जीवित होंगे उनमें आत्मा भी होगी, बुद्धिमान, मूर्ख, दुष्ट, पशु, कीड़े, मकोड़े और पक्षी सब अन्तिम दिन जीवित हो जाएँगे। क़ियामत के समय और दिन का ज्ञान अल्लाह के अतिरिक्त किसी को नहीं है।

एक ह़दीस में यह उल्लेख है कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने जिब्रईल (अ़लै०) से क़ियामत के दिन के सम्बन्ध में पूछा था, परन्तु उसने भी इसकी जानकारी से इन्कार किया। फिर भी क़ियामत के दिन कुछ चिन्हों का उल्लेख ह़दीसों में है और यह चिन्ह इस प्रकार हैं-

क़ियामत से पहले–

क़ियामत से क़रीब लोगों में विश्वास की कमी होगी, कमीने और पतित लोग ऊँचे पदों पर नियुक्त होंगे, भोग विलास में लीन होंगे। स्थान-स्थान पर विद्रोह होंगे और अपार दुःख व कष्ट चारों ओर छा जाएगा।

क़ियामत से पहले की भविष्यवाणियाँ–

सूर्य पश्चिम से उदय होगा। पश्चाताप या तौबः का द्वार बन्द हो जाएगा अर्थात किसी का भी पश्चाताप स्वीकार न होगा।

दाब्बतुल अर्ज़ प्रकट होगा, यह एक पशु है। जिस दिन सूर्य पश्चिम से उदय होगा उसके एक दिन बाद यह मनुष्य की भांति दिखाई देने वाला पशु सफ़ा पहाड़ से निकलेगा। यह पशु प्रत्येक दिशा में यात्रा करेगा। जो लोग नाम के मुसलमान होंगे उनका भेद खुल जाएगा और ढ़ोंगियों का ढोंग प्रकट हो जाएगा।

दज्जाल का प्रकट होना–

दज्जाल को झूठा मसीह़ भी कहा गया है। वह काना होगा और उसके ललाट पर क़ाफ़, फ़ा और रा अर्थात काफ़िर के अक्षर लिखे होंगे। वह गधे पर सवार होगा, यहूदियों की एक बड़ी सेना उसके पीछे होगी। जिधर जाएगा विनाश फैलाता जाएगा परन्तु मक्का और मदीना के नगर सुरक्षित रहेंगे। अन्त में ह़ज़रत ईसा (अ़लै०) आकर उसे नष्ट कर देंगे।

इमाम मेंहदी का प्रकट होना–

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की भविष्यवाणी के अनुसार एक व्यक्ति मेंहदी, जिसका उचित मार्ग दर्शन किया गया है प्रकट होगा। इसका नाम स्वयं ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के नाम पर होगा और आप ही के वंश से होगा।

याजूज और माजूज का निकलना–

यह वह लोग हैं जो झगड़ालू, अत्याचारी, बलात्कारी, निर्दयी और दुष्ट हैं। यह एक घाटी में रहते हैं जिसके चारों ओर ऊँची और मज़बूत दीवारें बनी हुई हैं। क़ियामत के निकट यह दीवारें स्वयं गिर पड़ेगी और मार्ग खुल जाएगा। यह लोग यहाँ से निकल कर उपद्रव और विनाश फैला देंगे, लोगों को सताएँगे, यहाँ तक कि यह लोग यरोशलम में प्रवेश कर जाएँगे। उस समय ह़ज़रत ईसा (अ़लै०) उनके विनाश की प्रार्थना करेगे तो परमेश्वर उन्हें अ़ज़ाब देकर ख़त्म कर देगा। फिर उनके शव पक्षी उठा ले जाएँगे, फिर सात वर्ष तक पृथ्वी पर अकाल पड़ेगा, परन्तु परमेश्वर वर्षा कर पृथ्वी को पुनः उपजाऊ बना देगा।

ह़ज़रत ईसा (अ़लै०) का पुनः आगमन–

इसी प्रकार ह़ज़रत ईसा (अ़लै०) के पुनः आगमन का उल्लेख क़ुर्आन मजीद के टीकारारों में से विशेष कर बैजावी, जलालुद्दीन आदि ने सूरः इमरान

और सूरः निसा के कुछ पदों की व्याख्या करके यह प्रमाणित किया है कि ह़ज़रत ईसा (अ़लै०) जिन्हें जीवित सशरीर परमेश्वर ने उठा लिया था, पुनः क़ियामत से पूर्व पृथ्वी पर आएँगे।

चूंकि क़ुर्आन मजीद में ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को अन्तिम नबी (ख़ातिमुल् अम्बिया) कहा गया है, इसलिए टीकाकारों का यह विश्वास है कि जब ह़ज़रत ईसा (अ़लै०) का पुनः आगमन होगा तो वह कोई नवीन धर्म व्यवस्था अथवा किताब लेकर नहीं आएँगे, बल्कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की पैरवी करेंगे। वह सलीब को तोड़ डालेंगे, लोग उन्हें नमाज़ पढ़ाने के लिए इमाम के स्थान पर खड़ा होने के लिए कहेंगे, परन्तु आप एक नेक मुसलमान के ह़क़ में इस पद को ग्रहण करना अस्वीकार कर देंगे।

ह़दीसों में यह भी आया है कि आप विवाह करेंगे और आप की सन्तान भी होगी। मृत्यु प्राप्त करने पर आप मदीना में दफ़न किये जाएँगे, आप दज्जाल का वध करेंगे। आपका युग उन्नति एवं सुरक्षा का काल कहलाएगा और आप क़ियामत का आख़िरी चिन्ह होंगे।

(ग) दण्ड एवं पुरस्कार–

क़ियामत के पश्चात जब समस्त मृतक जीवित कर दिये जाएँगे तब वह परमेश्वर के समक्ष अपने कर्मों के दण्ड और पुरस्कार के लिए उपस्थित होंगे। सदाचारी मुसलमान बहिश्त (स्वर्ग) में प्रवेश पाएँगे और दुराचारी मुसलमान और काफ़िर तथा बहु देववादी नरक (दोज़ख) में डाल दिये जाएँगे। नबियों और महात्माओं के निवेदन एवं प्रार्थना से दुष्ट मुसलमान नरक की आग तथा पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। दण्ड और पुरस्कार का विस्तृत विवेचना इस प्रकार है–

तराज़ू मीज़ान–

एक तराज़ू होगी जिसमें लोगों के शुभ और अशुभ कार्य तौले जाएँगे। जिनका शुभ कार्यों का पलड़ा भारी होगा वह स्वर्ग में जाएँगे और जिनका अशुभ कार्यों का पलड़ा भारी होगा वह नरक में जाएँगे और प्रत्येक व्यक्ति का कर्म-पत्रक उसके हाथ में दिया जाएगा। सदाचारी इसे पढ़कर हर्षित होगा और उसका मुख तेजोमय

हो उठेगा तथा काफिर का मुख काला हो जाएगा।

पुल सिरात–

यह एक पुल है जो तलूवार की धार के समान तीक्ष्ण और सिर के बाल से भी अधिक बारीक है जो नरक के ऊपर स्थित है। सब को इस पर से होकर गुज़रना पड़ेगा। कुछ सुरक्षित रूप से इसे पार कर लेंगे और कुछ कट कर नीचे नरक में जा गिरेंगे।

हौज़ (कुण्ड)–

प्रत्येक नबी के पास एक कुण्ड होगा। इस कुण्ड से वह अपने अनुयायियों को स्वर्ग में प्रवेश होने से पूर्व पानी पिला कर उनको तृप्त करेंगे। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का कुण्ड सबसे बड़ा होगा इतना बड़ा कि लहर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने के लिए एक मास का समय लगेगा उसका पानी शहद से अधिक मीठा और दूध से अधिक सफ़ेद होगा। इसी कुंड को कौसर का कुण्ड कहा जाता है। जैसा कि क़ुर्आन मजीद में भी इसका संकेत मिलता है, 'हमने' तुम्हें प्रदान किया कौसर। कुछ विद्वानों के मतानुसार कौसर एक नहर का नाम है जो स्वर्ग में बहती है।

(घ) स्वर्ग और नरक का विवरण–

स्वर्ग (जन्नत)–

स्वर्ग को अ़रबी भाषा में जन्नत कहते हैं। फ़िरदौस यद्यपि जन्नतों में से एक जन्नत का नाम है। प्रायः इस शब्द का उपयोग सामान्य रूप से स्वर्ग के अर्थ में होता है। स्वर्ग एक आशीष युक्त भवन है जैसा कि क़ुर्आन मजीद में जन्नत के सन्दर्भ में है–

"उसके बदले में मैंने उन्हें जन्नत और रेशमी कपड़े प्रदान किये। वह वहाँ ऊँची मस्नद पर तकिये लगाये हुए होंगे, वहाँ न सूर्य का तपन देखेंगे और न कड़ाके का जाड़ा"।

वहाँ उन पर छाया पड़ रही होगी और उसके मेवे झुका कर बिल्कुल वश में कर दिये गये होंगे। उसके पास घूमक आ रहे चाँदी के बर्तनों में उन्हें वहाँ

ऐसे मद्य का पान कराया जा रहा होगा जो सोंठ मिला कर तैयार किया गया है। उनके पास ऐसे लड़के आ जा रहे होंगे जिनकी अवस्था सदा एक ही रहेगी। तुम उन्हें देखोगे तो समझोगे कि मोती बिखरे हुए हैं और वहाँ देखो तो तुम्हें दिखाई देगा परम सुख और महान राज्य।

उन पर बारीक हरे रेशमी कपड़े होंगे और वह दबीज़ रेशमी कपड़े तथा चाँदी के कंगन से आभूषित किये गये होंगे। उन्हें उनके रब ने स्वच्छ पेय पिलाया था। इस भवन में भोग विसाल की सब सामग्री उपलब्ध होगी किसी बात का अभाव न होगा।

वहाँ न मृत्यु होगी, न वृद्धावस्था। वहाँ कुंवारी युवतियाँ होंगी जिनसे सन्तान उत्पन्न न होगी। उन्हीं को हूरें भी कहा गया है–

बड़ी सुन्दर आँखों वाली परम रूपवती स्त्रियाँ जैसे धराऊ मोती हों। जो कुछ वह करते थे यह उसका बदला है। हमने उन स्त्रियों को एक विशेष उठान पर उठाया है और हमने उन्हें कुंवारी बनाया है। प्रेयसी, समायु, दाहिनी ओर वालों के लिए। स्वर्ग में रहने वालों को बिना किसी श्रम के जो वह चाहेंगे खाने पीने को मिलेगा। स्वर्ग की भूमि मुश्क (कस्तूरी) की और ईटें सोने चाँदी की होंगी। वहाँ दूध, शहद और शराब की नदियाँ बहती होंगी।

स्वर्ग के अनेक स्तर हैं। एक ह़दीस में ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने स्वयं ही कहा है कि स्वर्ग के 100 स्तर हैं, परन्तु सामान्य विश्वास यह है कि स्वर्ग के आठ दरवाज़े हैं और उन आठों दरवाज़ों के विभिन्न नाम भी हैं। इन नामों का क़ुर्आन मजीद में उल्लेख पाया जाता है। यह विश्वास है कि स्वर्ग का जो उल्लेख क़ुर्आन मजीद में पाया जाता है वह यथार्थ और अक्षरशः सत्य है।

नर्क (दोज़ख)–

यह शब्द फ़ारसी का है। क़ुर्आन मजीद में जहन्नम शब्द का जो इस शब्द के समानार्थी हैं, कई बार उल्लेख आया है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ आग ही आग होगी। काफ़िर बहुईश्वरवादी और ढोंगी इस आग में सदैव ही जलते रहेंगे। यह एक अति भयानक स्थान है जिसमें अनेक प्रकार के कष्ट और विभिन्न प्रकार की यातनाएँ होंगी।

जैसा कि क़ुर्आन मजीद में है-

"जहन्नम घात में है, सरकश लोगों का ठिकाना है, जिसमें वह मुद्दत पर मुद्दत बिताते रहेंगे। न वहाँ किसी ठण्डक का आस्वादन करेंगे और न किसी पीने की चीज़ का सिवाय खौलते पानी और पीप रक्त के, बदला ठीक-ठीक।

नरक के भी सात द्वार हैं और इनके नाम क़ुर्आन मजीद में आये हैं। टीकाकारों का यह कहना है कि प्रत्येक निश्चित हिस्सा एक विशेष समूह के लिए है। उस में एक नाम हुतमा और इसी प्रकार हाविया एक अथाह गड्ढा है जिसमें ढोंगी और दुष्ट लोग डाले जाएँगे, पापी मुसलमानों का स्थान जहन्नम में है। यह वह निश्चित हिस्सा है जहाँ मुसलमान अपने पापों का दण्ड भोग कर अन्त में स्वर्ग में प्रवेश पाएँगे"।

अल् अअ़राफ़-

अअ़राफ़ वास्तव में ऊँचाइयों को कहते हैं। अल् अअ़राफ़ से अभिप्रेत है विशिष्ट ऊँचे स्थान जिन पर अल्लाह के विशेष बन्दे पदासीन होंगे।

यह एक ऐसा स्थान है जो स्वर्ग और नरक के मध्य स्थित है। क़ुर्आन मजीद में एक सूरः का नाम भी अल् अअ़राफ़ है। यह एक दीवार है जो नरक और स्वर्ग की सतह से ऊँची है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस स्थान पर वे लोग रहेंगे, जिनके शुभ अशुभ कार्य समान होंगे क्योंकि यह ऐसे लोग होंगे जो न तो दण्ड के और न ही पुरस्कार के योग्य होंगे।

6- तक़्दीर (क़िस्मत, भाग्य) पर ईमान

तक़्दीर क़दर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाग्य। सूरः अल् क़मर में आया है-

"निश्चय ही हमने हर चीज़ एक नियत अन्दाज़ के साथ पैदा की है"।

इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक अच्छी और बुरी वस्तु के लिए अल्लाह के ज्ञान में एक अन्दाज़ा निश्चित है और प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने के पूर्व अल्लाह उसे जानता है।

अल्लाह के इस ज्ञान अथवा अन्दाज़ को तक़्दीर कहते हैं। कोई अच्छी या

बुरी बात अल्लाह के ज्ञान और अन्दाज़ से बाहर नहीं। एक और सूरः में तक़्दीर शब्द का अर्थ इस प्रकार किया गया है-

"कह दो हमें कुछ नहीं आता सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया"।

तक़्दीर की मान्यता

तक़्दीर अर्थात मनुष्य कब कौन से शुभ कार्य करेगा और कौन से अशुभ कार्य करेगा यह सब अल्लाह की ओर से ही नियत है। इस सिद्धांत पर विश्वास करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है।

प्रत्येक मुसलमान को यह आस्था रखना आवश्यक है कि अच्छाई और बुराई सब अल्लाह की ओर से है। जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होगा वह सब सुरक्षित पट्टिका पर अंकित है।

सवाब व गुनाह (पुण्य और पाप)-

गुनाह (पाप) का अर्थ है अल्लाह के आदेश का उल्लंघन करना अर्थात जिस कार्य में हम अल्लाह के आदेश का उल्लंघन करते हैं वह कार्य पाप है। पाप के कारण अल्लाह क्रोधित एवं रूष्ट होता है।

पाप दो प्रकार के है, महापाप और लघुपाप। महापाप में सबसे बड़ा पाप कुफ़्र और अल्लाह के साथ भागीदार या शिर्क को स्वीकार करना है और अच्छे काम के करने पर सवाब अर्थात पुण्य मिलता है।

कुफ़्र-

काफ़िर का अर्थ है इन्कार करने वाला या सत्य को छिपाने वाला जो अल्लाह और रसूल पर विश्वास नहीं रखता।

मुश्रिक (अनेकेश्वरवादी या बहुदेववादी)-

मुश्रिक का अभिप्राय है अल्लाह के साथ दूसरों को साझीदार मानने वाला। ईसाई और मूर्तिपूजक भी मुश्रिक हैं। मुश्रिक वह है जो अल्लाह के अस्तित्व, गुणों या उसकी सामर्थ्य में दूसरों को भागीदार ठहराये।

शिर्क के तीन प्रकार हैं-

(1) अल्लाह के अस्तित्व, स्वरूप अथवा व्यक्तित्व में किसी अन्य को भागीदार बनाना।

(2) अल्लाह के गुणों में दूसरों को भागीदार बनाना। उदाहरणार्थ- किसी व्यक्ति में चाहे वह फ़रिश्ता, नबी, वली, शहीद पीर या इमाम क्यों न हो, उसमें अल्लाह के गुण मानना। जिन गुणों का मालिक अल्लाह ही है, उन गुणों का सम्बन्ध अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे से जोड़ देना।

● उदाहरण के लिए अल्लाह सृष्टि का सृष्टा है और यदि कोई यह माने कि यह सृष्टि अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने रची है तो वह व्यक्ति मुश्रिक है। किसी पीर या वली से वर्षा बरसाने की प्रार्थना करना या बेटा-बेटी माँगना, किसी पीर की क़ब्र को दंडवत करना यह सब शिर्क में शामिल हैं।

(3) कुफ़्र और शिर्क के पश्चात बिद्अ़त एक और महापाप है। बिद्अ़त से अभिप्राय है कि ऐसी बातों को जिनका उल्लेख क़ुर्आन मजीद अथवा ह़दीस में न मिलता हो धर्म का काम समझ लेना अथवा उन पर विश्वास करना, यह सब बिद्आ़त है।

उदाहरणार्थ क़ब्रों का सम्मान करते हुए उन पर चादर चढ़ाना इत्यादि बिद्अ़त पथ भ्रष्टता है और नरक में ले जाने वाला पथ है। यदि कोई मुसलमान ऐसा काम जिसमें कुफ़्र या शिर्क पाया जाता हो करे तो वह मुसलमान नहीं रहता, बल्कि काफ़िर और मुश्रिक हो जाता है, परन्तु जो बिद्अ़त का काम करे वह मुसलमान तो रहता है परन्तु उसमें इस्लाम और विश्वास की भावना कमज़ोर होती है।

तौबः-

तौबः का अर्थ है पश्चाताप, क्षमा याचना, पाप और अनुचित कर्मों को भविष्य में न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना। तौबः का मौलिक अर्थ है लौटना, पलटना अथवा पाप से मुह मोड़ लेना, अपने किये पर लज्जित होना और अति विनम्रता से अल्लाह से क्षमा याचना करना।

कर्तव्य

इस्लाम धर्म में कर्तव्य को पाँच भागों में विभाजित किया गया है-

(1) फ़र्ज़-

यह वह कर्तव्य हैं जिनको करने का उल्लेख क़ुर्आन में आया है और यह आदेश है कि इस के पालन के बिना कोई मुसलमान नहीं हो सकता। यह कर्तव्य पाँच हैं और इनको शरीअ़त अथवा इस्लाम धर्म के स्तम्भ भी कहा जाता है। यह हैं-

(क) कलिमा

(ख) नमाज़

(ग) रोज़ा

(घ) ज़कात (दान)

(ङ) ह़ज

(2) वाजिब-

यह वह कार्य हैं जिन का करना फ़र्ज़ तो नहीं है परन्तु इन का करना आवश्यक है तथा इनका न करना पाप है। उदाहरणार्थ- यदि कोई मुसलमान क्षमता के बावजूद ईदुल् अज़्हा पर क़ुर्बानी (बलि) न दे सके तो यह उसके ह़क़ में पाप होगा।

(3) सुन्नत-

यह वह कार्य है जो स्वयं ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने किये या दूसरों को करने को कहा या किसी ने उन कार्यों को जब ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के सम्मुख किया तो आपने कोई आपत्ति नहीं की।

(4) मुस्तह़ब-

यह वह काम हैं जो स्वयं ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने कभी किये और

कभी नहीं किये। यह यदि किये जाएँ तो पुण्य मिलता है और यदि न किये जाएँ तो कोई पाप नहीं। उदाहरणार्थ- दान देना (सदकः देना)।

(5) मुबाह़-

यह वह काम हैं जिन के करने से सवाब मिलता है, लेकिन यदि न करें तो किसी प्रकार के अ़ज़ाब (दंड) का भय नहीं।

वर्जित कर्म

वह कार्य जो वर्जित हैं इस प्रकार हैं-

(1) मुफ़्सिद- वह वस्तुएँ अथवा कार्य जिन से अ़िबादत (प्रार्थना) में बाधा पड़ जाए और प्रार्थना प्रार्थना न रहे। उदाहरणार्थ- अति बुराई उत्पन्न करने वाले पाप।

(2) ह़राम- साधारणतः वह खाद्य पदार्थ जो क़ुर्आन एवं हदीस में वर्जित हैं। उदाहरणार्थ- मुरदार खाना, सुअ़र का गोश्त, शराब इत्यादि।

(3) मकरुह़- ऐसी वस्तुएँ जो घृणित हैं, इस्लाम धर्म में वह चीज़ जिसका खाना अच्छा न हो, परन्तु ह़राम न हो।

इस्लाम के पाँच स्तम्भ

इस्लाम के पाँच स्तम्भ हैं जिसमें (1) कलिमा तौह़ीद (2) नमाज़ (3) रोज़ा (4) ह़ज (5) ज़कात

(1) कलिमा तौह़ीद

कलिमा अ़रबी भाषा के कुछ शब्द हैं, जिसको पढ़ने से और उस पर आस्था रखते हुए उस पर अ़मल करने से इन्सान मुसलमान हो जाता है। इसलिए इसको पढ़ना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है। जिसके शब्द इस प्रकार हैं-

"ला इलाहा इल्लल्लाहु मुह़म्मदुर्रसूलुल्लाहि"

अनुवाद- "अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं और मुह़म्मद अल्लाह के रसूल हैं"।

इसी प्रकार कलिमा-ए-शहादत भी है-

"अश्हदु अल्लाइलाहा इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्ना मुह़म्मदर्रसूलुल्लाह"

- इस कलिमा-ए-शहादत का विस्तृत रूप इस प्रकार है-

"मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त और कोई उपास्य नहीं, वह अकेला है, कोई उसका भागीदार नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) उसके बन्दे (दास) और रसूल हैं"।

- उपरोक्त वाक्य इस्लाम की आत्मा और सार हैं। यदि कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म को ग्रहण करना चाहता है तो उस के लिए यह अनिवार्य है कि वह इस कलिमे को पढ़े तभी उसे मुसलमान समझा जाएगा।
- इस कलिमे में एक मुसलमान अल्लाह के एक होने और ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की रिसालत की गवाही देता है, इसलिए इसे कलिमा-ए-शहादत कहते हैं।
- इस कलिमा के शब्द जिस क्रम में उपरोक्त वाक्य में प्रस्तुत हुए हैं, उस क्रम में यह क़ुर्आन मजीद में नहीं हैं। कलिमा का प्रथम चरण जिस में अल्लाह के ऐक्य

की अभिव्यक्ति है अर्थात अल्लाह के अतिरिक्त और कोई उपास्य नहीं। सूरः मुहम्मद की 19 वीं आयत में है और दूसरा चरण जिसमें हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रिसालत का उल्लेख है, सूर-ए-फ़त्ह की 29 वीं आयत में है।

● कलिमा पढ़ने के बाद पाँच समय की नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान बालिग़ पर अनिवार्य है।

(2) नमाज़

प्रतिदिन की नमाज़ें-

क़ुर्आन में नमाज़ के लिए सलात शब्द प्रयुक्त हुआ है। सलात अ़रबी का शब्द है और नमाज़ फ़ारसी का। प्रतिदिन पाँच नमाज़ें पढ़ना प्रत्येक मुसलमान का फ़र्ज़ है। यह पाँच नमाज हैं-

(1) नमाज़ फ़ज्र-

यह पहली नमाज़ है जो फ़ज्र की नमाज़ कहलाती है और सूर्य निकलने से पहले पढ़ी जाती है।

(2) नमाज़ ज़ुह्र-

यह दोपहर को सूर्य ढलने के बाद पढ़ी जाती है।

(3) नमाज़ अ़स्र-

यह सूर्य छिपने के डेढ़ दो घंटे पहले पढ़ी जाती है।

(4) नमाज़ मग़रिब-

यह सूर्यास्त के तुरन्त बाद पढ़ी जाती है।

(5) नमाज़ अ़िशा-

यह डेढ़ दो घंटे रात आने पर पढ़ी जाती है।

अज़ान-

नमाज़ के समय को याद दिलाने के लिए प्रायः ऊँचे स्वर से मस्जिद से एक व्यक्ति पुकारता है, इस पुकार को अज़ान कहते हैं। पुकारने वाले को 'मुअ़ज़्ज़िन' कहते हैं।

यह हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अज़ान की विधि को बताया था, प्रार्थना के समय ईसाई घंटे या शंख का उपयोग करते थे और यहूदी नरसिंघ फूँकते थे। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इन विधियों को निरस्त कर के अज़ान की विधि का प्रचलन किया। नमाज़ पढ़ने से पहले सात बातों को पूरा करना आवश्यक होता है, जिन को नमाज़ की शर्तें कहा जाता है।

(1) शरीर का शुद्ध होना।
(2) वस्त्रों का शुद्ध होना।
(3) स्थान का शुद्ध होना।
(4) सतर अर्थात् शरीर के कुछ भागों को ढांकना। (जैसे- क़मर से घुटनों तक ढ़ाकना)।
(5) निश्चित समय का ज्ञान होना।
(6) कअ़बः की ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ना।
(7) नियत बाँधना (ध्यानमग्न होना)।

वुज़ू-

नमाज़ पढ़ने से पहले किसी साफ़ बर्तन में शुद्ध पानी लेकर या नल के द्वारा हाथ, नाक, मुँह और पांव को धोना वुज़ू कहलाता है। इसके विषय में क़ुर्आन में उल्लेख है। शरीर की सफ़ाई और पवित्रता के लिए स्नान ज़रूरी है, मगर स्नान की शरीअ़त (मुस्लिम नियम) में एक विधि है और इस विधि से स्नान करने से ही पाक समझा जाएगा। जिस में सब से पहले मुँह भर कर कुल्ली करना और दूसरे नाक में पानी पहुँचाना और तीसरे पूरे शरीर पर पानी डालना कि कहीं सूखा न रहे।

तयम्मुम-

तयम्मुम का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र होने के लिए ध्यानमग्न होना परन्तु यह एक विधि भी है, जिस के अनुसार यदि वुज़ू के लिए पानी उपलब्ध न हो तो पहले वुज़ू या ग़ुस्ल की नियत करे, फिर एक बार साफ़ मिट्टी पर हाथ मारे, फिर उसे अपने चेहरे पर फेर ले और फिर दूसरी बार मिट्टी पर हाथ लगाए और दोनों हाथ पर कुहनी तक फेर ले।

नमाज़ पढ़ने का स्थान स्वच्छ होना चाहिए। मस्जिद तो नमाज़ पढ़ने के लिए होती हैं, परन्तु यदि यह नमाज़ कहीं अन्य स्थान पर पढ़नी हो तो यह आवश्यक है कि वह स्थान स्वच्छ हो और जो कपड़ा बिछाया जाए वह भी पवित्र हो। जिस कपड़े या चटाई पर नमाज़ पढी जाती है उसे 'मुसल्ला' कहते हैं। नमाज़ में खड़ा होना, आधा झुकना, बैठना, दण्डवत करना आदि शारीरिक क्रियाएँ एक नमाज़ी को करनी होती हैं। असली नमाज़ में आत्मा के साथ शरीर भी परमेश्वर के सम्मुख झुकता है। पाँच समय नित्य नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जहाँ नमाज़ एक आध्यात्मिक आशिष और ईश्वरीय आदेश हैं, परन्तु यह शरीर के लिए लाभदायक भी है।

मस्जिद–

मस्जिद का शाब्दिक अर्थ जज्दह (दण्डवत) करने का स्थान अर्थात् मस्जिद उस भवन को कहते हैं जिस में नमाज़ पढ़ी जाए अर्थात आराधना घर। इन भवनों में प्रायः पानी के कुण्ड अथवा नल लगे होते हैं जहाँ नमाज़ी वुज़ू करते हैं, लोग अपने जूते उतार कर ही मस्जिद में जाते हैं। कुछ मस्जिदों में स्त्रियों के लिए भी पीछे पर्दा के साथ नमाज़ पढ़ने की पृथक व्यवस्था होती है।

इमाम–

इमाम का शाब्दिक अर्थ होता है वह जिसका अनुसरण या पैरवी की जाए। यह शब्द अगुवा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इमाम सामान्यतः उस व्यक्ति को कहते हैं जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने के लिए सामने खड़ा होता है। वह लोगों का अगुवा होता है और तमाम नमाज़ी उसका अनुसरण (पैरवी) करते हैं। कोई भी धार्मिक मुसलमान इमाम के कर्तव्यों का निर्वाह कर सकता है। समूह के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए एक इमाम का होना अनिवार्य है, कम से कम तीन व्यक्तियों के समूह के लिए इमाम की आवश्यकता होती है।

तक्बीर–

नमाज़ के समस्त शब्द अ़रबी भाषा के हैं और जिन मुसलमानों को यह भाषा नहीं आती वह नमाज़ के वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं। नमाज़ के प्रारम्भ में एक वाक्य "अल्लाह हु अकबर" कहा जाता है। इस का अर्थ है "अल्लाह सब

से श्रेष्ठ सर्वमहान है"।

इसी वाक्य को तक्बीर कहते हैं। मुसलमान इन शब्दों को एक जयध्वनि व उत्साह बढ़ाने वाले नारे के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं।

क़िब्ला–

बैतुल् मुक़द्दस कअ़बः क़िब्ला है, क्योंकि कअ़बः की ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ना अनिवार्य है।

कअ़बः मक्का में एक छोटे से भवन का नाम है, इसे अल्लाह का घर भी कहते हैं। प्रारम्भ में मुसलमानों को बैतुल् मुक़द्दस की ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ने का आदेश था, परन्तु बाद में कअ़बः की ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ने का आदेश मिला। बैतुल मुक़द्दस की वह अ़िबादतगाह है जिसका आदर मुसलमान, ईसाई और यहूदी सभी करते हैं। इस पवित्र भवन की नींव ह़ज़रत सुलेमान (अ़लै०) ने रखी थी।

जुमअ़ की नमाज़–

जुमअ़ (शुक्रवार) का दिन मुसलमानों के लिए एक विशेष नमाज़ पढ़ने का दिन है। जुमअ़ की नमाज़ दूसरे पहर सूर्य ढलने के पश्चात मस्जिद में पढ़ी जाती है।

प्रत्येक मुसलमान इस बात का प्रयत्न करता है कि वह जुमअ़ के दिन दोपहर की नमाज़ किसी मस्जिद में अवश्य पढ़े। उस दिन मुसलमान मस्जिदों में एकत्रित होते हैं। वह अपने अल्लाह के सम्मुख उपस्थित होकर उसकी स्तुति करते हैं, क्रम में खड़े होते हैं और झुकते, बैठते और सज्दः करते हैं।

ख़ुत्बा–

जुमअ़ के दिन नमाज़ से पूर्व मस्जिद में ख़ुत्बा (व्याख्यान) भी दिया जाता है। यह ख़ुत्बा प्रायः किसी धार्मिक विद्वान द्वारा दिया जाता है या ख़ुत्बे की किसी पुस्तक से ख़ुत्बे को पढ़ दिया जाता है।

ईदगाह–

रोज़े समाप्त होने के बाद जो ईद होती है उसे 'ईदुल फ़ित्र' भी कहते हैं।

हर शहर, हर नगर, हर क़स्बे के मुसलमान शहर से बाहर या कुछ दूरी पर एक खुले स्थान में नमाज़ के लिए एकत्रित होते हैं। इस स्थान के चारों ओर दीवारें होती हैं, इसी स्थान को ईदगाह कहते हैं। ईदगाह में नमाज़ का समय पहले से ही घोषित कर दिया जाता है, ताकि लोग समय पर आकर नमाज़ में शमिल हो सकें, यहाँ ख़ुत्बा भी दिया जाता है।

नमाज़-ए-तरावीह़-

यह एक विशेष नमाज़ है, जो रमज़ान के महीने में अर्थात् रोज़ा (उपवास) के दिनों में रात की नमाज़ (अ़िशा) के बाद मस्जिद में संगत के साथ पढ़ी जाती है, यह नमाज़ काफ़ी लम्बी होती है। उपवास के दिनों में प्रतिदिन सन्ध्या को रोज़ा या उपवास खोलने के पश्चात अ़िशा की नमाज़ में लोग मस्जिद में एकत्रित होते हैं। क़ुर्आन मजीद के तीस पारों में से कुछ भाग पढ़ कर सुनाया जाता है। इस तरह़ लोग लगभग सत्ताइस दिनों में पूरा क़ुर्आन मजीद सुन लेते हैं।

रमज़ान का महत्व-

उपवासों के लिए रमज़ान का महीना इसलिए नियुक्त किया गया है कि इस महीने में क़ुर्आन मजीद ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर अवतरित हुआ था। इसलिए यह महीना अत्यन्त पवित्र है और इसमें परमेश्वर की आशीष तथा दया की वर्षा मनुष्यों पर होती है एवं किये गये पापों की क्षमा भी मिलती है।

रमज़ान के महीने में उपवासों को रखना बहुत ही बड़ा पुण्य है। इसका एक लाभ यह भी है कि अपनी भूख प्यास के विचार के कारण मोह़ताजों और निर्धनों की भूख प्यास का विचार मन में आने लगता है और उनकी आवश्यकताओं को रोज़ेदार अनुभव करने लगते हैं।

(3) रोज़ा

रोज़ा का अर्थ और सामान्य नियम-

उपवास या रोज़ा को अ़रबी भाषा में सौम कहते हैं। प्रातः काल से सूर्यास्त तक दृढ़ संकल्प और सद्भाव के साथ खाने पीने और शारीरिक वासनाओं को

पूर्ण दृढ़ता से परित्याग कर देने का नाम रोज़ा है। रोज़ा या उपवास खोलने या पूरा करने को इफ़्तार कहते हैं, लेकिन निश्चित समय से पूर्व रोज़ा तोड़ना पाप माना जाता है।

रमज़ान के महीने में रोज़े (उपवास) रखना समस्त बालिग़ मुसलमानों का कर्तव्य है। इन दिनों के अतिरिक्त किसी और दिन रोज़ा रखा जाए तो वह फ़र्ज़ नहीं, केवल मुस्तह़ब समझा जाएगा परन्तु इसका फल अवश्य मिलता है।

प्रत्येक मुसलमान के लिए (पुरुष और स्त्री) जो मानसिक रूप से स्वस्थ और व्यस्क हों रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, परन्तु कुछ परिस्थितियों में उपवास न रखना भी उचित है। उदाहरणार्थ यात्रा में रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं। इसी प्रकार यदि किसी रोगी में उपवास की शक्ति न हो तो उसका रोज़ा न रखना भी उचित है, समय आने पर ये लोग इस कमी को पूरा कर सकते है और वह वाजिब है।

यदि रमज़ान के महीने में उपवासों में से कोई उपवास ग़लती से टूट जाए तो उसका प्रायश्चित अनिवार्य हो जाता है, उस प्रायश्चित के कई प्रकार हैं-

इफ़्तार-

सूर्यास्त होते ही उपवास तोड़ने के लिए खाना खाने को इफ़्तार कहते हैं। उपवासी प्रायः खजूर या पानी से उपवास तोड़ लेते हैं। ग्रीष्मकालीन रमज़ान के तीस उपवास रखना काफ़ी साहस की बात है, परन्तु धर्म-प्रिय मुसलमान स्त्री पुरुषतीसों उपवास रखते हैं और एक भी उपवास क़जा (व्यर्थ) नहीं करते।

सहरी-

रात के अन्तिम पहर में भोर होने से पहले कुछ खाने को सह़री कहते हैं। सहरी खाना सुन्नत है और इसका बहुत पुण्य मिलता है। भूख न हो तो भी एक दो ग्रास (लुक़्मा) खाना बेहतर है।

(4) ज़कात

ज़कात अ़रबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है शुद्ध होना परन्तु पारिभाषिक अर्थ में ज़कात पूँजी के उस भाग को कहते है जिसे परमेश्वर के

आदेशानुसार निर्धनों और फ़क़ीरों आदि में बाँटकर उन्हें उसका स्वामी बना दिया जाए। यदि नमाज़ और उपवास शारीरिक उपासना है तो ज़कात धन द्वारा परमेश्वर की उपासना है। ज़कात देना प्रत्येक मुस्लिम का फ़र्ज है। ज़कात को ज़कात इसलिए कहा जाता है कि इससे आत्मा शुद्ध होती है, ज़कात देने वालों को तीन शर्तें पूरी करना आवश्यक है-

(1) ज़कात देने वाला मुसलमान हो।

(2) वह स्वतन्त्र हो, किसी का दास न हो।

(3) उसके पास पूंजी की विशेष मात्रा साढ़े सात तोला सोना अर्थात 87 ग्राम या साढ़े बावन तोला अर्थात 612 ग्राम चाँदी के बराबर की मालियत) हो और वह एक वर्ष तक उसी के अधिकार में रह चुकी हो।

इस प्रकार सोने और चाँदी का चालीस्वाँ भाग ज़कात में देना आवश्यक है। चालीस से कम भेड़ बकरियों पर ज़कात नहीं। जिस भूमि में कृत्रिम विधियों से पानी देकर अनाज उत्पन्न किया जाता हो उसकी उपज का बीस्वाँ भाग देना ज़रूरी है।

ज़कात के अधिकारी

कुर्आन मजीद के अनुसार फ़क़ीरों, मिस्कीनों, मुसाफ़िरों, ज़कात वसूल करने वालों, नव मुस्लिमों, दासों को आज़ाद करवाने में, क़र्ज़दार और मुजाहिदों को ज़कात देनी चाहिए।

सद्क़-ए-फ़ित्र

यह एक प्रकार का दान है, जो रमज़ान के उपवास समाप्त होने की खुशी में धन्यवाद के रूप में फ़क़ीरों, निर्धनों, अनाथों आदि में बाँटा जाता है। 'ईदुल् फ़ित्र' के दिन नमाज़ पढ़ने से पहले भी यह दान दिया जा सकता है। इस दान को सदकः-ए-फित्र कहते हैं। यह दान ज़कात के अतिरिक्त दिया जाता है।

(5) हज़

हज़ का शाब्दिक अर्थ है इरादा करना, ज़ियारत करना। पारिभाषित शब्द के रूप में हज़ एक आराधना है जिसमें मनुष्य अल्लाह के घर (कअ़बः) के

दर्शन का संकल्प करता है। जो ज़िलूहिज्ज के मास में प्रत्येक स्वस्थ, स्वतंत्र मुसलमान का यह फ़र्ज़ है कि जब उस के पास इतना माल आ जाए कि वह मक्का तक आसानी से जाने योग्य हो जाए तो वह जीवन में एक बार हज़ करे और कअ़बः दर्शन करे और उन समस्त विधियों को जो हज़ से सम्बन्धित हैं पूरा करे।

एह़राम-

मक्का नगर की सीमा में पहुँचने पर हाजियों को एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनना पड़ता है, इस वस्त्र को एह़राम कहते हैं। यह दो बिना सिली सफेद चादरें होती है। हाजी एक को शरीर के ऊपरी भाग और दूसरे को के नीचे के भाग पर लपेट लेते हैं। इन चादरों के अतिरिक्त और किसी प्रकार का वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं है। ज्यों ही हज़ की समस्त विधियाँ पूरी हो जाती हैं यह चादरें उतार दी जाती हैं और अन्य वस्त्र पहन लिए जाते हैं।

(ग) हज की विधियाँ

(1) कअ़बः की परिक्रमा (तवाफ़-ए-कअ़बः)-

मक्का में स्थित एक समकोण चतुर्भुज भवन है। इस भवन की सात बार परिक्रमा करने को तवाफ़-ए-कअ़बः कहते हैं। कअ़बः की एक दीवार में एक काला पत्थर भी लगा है, जिसे संगे अस्वद कहते हैं। उसका चुम्बन किया जाता है और यदि किसी व्यक्ति की वहाँ तक पहुँच न हो तो वह दूर से ही सांकेतिक चुम्बन कर लेता है। यह तवाफ़-ए-कअ़बः मक्का पहुँचने पर ही किया जाता है और फिर बाद में भी करते रहते हैं।

(2) ज़मज़म का पानी-

ज़मज़म एक कुआँ है। इस्लाम धर्म के अनुसार इस कुएँ का पानी पवित्र है। यह कुआँ कअ़बः के निकट ही है और प्रत्येक हज़ करने वाला इस का पानी पीना पुण्य कर्म मानता है। यह कुआँ अल्लाह की ओर से हज़रत इस्माईल की प्यास बुझाने के लिए प्रकट हुआ था। प्रत्येक मुसलमान इस का पानी प्रसाद के रूप में अपने साथ लाता है और बीमारी आदि में दवा के रूप में प्रयोग करता है।

(3) सफ़ा और मरवा के मध्य दौड़ना–

यह दो पहाड़ियाँ है जिनके मध्य ह़ाजी सात बार दौड़ते हैं। यह रीति ह़ज़रत इस्माईल की माता ह़ज़रत हाजरा के पानी की खोज में इधर-उधर दौड़ने की स्मृति में अदा की जाती है और इसका करना सुन्नत है।

(4) शैतान पर कंकरियाँ फेंकना–

मिना की घाटी में तीन स्तम्भ हैं। पहले को शैतान, दूसरे को मध्यम शैतान और तीसरे को महाशैतान कहते हैं। ह़ज करने वाले शैतानों पर सात-सात कंकरियाँ फ़ेंकते हैं। ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लै०) जब ह़ज़रत इस्माईल को बलि के लिए ले जा रहे थे तो शैतान उन्हें बहकाने लगा था। इस पर ह़ज़रत इब्राहीम ने उसे भगाने के लिए उस पर पत्थर फेंके थे।

(5) क़ुर्बानी करना (बलि देना)–

कंकरियाँ फेंकने के पश्चात ह़ज करने वाले एक क़ुर्बानी बलि देते हैं।

(6) सिर मुँडवाना–

यह ह़ज की अन्तिम विधि है।

(7) उ़मरह–

यदि कोई व्यक्ति ह़ज के महीने के अतिरिक्त किसी और समय में मक्का जाकर उ़मरह की विधियों को पूर्ण करता है तो उसे उ़मरह या छोटा ह़ज कहते हैं।

(8) ह़ाजी–

जो व्यक्ति ह़ज कर लेता है उसे लोग ह़ाजी कहते हैं। प्रायः यह भी देखने में आता है कि ह़ज करने के बाद अनेक मुसलमानों के जीवन में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आता है और वह एक नवीन जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं।

इस्लामी त्योहार

ईदुल् फ़ित्र और ईदुल् अज़्हा मुसलमानों के यह दो ही वास्तव में त्योहार हैं। यह खुशी के त्योहार हैं, इसलिए इन्हें ईद कहा जाता है। प्रत्येक देश के मुसलमान इन दोनों त्योहारों को बड़े उल्लास और आनन्द के साथ मनाते हैं।

इन त्योहारों पर खाने पीने के लिए सम्बन्धियों तथा मित्रों को भोजन पर बुलाया जाता है जिससे आपसी प्रेम और बन्धुत्व की भावना बढ़ती है, परन्तु भारत में कुछ और दिनों में भी लोग त्योहार जैसा मनाने लगे हैं जिन का उल्लेख नीचे किया जाता है–

(1) ईदुल् फ़ित्र–

ईदुल् फ़ित्र यह ईद रमज़ान के रोज़ो की समाप्ति पर मनाई जाती है। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना प्रत्येक मुसलमान का फ़र्ज़ हैं। मुसलमान रमज़ान के महीने को पवित्र महीना मानते हैं। रोज़ा खोलने को इफ़्तार कहते है, जिस दिन रोज़े समाप्त हो जाते हैं उस दिन के बाद सामान्य रूप से खाना खाया जाता है। इसलिए इस दिन को रोज़ा खोलने की ईद अर्थात् 'ईदुल् फ़ित्र' कहते हैं।

इस दिन सबसे पहले सद्क़ा अर्थात् दान दिया जाता है और फिर किसी ईदगाह में जाकर इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं। ईदगाह में केवल चारों ओर दीवारें होती हैं और छत इत्यादि नहीं होती। ईदुल्-फ़ित्र का दान ग़रीब मुसलमानों को दिया जाता है, कोई अनाज के रूप में तो कोई नगदी दान देता है। नमाज़ के बाद फिर खुत्बा सुनाया जाता है। इस ईद को छोटी ईद भी कहा जाता है।

नया चाँद देखने के लिए प्रत्येक उत्सुक रहता है और नया चाँद दिखते ही मुसलमानों में ख़ुशी की लहर दौड़ जाती है। एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है और प्रत्येक मुस्लिम यही चाहता है कि इस दिन वह अपने निकट सम्बन्धियों में हो।

(2) ईदुल् अज़्हा–

अज़्हा का अर्थ होता है क़ुर्बानी और इस ईद को लोग ईदे क़ुर्बा या बकरअ़ीद भी कहते है। यह ह़ज के महीने अर्थात् ज़िल्हिज्जा की दस्वीं तारीख को मनाई जाती है। ह़ज करने वाले इस ईद को मक्का में मनाते हैं और वहीं क़ुर्बानी भी करते हैं, परन्तु अन्य मुसलमान अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार अपने-अपने नगरों अथवा ग्रामों में बलि की भेंट करते हैं।

अ़रबिस्तान में ऊँट की क़ुर्बानी भी होती है। बलि का माँस ग़रीबों, मित्रों तथा सम्बन्धियों में बाँट दिया जाता है, बलि का पशु निरोग तथा अंगभंग रहित

होना चाहिए। प्रत्येक पशु को 'बिस्मिल्लाहिर्रह़मानिर्रह़ीम' कहकर कुर्बान किया जाता है। भारतवर्ष में ईदुलूफ़ित्र को मीठी ईद और ईदुलू अज़्हा को नमकीन ईद भी लोग कहते हैं।

(3) शबे बरात–

यह शाबान महीने की चौदहवीं तिथि की रात को लोग मनाते हैं, परन्तु इसका इस्लाम में त्योहार मनाने का कोई आदेश नहीं है। इसलिए कि त्योहार तो केवल दो ही हैं। ईद और बक़रअ़ीद। लोगों का यह विश्वास है कि इस रात अल्लाह गुनाहों को क्षमा करते हैं।

(4) मुह़र्रम–

मुह़र्रम को शिया समुदाय के लोग मनाते हैं। यह पर्व एक मार्मिक ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है। मुह़र्रम इस्लामी वर्ष का पहला महीना है। इस में ह़ज़रत हुसैन (रज़ि०) की कर्बला में शहादत हुई थी जिसकी स्मृति प्रत्येक वर्ष शिया समुदाय मनाता है। मुह़र्रम का चाँद दिखाई देते ही शिया स्त्रियाँ काला वस्त्र पहनती हैं और चूड़ियाँ उतार देती हैं। शादी, विवाह इन दिनों बन्द हो जाते हैं, इमामबाड़ो में शिया इकट्ठे होकर शोक मनाते हैं। इमामबाड़ों में ताज़िये (इमाम हुसैन के मक़बरे की नक़्ल) ताबूत, लाल, हरे और काले झंडे वग़ैरह रखे होते हैं। इन झंडों के बाँस पर ऊपर की ओर हाथ का निशान बना होता है जिसे पंजा कहते हैं। पाँच उंगलियों का अर्थ (1) ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) (2) ह़ज़रत फ़ातिमा (3) ह़ज़रत अ़ली (4) ह़ज़रत ह़सन (5) ह़ज़रत हुसैन हैं। इन्हें पंजतन पाक (पाँच पवित्र शरीर) भी कहते हैं। इस हाथ को ह़ज़रत अ़ब्बास का हाथ भी कहते हैं।

(5) बारहवफ़ात–

यह इस्लामी वर्ष के तीसरे महीने रबीउलू अव्वल की बारहवीं तिथि को लोग मनाते हैं, जिस का इस्लाम से कोई तात्पर्य नहीं है। सामान्य विचार यह है कि इस दिन ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मृत्यु हुई थी और यही दिन आपके जन्म का दिन भी है। कुछ लोग इसे 'यौमे मिलादुन्नबी' भी कहते हैं। इस रोज़

ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के गुणों के वर्णन करने के लिए सभाएँ होती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, दूर-दूर से भाषणकर्ताओं को बुलाकर भाषण आदि के प्रबन्ध किये जाते हैं।

(6) मेअ़राजुन्नबी–

यह इस्लामी महीने रजब की सत्ताईस्वीं तारीख़ को होता है, जिस का इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। यह विश्वास है कि इस रात ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सातवें आसमान पर ले जाये गये थे और पुनः लौट आए। पहले आप मक्का से बैतुलू मुक़द्दस (यरुशलेम) तक गये और फिर वहाँ से आप सातवें आसमान पर पहुँचे और अल्लाह से भेंट करके वापस लौट आए। इसी रात अल्लाह ने पाँचों वक़्त की नमाज़ मुसलमानों पर फ़र्ज की।

शिया इस दिन को ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के रसूल के पद पर नियुक्त होने के दिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। मेअ़राज की घटना के विषय में मुसलमानों में मतभेद है।

(7) शबे क़द्र–

रमज़ान महीने की 25, 27 और 29 रातों में से एक रात को शबे क़द्र कहा जाता है। इस पवित्र रात को क़ुर्आन शरीफ़ आसमान पर उतरा, फिर वहाँ से ह़ज़रत जिब्रईल (अ़लै०) थोड़ा-थोड़ा क़ुर्आन लाकर ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को सुनाते रहे, इस रात को अ़िबादत की जाती है।

भाग-2

खुलफ़-ए-राशिदीन

अथवा

(इस्लाम के प्रारम्भिक ख़लीफ़ा)

खुल्फ़ा-ए-राशिदीन

1. खुल्फ़ा-ए-राशिदीन का अर्थ और उनके कर्तव्य-

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मृत्यु के पश्चात जिन साथियों ने नेतृत्व का स्थान ग्रहण कर धर्म का दायित्व संभाला उनको खुल्फ़ा कहा जाता है। यह शब्द ख़लीफ़ा शब्द का बहुवचन रूप है। प्रारम्भ के चार ख़लीफ़ाओं को खुल्फ़ा-ए-राशिदीन की उपाधि से सुशोभित किया जाता है।

कुछ लोग हज़रत इमाम हसन को भी जो पाँचवे ख़लीफ़ा थे और जिनका ख़िलाफ़त-काल केवल छः महीने ही रहा, खुल्फ़ा-ए-राशदीन में शामिल करते हैं।

रुश्द शब्द का अर्थ है-

"वह जो सीधे रास्ते पर चलने वाला हो"। राशिदीन शब्द रुश्द का बहुवचन है। प्रारम्भ के ख़लीफ़ा हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के आज्ञाकारी थे और क़ुर्आन तथा सुन्नत के प्रकाश मे प्रत्येक कार्य करते थे, इसलिए उनको सीधे राह पर चलने वाला अर्थात् राशिदीन कहा जाता है। संक्षेप में हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के उत्तराधिकारियों को ख़लीफ़ा कहा जाता है। ख़लीफ़ा के निम्नलिखित कर्तव्य हैं-

(I) जिन स्थानों पर इस्लामी प्रशासन स्थापित हो चुका हो उनमें इस्लामी नियमों को लागू करना और क़ुर्आनी निर्देशों के अनुसार संविधान बनाकर उस पर अ़मल करवाना।

(II) जिन अच्छी बातों का इस्लाम आदेश देता है उनका प्रचार लोगों में करना और लोगों को उन बुरी बातों से जिनको इस्लाम मना करता है रोकना।

(III) उन सब देशों में जहाँ इस्लाम का प्रकाश अभी तक नहीं फैला है, इस्लाम का प्रकाश फैलाना।

(IV) इस्लामी विधियों और विशेषकर क़ुर्आनी शिक्षा का प्रचार करना।

(V) देश के कल्याण तथा उन्नति के लिए लोक कल्याण के कार्य करना।

ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन का संक्षिप्त परिचय

ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन का काल सन् 632 से 661 तक है। जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-

(I) पहले ख़लीफ़ा हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) (632 से 664 ई०)

आप प्रथम ख़लीफ़ा थे। आपका नाम अ़ब्दुल्लाह था और आप मक्का के एक कुलीन परिवार में से थे। क़ुरैश क़बीले की बनू कअ़ब नामक शाखा से आप का सम्बन्ध था। आप हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से तीन वर्ष छोटे थे, आप का व्यवसाय व्यापार था। जब हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इस्लाम का सन्देश दिया, तो कहते हैं कि दीर्घायु वालों में से पहले आप ही थे, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया।

आप पहले से ही हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के मित्र थे और इस्लाम स्वीकार करने पर हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के घनिष्ट साथी और सहायक बन गये। जब हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने मेअ़राज की घटना बताई तो सबसे पहले आपने उसकी पुष्टि (तस्दीक़) की। इसीलिए आप को सिद्दीक़ की उपाधि से सुशोभित किया गया।

आप अपना धन इस्लाम के प्रचार में लगाते थे, आपने कई मुसलमान गुलामों को रुपया देकर स्वतंत्र कराया, जिसमें एक प्रसिद्ध गुलाम बिलाल हब्शी थे। यह हब्शी गुलाम हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के विशेष मुअ़ज्जिन (मस्जिद में अज़ान देने वाला) थे।

मक्का में जब मूर्तिपूजक लोग मुसलमानों को बहुत तंग कर रहे थे, हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि०) को और अन्य मुसलमानों के साथ हब्शा देश में हिजरत करने की सलाह दी पर आप ने वहाँ जाने से इन्कार किया और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथ मक्का में ही रहने की इच्छा की। साथ ही यह कहा कि जहाँ हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जाएँगे वहाँ ही मैं जाऊँगा।

सन् 622 में आप हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथ मदीना की ओर हिजरत कर गए। सब युद्धों में आप हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथ-साथ रहे।

मक्का की विजय के बाद जब सन् 632 में हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) बीमार हो गये तो आपने हज़रत अबू बक्र को ही अपनी जगह नमाज़ के पढ़ाने के लिए नियुक्त किया। इस कारण आपको ख़िलाफ़त के हक़्दार होने की सनद मिल गई।

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के देहान्त के कारण यह जटिल समस्या उत्पन्न हुई कि उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया जाए ताकि इस्लामी मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। मदीना के अन्सार यह चाहते थे कि उनमें से कोई व्यक्ति हज़रत का उत्तराधिकारी हो। उधर क़ुरैश के लोग जो मक्का विजय के बाद बड़ी संख्या में मुसलमान हो गये थे, अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे।

इस स्थिति में हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथियों एवं मित्रों ने एकमत होकर निर्णय लिया कि हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) को ही ख़लीफा बनाया जाए। हज़रत उ़मर ने बड़े उत्साह से इसका अनुमोदन किया और कुछ वाद-विवाद थे।

उपलब्धियाँ-

ख़िलाफ़त के काल में आपने क़ुर्आन के विभिन्न पाठों को जो हड्डियों, चमडों, पत्तो, ठीकरों आदि पर लिखे हुए थे तथा अव्यवस्थित थे, सुव्यवस्थित किया और खालों और चमड़ों पर लिखवाकर कई पांडुलिपियाँ तैयार कराईं और बड़े शहरों में रखवा दीं।

सादा जीवन-

आपका पहनावा और भोजन बहुत साधारण होता था। आपके तथा विशेषकर यमन के धनवान बढ़िया रेशमी पहनावा पहनते थे। जब उन्होंने आपका सादा लिबास देखा, तो इस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने वस्त्र भी साध ारण कर लिए। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के निकट ही आपको दफ़्न किया गया।

(II) दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि०) (634-644 ई०)

हज़रत अबू बक्र ने देखा कि इस्लाम की राजनैतिक व्यवस्था नेता की मृत्यु

के पश्चात् अव्यवस्थित हो जाती है, तो उन्होने अपने जीवन-काल में ही अपने उत्तरधिकारी को चुन लिया और यह उत्तराधिकारी थे ह़ज़रत उ़मर, ह़ज़रत अबू बक्र की मृत्यु के पश्चात् आपने ख़िलाफ़त की बागडोर सँभाली और इस्लामी राज्य को बढ़ाना आरम्भ किया।

ह़ज़रत उ़मर का नाम उ़मर था और पिता का नाम ख़त्ताब, आप भी 'कअ़ब' क़बीले से थे। आपको फ़ारूक़ की उपाधि दी गई। फ़ारूक का अभिप्राय है सत्य और असस्य में भेद करने वाला। पहले आप इस्लाम के विरोधी थे, परन्तु बाद में अपनी बहन फ़ातिमा से क़ुर्आन की कुछ सूरतें सुनीं तो बहुत प्रभावित हुए और मुसलमान हो गये। आपकी विजयों का एक बड़ा इतिह़ास है।

आपने यरुशलम, मिस्र और ईरान पर विजय पाई। आप भी ह़ज़रत अबू बक्र के समान सादा जीवन व्यतीत करते और मामूली वस्त्र पहनते थे। आप बहुत न्याय-प्रिय थे। प्रजा का साधारण से साधारण व्यक्ति आप तक आसानी से पहुँच सकता था। आप रात को मदीना की गलियों में घूम फिर कर साधारण लोगों की परिस्थितियों को जानने का प्रयत्न करते थे।

(III) तीसरे ख़लीफ़ा ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि०)
(644 से 656 ई०)

आपका नाम उ़स्मान और आप के पिता का नाम अ़फ़्फ़ान था। आप ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के वंश से थे और आप का विवाह ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की बेटियों के साथ एक दूसरे के बाद हुआ था, इसलिए आप को ज़ुन्नूरैन की उपाधि दी गई है।

ज़ुन्नूरैन का अर्थ होता है दो रोशनियों वाला। आप साक्षर, व्यापारी और काफ़ी धनवान थे। ह़ज़रत अबू बक्र के प्रभाव से आप मुसलमान हो गये थे।

जब मक्का में काफ़िरों ने मुसलमानों को तंग करना शुरु किया तब आप ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के परामर्श से अपनी पत्नी (जो नबी की बेटी थी) को लेकर मुसलमानों के साथ ह़ब्शा देश को चले गये, परन्तु कुछ समय बाद ही आप मक्का लौट आये।

जब यह मालूम हुआ कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मदीना को हिजरत कर

गये हैं, आप भी अपने परिवार को लेकर मदीना चले गए। आपने भी इस्लामी राज्य का विस्तार किया और बहुत से विद्रोहों को कुचला।

आप के काल में क़ुब्रस टापू पर विजय प्राप्त कर उसे इस्लामी राज्य में शामिल कर लिया। इसी प्रकार अलजीयर्स और ट्यूनिस को भी परास्त कर इस्लामी राज्य में शामिल कर लिया।

(IV) चौथे ख़लीफ़ा ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०)
(656 से 661 ई०)

ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि०) की शहादत के बाद ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) ख़लीफ़ा के पद पर नियुक्त हुए। आप नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के सगे चचेरे भाई थे। आपके पिता का नाम अबू तालिब था और इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात आप मक्का में ही रहे। इस्लाम ग्रहण करने वालों में आप सबसे अल्प आयु के थे। उस समय आप की आयु केवल 11 वर्ष की थी, आप बहुधा नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथ रहते थे। जब नबी ने मदीना की हिजरत का संकल्प किया तो वह समय बड़ा नाज़ुक था। काफ़िरों ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के घर का घेराव कर रखा था और वह इस ताक में थे कि ज्यों ही नबी बाहर निकलेंगे उनका वध ा कर दिया जाएगा, मगर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) वहाँ से निकल गये और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) आप की जगह पर सो गये।

यह ह़ज़रत अ़ली का बहुत ही साहसी कार्य समझा जाता है, क्योंकि यह स्वाभाविक था कि काफिर नबी के स्थान पर आप का ही वध कर देते पर आप बच गये। कुछ समय पश्चात आप भी मदीना चले गये और वहाँ आने के दूसरे वर्ष बाद नबी ने अपनी बेटी फ़ातिमा को आपके निकाह़ में दे दिया।

कहते है कि जब विद्रोहियों ने ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि०) की हत्या करने के इरादे से मदीना का घेराव किया तो ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) उस समय मदीना में थे। जब ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि०) की हत्या हो गई तो लोगों ने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि०) को ख़लीफ़ा चुन लिया फिर आपने मदीना के स्थान पर कूफ़ा को राजधानी बनाया। कूफ़ा इराक़ का एक प्रसिद्ध नगर है। आप ने बद्र, ख़ैबर, जमल, सिफ़्फ़ीन आदि युद्धों में बड़ी वीरता का परिचय दे कर शत्रुओं को पराजित किया।

ख़ारिजियों का फ़त्वा–

हज़रत अ़ली के काल में ख़वारिज सम्प्रदाय का उदय हुआ। यह लोग हज़रत अ़ली और हज़रत मुआ़विया (रज़ि०) दोनों के विरुद्ध थे और दोनों के विरोध में गतिविधि बढ़ा रहे थे। वह कूफ़ा पर बार-बार आक्रमण करते और पराजित होकर भाग खड़े होते।

इन्होंने गुप्त रूप से हज़रत अ़ली, हज़रत मुआ़विया (रज़ि०) आदि की हत्या करने का षड़यंत्र रचा। अ़ब्दुर्रह़मान इब्ने मुल्ज़िम नामक ख़ारिजी ने हज़रत अ़ली (रज़ि०) को क़त्ल करने का दायित्व लिया। वह कूफ़ा की मस्जिद में जहाँ हज़रत अ़ली (रज़ि०) सुबह़ की नमाज पढ़ने जा रहे थे छिपकर बैठा रहा और हज़रत अ़ली (रज़ि०) को शहीद करने में सफ़ल हो गया। उस समय हज़रत अ़ली (रज़ि०) की आयु **61** वर्ष की थी। यह घटना सन् **661** में हुई।

हज़रत अ़ली (रज़ि०) की विद्वता के सम्बन्ध में आपके कथन अ़रबी साहित्य पर छाये हुए हैं। आपका जीवन बहुत सादा था, आपकी पत्नी फ़ातिमा इतनी मेह़नती थीं कि खुद चक्की पीसती थी। हज़रत अ़ली ने अपने देहान्त से पूर्व बेटों ह़सन और हुसैन को बुलाकर नसीहतें कीं और आप कूफ़ा के क़ब्रस्तान में दफ़्न हुए।

ख़िलाफ़त बनी उमय्या (661 से 750 ई०)

राशिदीन की ख़िलाफ़त यूँ तो हज़रत अ़ली के बाद ही समाप्त हो गई, मगर हज़रत ह़सन जो हज़रत अ़ली के ज्येष्ठ पुत्र थे, आप के बाद ख़िलाफ़त के पद पर नियुक्त हुए। आप का ख़िलाफ़त काल केवल छः मास का ही रहा। बनी उ़मय्या के लोग जो सीरिया में हज़रत मुआ़विया (रज़ि०) की छत्र छाया में अपना शासन स्थापित कर चुके थे, जो इमाम ह़सन की ख़िलाफ़त का विरोध कर रहे थे।

हज़रत ह़सन (रज़ि०) बहुत शांति प्रिय व्यक्ति थे। वह सांसारिक वैभव के पीछे पड़ना उचित नहीं समझते थे क्योंकि वह जानते थे इसका परिणाम केवल मुसलमानों का रक्त निरर्थक बहाने के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने हज़रत मुआविया (रज़ि०) के साथ सन्धि करना ही उचित समझा।

इस संधि के अनुसार यह माना गया है कि हज़रत मुआ़विया (रज़ि०) स्वयं

ख़िलाफ़त के कार्य को संभाल लें और नबी के विशेष लोगों और अहले-बैत (नबी के सम्बन्धियों) के लिए उचित वज़ीफ़े बाँध दे।

हज़रत मुआ़विया इस पर सहमत हो गये और फ़ारस देश का पूरा लगान इनके लिए दे दिया। इस प्रकार इमाम ह़सन की ख़िलाफ़त समाप्त हो गई और हज़रत मुआ़विया (रज़ि०) की ख़िलाफ़त का आरम्भ हुआ।

हज़रत मुआ़विया (रज़ि०) की ख़िलाफ़त (661 से 681 ई०)

हज़रत मुआ़विया (रज़ि०) ने ख़लीफ़ा बनते ही ख़िलाफ़त के उत्तरदायित्व को बदल दिया। हज़रत मुआ़विया अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्ति थे। बीस वर्ष के शासन के बाद हज़रत मुआ़विया (रज़ि०) की मृत्यु हो गई और हज़रत मुआ़विया (रज़ि०) के पुत्र यज़ीद ने ख़िलाफ़त सम्भाली। कुछ इतिह़ासकारों ने यज़ीद के चरित्र की घोर निन्दा की है। इमाम हुसैन (रज़ि०) ने इनकी ख़िलाफ़त को मानने से इन्कार कर दिया था, जिस के बाद कर्बला की घटना पेश आई।

हज़रत हुसैन (रज़ि०) की शहादत–

कूफ़ा नगर को हज़रत अ़ली (रज़ि०) ने अपनी राजधानी बनाया था। वहाँ के लोग हज़रत इमाम हुसैन को पत्र लिखने लगे कि यदि आप यहाँ आ जाएँ तो हम यज़ीद का विरोध करने में आप की सहायता करेंगे। आपने उनकी बातों पर विश्वास कर के अपने परिवार सहित 72 लोगों के साथ कूफ़ा की ओर प्रस्थान किया, परन्तु जब वह कूफ़ा के निकट पहुँचे तो मालूम हुआ कि उन लोगों में वह जोश नहीं है जो उन्होंने पत्रों में दर्शाया था।

आपके साथ केवल 72 आदमी रह गये थे, जिन को फ़ुरात नदी के तट पर कर्बला नामक स्थान पर शाही सेना ने घेर लिया और समर्पण के लिए आदेश दिया, जिसको आप ने ठुकरा दिया। इस पर शाही सेना इमाम हुसैन (रज़ि०) के मुट्ठी भर साथियों पर टूट पड़ी और इस युद्ध में आप अपने पुत्र एवं साथियों सहित शहीद हो गये।

यह घटना मुह़र्रम की दस्वीं तिथि को हुई जिसका मातम शिया लोग आज भी प्रतिवर्ष मनाते हैं। इमाम हुसैन (रज़ि०) की शहादत की घटना ने इस्लामी

जगत में एक हलचल पैदा कर दी। मक्का और मदीना के नगरों में उमय्या शासन के विरुद्ध विद्रोह भड़क उठा। यज़ीद की 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई और तत्पश्चात उसका नौजवान पुत्र मुआविया सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई ईस्वीं सन् 750 में समाप्त हुई।

ख़ुल्फ़ा-ए-बनू अ़ब्बास (750 से 1258 ई०)

इस अध्याय में केवल उन्ही ख़लीफ़ाओं के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो इस्लाम धर्म की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। यदि कोई मुस्लिम ख़लीफ़ा शासकों के विषय में विस्तृत रूप से जानना चाहता है तो उसे इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। इसी काल में सलीबी युद्ध (Crusades) भी लड़े गये। जिनका विस्तृत विवरण इतिहास की पुस्तकों में पाया जाता है।

❁❁❁

भाग-3

महत्वपूर्ण इस्लामी समाज सुधारक

महत्वपूर्ण इस्लामी समाज सुधारक

कुछ ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने इस्लाम को बिद्अ़तों से मुक्त करने के लिए आन्दोलनों को आरम्भ किया। जिसमें "शेख़ अह़मद सरहिन्दी" उन विद्वानों में से हैं जो अ़रब में वहाबी आन्दोलन शुरु होने से पहले ही भारत में मुसलमानों में एक सुधार आन्दोलन की नींव रख चुके थे और उसके बाद बहुत से ऐसे सुधारों का उल्लेख करेंगे।

शेख़ अह़मद सरहिन्दी (रह़०)

आप **26** जून **1564** ई० में सरहिन्द के मक़ाम पंजाब में पैदा हुए और **10** दिसम्बर **1624** ई० में परलोक सिधारे। आप के काल में अकबर का शासन था। इस्लाम में बहुत सी बिद्अ़तें आ चुकी थी और यह वही काल था जब अकबर ने 'दीने इलाही' का आरम्भ किया था।

उदाहरण के लिए दीने इलाही के अनुसार गाय का गोश्त खाना ह़राम ठहराया गया। शाही महल में हवन होने लगा, आवागमन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया।

शेख़ अह़मद सरहिन्दी इसी काल में पैदा हुए। आप के गुरु ह़ज़रत बाक़ी बिल्ललाह ने आपके लिए भविष्यवाणी की थी कि आप बड़े होकर एक दीपक की भांति संसार को प्रकाशित करेंगे।

यह भविष्यवाणी पूर्ण हुई और शेख़ अह़मद सरहिन्दी इस्लाम को बिद्अ़तों से मुक्त करने के लिए धार्मिक रणक्षेत्र में उतर पड़े। शासन ने उन्हे जेल भिजवा दिया, परन्तु जहाँगीर बादशाह आपके अनुयायी हो गए और इस प्रकार दीने इलाही का प्रभाव शेख़ अह़मद सरहिन्दी के प्रयत्नों से समाप्त हो गया।

शेख़ अह़मद सरहिन्दी ने इस्लामी तसव्वुफ़ (रहस्यवाद) को भी उन बुराईयों से साफ़ किया जो सूफ़ियों की कमज़ोरियों से इसमें प्रवेश पा चुकी थीं। समस्त अज्ञानकारी रीति रिवाज का विरोध किया। आपका भारतीय मुस्लिम

विद्वानों में एक श्रेष्ठ स्थान है और आप को मुजद्दिअल्फ़ सानी कहते। आप ग्यारहवीं शताब्दी हिज्री के एक महान सुधारक थे यानी इस्लाम को एक हज़ार वर्ष हो चुके थे।

शाह वलीउल्लाह देहलवी (रह़०)

1703 ईस्वीं में आपका जन्म देहली के निकटवर्ती क्षेत्र में हुआ। पिता का नाम शाह अ़ब्दुल् रह़ीम था और **17** वर्ष की आयु में आप धार्मिक शिक्षा देने लगे, दो बार ह़ज करने गये और वहाँ एक वर्ष तक दीन का अध्ययन करते रहे। आप एक सूफ़ी और नक्शबंदी परम्पराओं के मानने वाले थे।

आपने मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अह़मद शाह अ़ब्दाली अफ़गानिस्तान के सम्राट से मदद चाही। आपकी मृत्यु सन् **1762** में देहली में हुई।

आपने क़ुर्आन मजीद का अनुवाद फ़ारसी भाषा में किया और क़ुर्आन के अनुवादकों के लिए एक निर्देश पुस्तिका तैयार की।

आपने ह़दीसों पर भी कई पुस्तकें लिखी। आप इमाम मालिक की ह़दीसों के संकलन को श्रेष्ठ समझते थे। आपने मुवत्ता (इमाम मालिक द्वारा एकत्रित ह़दीसों के संकलन का नाम) पर फ़ारसी और अ़रबी दोनों भाषाओं में एक भाष्य लिखा।

"हुज्जतुल्लाह़िल बालिगह" आपकी सुप्रसिद्ध पुस्तक है और यह पुस्तक मुस्लिम धर्म-दर्शन का एक इन्साईक्लोपीडिया है। आप का विश्वास था कि इज्तिह़ाद का द्वार सदैव खुला रहता है और प्रत्येक मुजतहिद को यह अधिकार है कि आवश्यकता अनुसार मुस्लिम विधि के चारों इमामों में से यह आवश्यक नहीं कि इमामों के वचनों को आँख बन्द कर स्वीकार किया जाए।

आपको इमामुल् ह़िन्द कहा जाता है। यद्यपि आप तसव्वुफ़ को मानते थे परन्तु यह भी मानते थे कि क़ब्रों पर जाकर आवश्यकताओं की तलब करना शिर्क है और अपनी पुस्तकों में भारतीय मुसलमानों में पाई जाने वाली समस्त बुराईयों और बिद्अ़तों का पर्दाफ़ाश किया है। आपने क़ुर्आन मजीद को समझने के लिए नये मार्ग खोले।

सय्यद अह़मद रायबरैलवी (रह़०)

आप 29 नवम्बर 1786 ई० में रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में पैदा हुए। सन् 1819 में सय्यद साह़ब ने हिन्दुस्तानी मुसलमानों में सुधार का बीड़ा उठाया और एक बड़े गिरोह को अपना अनुयायी बना लिया। आपको मुजूतहिद का दर्जा दिया जाता है। आप ह़ज के लिए समुद्री मार्ग से गये थे और कलूकत्ता में कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। यहाँ आपके बहुत से अनुयायी हो गये। ह़ज से वापस आने पर आप ने सिक्खों के ख़िलाफ़ जिहाद का एलान कर दिया और मुसलमानों के बड़े समुदाय को लेकर 1825 में स्वयं जिहाद के लिए रवाना हो गये।

आप 06 मई 1831 में बालाकोट (पेशावर) नामक स्थान पर सिक्खों से युद्ध करते हुए शहीद हुए।

आपकी एक किताब 'सिराते मुस्तक़ीम' सुप्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें शरीअ़त की समस्याओं पर दृष्टिपात किया गया है। इस पुस्तक में मुसलमानों में पाई जाने वाली कुछ बुरी रीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है। क़ब्र का पूजना पाप माना गया है, विवाह और ख़तूने की रीतियों पर फ़ुज़ूलख़र्ची और नज़र व नियाज़ को बिद्‌अ़तों में सम्मिलित किया गया है। सय्यद साह़ब का कहना था कि समस्त रीतियाँ चाहे वह भारत में हो चाहे सिन्ध, फ़ारस या रोम में हों, यदि वह ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के आदेशों के विरुद्ध हैं तो वह ग़लत हैं।

मौलाना इस्माईल शहीद (रह़०)

आप सय्यद अह़मद (रह़०) रायबरेली के अनुयायी थे। उपदेश और प्रचार में आपका कोई मुक़ाबिला नहीं कर सकता था। आप एक उच्च कोटि के विद्वान थे और सय्यद अह़मद द्वारा चलाये गये सुधारों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे। आप सय्यद अह़मद का दाहिना हाथ माने जाते थे। सिक्ख़ों के विरुद्ध आप भी जिहाद में शरीक हुए और बालाकोट नामक स्थान पर अपने गुरु के साथ शहीद हो गये। आपकी प्रसिद्ध पुस्तक 'तक़वियतुलू ईमान' है।

मौलवी करामत अली जौनपुरी (रह़०)

आप सय्यद अह़मद (रह़०) रायबरेली के ख़लीफ़ाओं में से थे और सय्यद

अह़मद रायबरेलवी के कार्यों को चलाते रहे। आपका कार्य क्षेत्र पूर्वी बंगाल (बंगलादेश) रहा और वहाँ के मुसलमानों को हिन्दू रीति-रिवाज तथा अन्य बिद्‌अ़तों से बचे रहने की शिक्षा देते रहे। आपने पीरी मुरीदी (गुरु शिष्य) परम्परा को भी प्रारम्भ किया। यद्यपि आपके पीर और मुर्शिद (गुरु) सय्यद अह़मद रायबरेलवी इसके पक्ष में न थे। मौलवी करामत अ़ली सन् 1873 में परलोक सिधारे और आपका मज़ार (समाधि) रंगपुर (बंगलादेश) में है।

सय्यद जमालुद्दीन अफ़गानी (रह़०)

बीसवीं शताब्दी में मुसलमानों के मस्तिष्क पर एक नवीन प्रभाव डालने में सय्यद जमालुद्दीन अफ़गानी ने एक विशेष भूमिका निभाई। आपका जन्म 1839 में अफ़गानिस्तान के एक शहर में हुआ था और देहान्त 9 मार्च 1897 ई० में हुआ। परन्तु कुछ विद्वानों का विचार है कि आप ईरान के एक शहर हमदान के निकट एव गाँव असद आबाद में पैदा हुए थे। मिस्र के मुफ़्ती अब्दहू के साथ मिलकर एक अख़बार उर्वतुलू वुस्का निकाला जिससे अंग्रेज़ शासन बहुत परेशान था।

मौलाना शिबली नोअ़मानी (रह़०)

मौलाना बहुत ही गुण सम्पन्न थे। आपके लिए एक लेखक ने इस प्रकार लिखा है- शिबली परहेज़गारों में परहेज़गार, कवियों में कवि, इतिह़ासकारों में इतिह़ासकार, राजनीतिज्ञों में राजनीतिज्ञ और उर्दू में प्रेम पत्रों के प्रवर्तक थे। 'शेरुल अज़्म' और 'ह़याते जावेद' आपकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (रह़०)

मौलाना मक्का में 11 नवम्बर 1888 में पैदा हुए। 22 फ़रवरी 1958 में आप का देहान्त हुआ और कलकत्ता में कई वर्ष जीवन व्यतीत किया। मौलाना का अपना नाम गुलाम मुहीउ़द्दीन था, परन्तु अ़बुल कलाम आज़ाद के नाम से ही प्रसिद्ध थे। जिन्ना की भारत बँटवारे की योजना के घोर विरोधी थे और सदा भारत की आज़ादी में कांग्रेस के साथ रहे। नेशनलिस्ट मुसलमानों में प्रथम माने जाते थे आप कई वर्ष तक भारत के शिक्षा मन्त्री के पद पर रहे।

मौलाना की लेखनी में एक शक्ति थी जिसने मुसलमानों में एक नवीन आत्मा फूँक दी। क़ुर्आन शरीफ़ का गहरा अध्ययन करने के बाद क़ुर्आन समझने के नये विचार प्रकट किये जिससे वर्तमान पीढ़ी को बहुत लाभ पहुँचा। मौलाना की पुस्तक 'तर्जुमानुल् क़ुर्आन' क़ुर्आनी शिक्षा के समझने के लिए एक अद्वितीय पुस्तक है। मसीह़ियत के प्रति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विचार मुस्लिम विद्वानों से भिन्न नहीं थे।

जमाते इस्लामी के प्रतिपादक मौलाना अबुल् आ़ला मौदूदी-

जमाते इस्लामी के प्रतिपादक मौलाना अ़बुल् आला मौदूदी थे। जो 25 सितम्बर 1903 ई० औरंगाबाद में पैदा हुए और देहान्त 22 सितम्बर 1979 अमेरिका के न्यूयार्क शहर में हुआ। जमआ़ते इस्लामी की नींव 26 अगस्त 1948 में रखी गई। प्रारम्भ में मौलाना मौदूदी तर्जुमानुल् क़ुर्आन के सम्पादक थे और वह पत्रिका जमआ़ते इस्लामी के विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी।

जमाते इस्लामी का प्रारम्भ में यह प्रयत्न था कि मुसलमानों में दीनी और इस्लामी मिज़ाज पैदा किया जाए ताकि अल्लाह के राज्य को स्थापित कर सके। इस जमात के दो बुनियादी स्तम्भ इस प्रकार हैं-

पहला इस्लाम को जीवित रखना (अह़याए) दूसरा कलिमा की घोषणा (एलाए कलिमतुल्लाह)। पठानकोट इस जमात का पहला केन्द्र था। आजकल भारतवर्ष और पाकिस्तान की जमात इस्लामी अलग-अलग हैं और इनके कार्यक्रम भी अलग हैं। जमआ़ते इस्लामी हिन्द के अनुसार इस्लामी रीति-रिवाज उस समय तक ठीक तरह़ से लागू नहीं किये जा सकते जब तक कि इस्लामी ह़ुकूमत या शासन न हो। भारत में इस जमात ने दो नियमों को प्रतिपादित किया है। पहला क़ूव्वते नाफ़िज़ा और दूसरा इक़ामते दीन। तफ़्हीमुल् क़ुर्आन और 'अल् जिहाद फ़िल् इस्लाम' मौलाना की यह दो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं।

तब्लीग़ी जमात के प्रतिपादक मौलाना मुह़म्मद इलियास (रह़०)-

मुसलमानों का यह एक ऐसा गिरोह हैं जिसका काम मुसलमानों को अच्छे मुसलमान बनाना है। इस के बानी मौलाना मुह़म्मद इलियास साह़िब जो 1885

में पैदा हुआ और इन्तिक़ाल 13 जुलाई 1944 ई० में हुआ। जिन्होंने 1926 ई० में इस जमात का क़याम किया। यह लोग गिरोह की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं और जहाँ-जहाँ रुकते हैं, वहाँ-वहाँ मुसलमानों को ठीक तौर पर कलिमा और नमाज़ पढ़ना सिखाते हैं और उनमें अच्छे मुसलमान बनने का शौक़ पैदा करते हैं। इस जमात का काम कई देशों में बड़े ज़ोर से चल रहा है और प्रगति कर रहा है।

भाग–4

मुस्लिक फ़िर्क़े

मुस्लिम फ़िर्क़े

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से एक रिवायत है कि मेरी उम्मत (इस्लाम धर्म को मानने वाले) 73 फ़िर्क़ों में विभाजित हो जाएगी और उनमें से केवल एक फ़िर्क़ा ही जन्नत में प्रवेश कर पाएगा।

यद्यपि मुसलमान कई फ़िर्क़ों मे विभाजित हैं तथापि समस्त फ़िर्क़ों का विश्वास तीन बातों में समान है।

समस्त फ़िर्क़े इन बातों को स्वीकार करते हैं कि अल्लाह एक है और उसका कोई भागीदार नहीं। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह के रसूल हैं जिनको अल्लाह ने संसार में रह़मत (कृपा) के रूप में भेजा और अपने इस रसूल के द्वारा अपना संदेश दुनिया वालों को दिया और यह सन्देश क़ुर्आन मजीद के रूप में अ़रबी भाषा में उपस्थित है। यह भी बात ध्यान देने के योग्य है कि बहुत से इस्लामी फ़िर्क़े कोई फ़िर्क़े नहीं हैं, वरन क़ुर्आन और शरीअ़त के विभिन्न भाष्यों के कारण विभिन्न विचारधाराएँ मात्र हैं।

कुछ फ़िर्क़े ऐसे भी मौजूद हैं जिनके सदस्यों की संख्या कम है बल्कि पाये ही नहीं जाते। हम यहाँ पर मुख्य फ़िर्क़ों का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे।

(1) ख़ारजिया–

इस फ़िर्क़े का नेता 'अबूज़र' था। यह लोग सन् 657 में चौथे ख़लीफ़ा हज़रत अ़ली (रज़ि०) की कुछ नीतियों से अप्रसन्न होकर पृथक हो गये, इसीलिए उन्हें 'ख़ारजी' यानी निकल जाने वाला कहते हैं। हज़रत अ़ली (रज़ि०) ने इनके विरुद्ध युद्ध किया और इन्हें पराजित कर दिया। ख़ारजियों ने समस्त मुसलमान नेताओं के वध करने का षड़यंत्र रचा और हज़रत अ़ली (रज़ि०) एक ख़ारजी के हाथों शहीद हुए।

यह फ़िर्क़ा भारत में नहीं पाया जाता। इस फ़िर्क़े के लोग आजकल उत्तरी अफ़्रीका और 'जंजीबार' में पाये जाते हैं, यह सुन्नी मुसलमानों से पृथक हैं।

'अलजीरिया' में भी यह लोग रहते हैं, विवाह इत्यादि भी यह लोग अपने ही फ़िर्क़े के लोगों में करते हैं।

ख़ारिजियों का अक़ीदा–

यह लोग क़ुर्आन मजीद को इस्लाम की बुनियाद मानते हैं और सुन्नते मुहम्मदिया के चाहने वाले हैं। यह लोग हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथियों का अनुसरण करना अथवा उनकी पैरवी करना ज़रूरी नहीं मानते, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह सम्भव है कि हज़रत के साथियों (सहाब-ए-किराम) ने सामूहिक रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से क़ुर्आन और सुन्नत के समझने में गलती की हो।

ख़ारजियों का यह भी कहना है कि यदि एक मुसलमान चाहे वह ख़लीफ़ा हो या इमाम यदि किसी बड़े पाप का करने वाला है तो वह मुसलमान नहीं रहता और वह इस्लाम से बहिष्कृत हो जाता है और उसका नरक में जाना अनिवार्य है, ऐसे मुसलमान का वध करना ही जायज़ है। यह लोग किस्मत को नहीं मानते वरन् मनुष्य को एक स्वतन्त्र संकल्प का स्वामी मानते है और विश्वास के साथ-साथ करनी को भी आवश्यक मानते हैं। मानवीय अन्तःकरण को शुद्ध रखने पर बल देते हैं।

अत्याचारी राजाओं, शासकों और काफिरों के विरुद्ध युद्ध करना ईमान का अंग था। अम्र बिल् मअ़रूफ व नहि अनिल मुन्कर अर्थात शुभ कार्य करो और बुराई से बचो इन का नारा था।

यह लोग केवल पहले दो ख़लीफ़ाओं को मानते थे और शेष ख़लीफ़ाओं पर अर्थात उ़स्मान (रज़ि०) और अ़ली (रज़ि०) पर इस्लाम को बिगाड़ने का दोष लगा कर उन्हें निरस्त करते थे और यह कहते थे कि इन ख़लीफ़ाओं ने क़ुर्आन और उसकी दीक्षा की उपेक्षा की है।

इसके विपरीत सामान्य मुसलमानों अर्थात अहले सुन्नत का यह विचार था कि शासक चाहे क्रूर ही क्यों न हो उसकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि उन का यह विचार था कि एक अत्याचारी एवं क्रूर शासक, अनुशासन हीनता से उत्तम है।

(2) मोतज़ला–

वास्तव में यह किसी विशेष फ़िर्क़े अथवा गिरोह का नाम नहीं। यह एक विचारधारा थी। यह लोग क़ुर्आन और इस्लाम के बुनियादी विश्वासों में बुद्धि के उपयोग पर बल देते थे इस विचार का संस्थापक 'वासल-बिन-अ़ता' था।

(3) सुन्नी मुसलमान–

सुन्नी वह है जो हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सुन्नत की पैरवी करता है। सुन्नत शब्द का अर्थ है तरीक़ा। सुन्नी मुसलमान पहले चार ख़लीफ़ाओं को ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन मानते हैं और छः हदीस की पुस्तकों पर मुख्य रूप से विश्वास रखते हैं और पूरी दुनिया में लगभग अस्सी प्रतिशत सुन्नी मुसलमान हैं।

(4) शिया–

शिया शब्द का अर्थ दल होता है। शियाने अ़ली से अभिप्राय वह लोग हैं जो हज़रत अ़ली के दल से सम्बन्धित हैं, इस दल के अस्तित्व में आने का कारण धार्मिक एवं राजनैतिक था। प्रारम्भ में इस दल के उद्भव का कारण राजनैतिक था, परन्तु धीरे-धीरे यह एक धार्मिक सम्प्रदाय बन गया।

हज़रत अ़ली (रज़ि०) के दल वालों का यह विचार था कि यदि कोई ख़लीफ़ा बनने के योग्य था तो वह हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के अपने परिवार का ही व्यक्ति होना चाहिए और इसलिए यह पद हज़रत अ़ली (रज़ि०) के लिए ही सुरक्षित था। हज़रत अ़ली (रज़ि०) के अनुयायियों ने पहले तीन ख़लीफ़ाओं को नबी का उत्तराधिकारी स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और ख़लीफ़ा के साथ-साथ इमामत के पद को भी जोड़ दिया।

इसका परिणाम यह निकला कि मुसलमानों का नेता हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के बाद न केवल कोई राजनैतिक नेता होना चाहिए बल्कि आध्यात्मिक पेशवा भी होना चाहिए और उनकी दृष्टि में इस पद पर नियुक्त होने के योग्य केवल हज़रत अ़ली (रज़ि०) थे जो हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के कुटुम्ब में से थे और उनके दामाद भी थे। हज़रत अ़ली (रज़ि०) और हज़रत फ़ातिमा (रज़ि०) के कुटुम्बियों को शिया मुसलमान अहले बैत कहते हैं और अहले बैत का

सम्मान करना वे अपना परम कर्तव्य मानते हैं।

इमामत–

शिया फ़िर्क़े का अस्तित्व केवल राजनैतिक आधारों पर हुआ। हज़रत हुसैन की शहादत के पश्चात कुछ शिया विद्वानों ने यह विश्वास फैलाना शुरु किया कि अल्लाह सदैव अपना एक प्रतिनिधि दुनिया में मौजूद रखता है, जो नबी के पश्चात धार्मिक रूप से नबी का उत्तराधिकारी होता है और इस नेता को धार्मिक शब्दावली में इमाम कहते हैं।

इमाम एक अ़रबी शब्द है जिसका अभिप्राय है पथ प्रदर्शक अथवा नायक बस यहीं से ही इमामत की प्रथा का प्रारम्भ होता है। शिया लोग पहले तीन ख़लीफ़ाओं को अनुचित अधिकार करने वाले मानते हैं और कहते है कि हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के बाद क़ौम के पथ प्रदर्शक का अधिकार हज़रत अ़ली का था, इसलिए शियों में इमामत के विश्वास के अनुसार हज़रत अ़ली को ही पहला इमाम माना जाता है।

शिया लोगों में कुछ हज़रत अली को अनादि मानते हैं और कुछ ने तो हज़रत अ़ली को दिव्य मान लिया है। यह भी मानते हैं कि अल्लाह ने सर्वप्रथम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को नूर (ज्योति) दिया और फिर यह ज्योति हज़रत अ़ली में स्थानान्तरित हो गई और फिर उन समस्त इमामों में चलती आ रही है जो सच्चे इमाम हैं।

(2) शियों के फ़िर्क़े–

(क) ज़ैदिया– इस फ़िर्क़े के लोग सुन्नियों के अधिक निकट हैं। यह लोग मानते है कि इमाम अल्लाह की ओर से नियुक्त होते हैं परन्तु यह नहीं मानते कि इमाम दिव्य होते हैं। इमामों को ये केवल एक उत्तम पुरुष ही मानते हैं।

(ख) इमामिया– इस फ़िर्क़े के लोग बारह इमामों को मानते हैं, इसलिए इनको बारह इमामों को मानने वाले भी कहते हैं। अन्तिम इमाम यानी बारहवाँ इमाम हज़रत इमाम मुहम्मद मेंहदी अदृश्य हो गये हैं जो अभी तक जीवित हैं और वहीं पुनः प्रकट होंगे और लोगों का निर्देशन करेंगे। यहीं से मेंहदी के पुनः

आगमन का विश्वास प्रारम्भ होता है। मेंहदी का अभिप्राय है हिदायत किया गया, अदृश्य इमाम के स्थान पर मुज्तहित लोगों का पथ प्रदर्शन करता है। फ़िर्क़ा इमामिया के लोग अधिकतर ईरान में पाये जाते हैं।

बारह इमामों के नाम इस प्रकार हैं–

(1) हज़रत अ़ली।
(2) इमाम हसन।
(3) इमाम हुसैन।
(4) इमाम जैनुल् आ़बिद्दीन।
(5) इमाम मुहम्मद बाकर।
(6) इमाम जाफर सादिक़।
(7) इमाम मूसा काज़िम।
(8) इमाम अ़ली रज़ा।
(9) इमाम मुहम्मद तक़ी।
(10) इमाम अ़ली नक़ी।
(11) इमाम हसन अस्करी।
(12) इमाम मुहम्मद मेंहदी।

इमामिया फ़िर्क़े के लोग पंचतन पाक को भी मानते हैं। पंचतन पाक से अभिप्राय है पाँच पवित्र व्यक्ति अर्थात हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) हज़रत अ़ली (रज़ि०) हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा, हज़रत हसन (रज़ि०) और हज़रत हुसैन (रज़ि०)। हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने एक बार हज़रत फ़ातिमा के घर में स्वयं को और अन्य चार उपरोक्त व्यक्तियों को चादर में लपेट लिया था, तब हज़रत जिब्रईल ने रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को सूचना दी कि ख़ुदा ने इस चादर के समस्त व्यक्तियों को इस संसार में और उस संसार में श्रेष्ठता प्रदान की है। इन पाँचों व्यक्तियों को अहले बैत भी कहा जाता है।

(ग) इस्माईलिया–

शियों का एक बड़ा फ़िर्क़ा इस्माईलिया है। यह लोग इमामिया फ़िर्क़े से इमामत के प्रश्न पर मतभेद रखते हुए अन्य बातों में इमामिया से एक मत हैं।

इनकी मान्यता है कि 'छठें इमाम जाफ़र सादिक़' के बड़े बेटे इस्माईल (जिनको ख़िलाफ़त के लिए निरस्त करके छोटे भाई मूसा को ख़लीफ़ा चुन लिया गया था) वास्तव में ख़िलाफ़त के अधिकारी हैं और वही इमाम जाफर सादिक़ के बाद सातवें इमाम हैं।

शियों की बड़ी संख्या ने इमाम मूसा को इमाम मान लिया और कुछ लोगों ने इस्माईल का साथ दिया, जिन्होंने इस्माईल का साथ दिया उन्हें इस्माईलिया कहते हैं। इस्माईलियों का विश्वास है कि सातवें इमाम के पश्चात इमाम लोगों की दृष्टि से अदृश्य रहने लगे।

यह सात इमामों को मानते हैं। इन लोगों का भी यह विश्वास है कि कोई काल इमाम से खाली नहीं रहता। यद्यपि इमाम लोगों की दृष्टि से ओझल रहता है। इस्माईलिया के यहाँ सात शब्द बहुत पवित्र माने जाते हैं।

(3) शिया समुदाय के विश्वास–

(क) शियों की दृष्टि में पहले तीन ख़लीफ़ा अर्थात् हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) हज़रत उमर (रज़ि०) और हज़रत उस्मान (रज़ि०) अनुचित अधिकार जमाने वाले हैं। वास्तव में चौथे ख़लीफ़ा हज़रत अली (रज़ि०) को हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के तत्काल बाद ही ख़लीफ़ा नियुक्त किया जाना चाहिए था।

(ख) शिया लोगों का यह भी विश्वास है कि मुसलमानों के उचित नेतृत्व और उचित पथ-प्रदर्शन का अधिकार केवल हज़रत अली और उनके वंशजों को होना चाहिए।

(ग) शिया लोग कलिमा में हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के बाद ये शब्द सम्मिलित करते हैं। अली ख़लीफ़तुल्लाह अर्थात् अली अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं।

(घ) शिया अन्तिम इमाम यानी बारहवाँ इमाम मुहम्मद मेंहदी को इमाम अवश्य समझते हैं। इमाम मुहम्मद मेंहदी का काल सन् 880 अथवा सन् 878 मानते हैं। इनका यह विश्वास है कि वह अभी तक जीवित हैं और यही इमाम क़ियामत से पहले प्रकट होंगे और न्याय की स्थापना करेंगे।

(च) शिया लोग इमाम को मत द्वारा चुनने के समर्थक नहीं। वह यह समझते हैं कि इमाम अल्लाह की ओर से अहले बैत में से नियुक्त किया जाता

है और वह हर प्रकार के पाप से रहित और मासूम होता है ।

(छ) शियों का यह भी विश्वास है कि अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मुहम्मदी को पैदा किया। यह ज्योति समस्त नबियों में आदम से लेकर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तक स्थानान्तरित होती आई और फिर यही ज्योति हज़रत अली और फ़ातिमा की सन्तान में स्थानान्तरित हुई और इमामों में प्रकट हुई।

कुछ शिया लोगों का यह भी विश्वास है कि जिब्रईल फ़रिश्ता वास्तव में हज़रत अली के लिए वह्य लाये थे, परन्तु किसी भूल के कारण हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को दे गये। यही शिया इमाम को ईश्वर का अवतार भी समझते हैं।

(ज) तकिया- शिया यदि चाहे तो अपने विश्वासों को विपत्ति के समय छिपा सकते हैं, इसे तकिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त शियों में अस्थायी विवाह भी हो सकता है, इसे मुतअ़ कहते हैं।

(झ) शियों के एक फ़िर्क़े इस्माईलियों का विचार है कि इमाम इस्माईल अन्तिम नबी थे।

(ट) कुछ शिया हज़रत अली को हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से भी सम्मान में बढ़ जाते हैं।

(ठ) शियों की हदीसों के संकलन अलग हैं जिनमें रावियों की श्रंखला प्रायः इमामों अथवा हज़रत अली के कुटुम्ब पर आधारित होती है। शियों की हदीसे इस प्रकार हैं-

(1) अल्काफ़ी
(2) तहजीव
(3) इस्तिबसार
(4) हयातुल् कुलूब
(5) नहजुल् बलागह
(6) मन-ला-यहजरहु अल् फ़क़ीह

(ढ) शिया मुसलमान अपने मुज्तहिद को श्रेष्ठ पद देते हैं और समस्त आध्यात्मिक और सांसारिक मामलों में उससे परामर्श लेते हैं। समस्त मुज्तहिदों का एक पेशवा भी चुना जाता है जो नजफ़ (ईराक़) में रहता है और संसार भर के शिया उसे अपना आध्यात्मिक नेता मानते हैं।

(4) अह़मदी सम्प्रदाय–

एक फ़िर्क़ा अह़मदिया कहलाता है। इस सम्प्रदाय के लोग भारत, पाकिस्तान और संसार के अन्य देशों में अपनी शिक्षा के प्रचार में बड़ी लगन से व्यस्त रहते हैं। सुन्नी और शिया मुसलमान इन्हें इस्लाम से बाहर समझते हैं और ह़ज के अवसर पर भी अह़मदी मुसलमानों की उपस्थिति वर्जित है।

अह़मदी और अन्य मुसलमानों में सबसे बड़ा भेद नुबूवत के सम्बन्ध में है। मुसलमानों का यह विश्वास है कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) अल्लाह के अन्तिम रसूल हैं और उनके बाद कोई नबी पैदा न होगा, इसीलिए ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को ख़ातिमुल् अम्बिया कहा जाता है। अह़मदी भी ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को यद्यपि अन्तिम नबी मानते हैं, लेकिन साथ ही इस बात पर भी विश्वास रखते हैं कि ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के पश्चात् नबी आ सकता है।

यद्यपि वह कोई नई शरीअ़त नहीं ला सकता, इसलिए इस सम्प्रदाय के मुसलमान "मिर्ज़ा गुलाम अह़मद क़ादियानी" को भी नबी मानते हैं और उनको आने वाला मसीह़ जानकर उनकी शिक्षा और विचारों का प्रचार करना अपना दायित्व समझते हैं।

अह़मदियों का कहना है कि 'मिर्ज़ा गुलाम अह़मद' वह आने वाला मसीह़ है, जिसकी प्रतीक्षा यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों को है।

मिर्ज़ा गुलाम अह़मद पूर्वी पंजाब के जिला गुरुदासपुर के एक गांव क़ादियान में सन् 1839 में पैदा हुए।

इन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'ब्राहीन-ए-अह़मदिया' है, जो कई भागों में प्रकाशित हुई है।

मिर्ज़ा साह़ब सन् 1908 में मृत्यु को प्राप्त हुए और आपके बाद सन् 1914 में ह़कीम नुरुद्दीन अह़मदी के पहले ख़लीफ़ा नियुक्त हुए।

❀❀❀

ख़ोजा सम्प्रदाय

गुजरात, काठियावाड़, बम्बई, हैदराबाद और सूरत में बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो ख़ोजा मुसलमान कहलाते हैं। ख़ोजा स्त्रियाँ पर्दा नहीं करती, यह लोग छठी का दिन भी मनाते हैं।

ख़ोजा अपने आप को श्री रामचन्द्र जी के वंश से जोड़ते हैं। फ़ारसी में ख़ोजा का अर्थ सरदार होता है।

काठियावाड़ के लोहाने इस्माईली फ़िर्क़े के एक पीर सदरुद्दीन के हाथों मुसलमान हुए जो 15वीं शताब्दी ईस्वीं में ईरान से हिजूरत करके सिन्ध में आए थे। इस पीर को इस्माईलियों के इमाम ने भारत में भेजा था कि वह सिन्ध, पंजाब और कश्मीर के इस्माईलियों का मार्ग-प्रदर्शन करे।

ह़ज़रत आदम को यह शिव का और ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) को ब्रहमा का अवतार प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं। यह भी कहते हैं कि मस्जिद के अतिरिक्त किसी स्थान पर भी प्रार्थना की जा सकती है, इनके यहाँ प्रार्थना का स्थान जमात-खाना के नाम से प्रसिद्ध है।

ख़ोजा मस्जिद के स्थान पर जमात खाना में प्रार्थना करने जाते हैं।

प्रार्थनाओं में भजन गाने की भी आज्ञा है और यह भजन प्रायः सूफी कविताएँ होती हैं। ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) और ह़ज़रत अ़ली की स्तुति की कविताएँ भी इन भजनों में सम्मिलित होती हैं। इन भजनों और कविताओं के संकलन को 'गनान शरीफ़' कहते हैं। 'गनान शरीफ़' सिन्धी और गुजराती अनुवादों में जमातखानों में पढ़ी जाती है। पीर सद्रुद्दीन ने अपने मत का नाम सत पन्थ रखा।

पीर सद्रुद्दीन का मजार बहावलपुर (पाकिस्तान) के एक गांव में है जहाँ प्रतिवर्ष उर्स के लिए ख़ोजा एकत्रित होते हैं। ख़ोजा एक ओर तो आवामगन को मानते हैं और दूसरी ओर क़ुर्आन शरीफ़ और ह़दीस शरीफ़ (जो मुसलमानों

की बुनियादी हैं) से दूर हैं। यह लोग नमाज़ आदि रीति रिवाजों से भी कुछ अधिक परिचित नहीं, केवल 'गनान शरीफ़' का पढ़ना ही पर्याप्त मानते हैं।

प्रत्येक ख़ोजा अपनी आय का दस्वाँ भाग इमाम हाज़िर (इमाम उपस्थित) अर्थात् 'आगाख़ान' को देना कर्तव्य समझते हैं। इसे 'दसौंद' अथवा झोली भी कहते हैं। जो 'दसौंद' न दे सके उसकी मुक्ति नहीं होगीं।

वर्तमान आगाख़ान जिनका नाम "इमाम हाज़िर हिज़ हाईनेस करीम आगाख़ान" है, संसार भर के ख़ोजाओं की आय का दस्वाँ भाग पाते हैं और उसी से कल्याणकारी कार्यों को चलाते हैं। प्रथम आगाख़ान का नाम 'हसन अ़ली शाह' था जो अपने आपको हज़रत अ़ली के वंश से जोड़ते थे, वह ईरान से सिन्ध आए और वहाँ रहने लगे।

ख़ोजा के धार्मिक विश्वास-

क़ुर्आन की एक विशेष शिक्षा (रहस्य) हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से हज़रत अ़ली (रज़ि०) को और फिर अन्य इमामों को सीना-ब-सीना (गुप्त-मंत्र-दान के रूप में) मिली। यह शिक्षा जनता के लिए नहीं थी। इमाम ही क़ुर्आन के मूल भाष्यकार हैं और उसके छिपे हुए अर्थों को जानते हैं और केवल इमाम ही क़ुर्आन को समझने और समझाने की योग्यता रखता है।

चूँकि इमाम प्रत्येक त्रुटि और ग़लती से मुक्त होता है इसलिए उसका कहना मानना और उसकी शिक्षा पर अ़मल करना दीनदारी (धर्म-पालन) की नींव है। इमाम को देखना अल्लाह के दर्शन करना है। इमाम को जानना परमेश्वर को जानना है।

हज़रत अ़ली को विष्णु का अवतार मानते हैं। हज़रत अ़ली के बाद आने वाले सब इमामों में ईश्वरीय ज्योति सीना-ब-सीना स्थानान्तरित होती आई है, इसलिए वह सब भी अवतार ही माने जाते हैं। ख़ोजो की प्रार्थनाओं में इमाम को सम्बोधित किया जाता है, इमाम के प्रति आदर पूजा तक पहुँच चुका है।

ख़ोजा क़ुर्आन और हदीस को पवित्र मानते हैं पर इनके अध्ययन को फ़र्ज़ नहीं समझते। कुछ ख़ोजे क़ुर्आन का गुजराती अनुवाद अवश्य पढ़ते हैं, लेकिन अ़रबी भाषा से वह परिचित नहीं होते। क़ुर्आन की बजाय 'ग़नान शरीफ़' उनमें

अधिक मान्य है।

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के सम्बन्ध में ख़ोजा का ज्ञान हज़रत अ़ली के सम्बन्ध में ज्ञान की तुलना में कम होता है। गनान के अतिरिक्त कुछ अन्य पुस्तकें भी ख़ोजा में प्रचलित हैं। एक पुस्तक है दस अवतार। इस पुस्तक के लेखक पीर सद्रुद्दीन हैं, इसमें दस अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय विष्णु के एक अवतार के सम्बन्ध में है। अन्तिम अध्याय हज़रत अ़ली के विषय में है जो विष्णु के दस्वें अवतार माने गये हैं। इनमें पीरों और वलियों के क़िस्से हैं और ख़ोजा जमात के विरुद्ध जो अलोचनाएँ हैं उनके तर्क संगत उत्तर मिलते हैं।

ख़ोजा में प्रेम पर बहुत बल दिया जाता है। पंजतन पाक में हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा, हज़रत अ़ली (रज़ि०) हज़रत हसन (रज़ि०) और हज़रत हुसैन के प्रति प्रेम पर ज़ोर दिया गया है। फिर इमाम और उनकी सन्तान के प्रति प्रेम होना आवश्यक है।

हज़रत अ़ली से प्रेम रखने वालों के पाप क्षमा हो जाते हैं। कुछ पापों का दंड इसी संसार में मिल जाता है। उदाहरणार्थ बीमारी अथवा व्यापार में हानि पाप के दंड स्वरूप होती है। ख़्वाजा कलिमा-ए-शहादत में हज़रत अ़ली को भी शामिल करते हैं अर्थात् हज़रत अ़ली अल्लाह के वली हैं।

जमात ख़ाना-

ख़ोजा की मस्जिदें नहीं होती, वह जमातखानों में अ़िबादत (प्रार्थना) करते हैं, शादी विवाह भी वहीं होती हैं। ख़ोजा की अपनी पंचायत होती है जो जमातख़ानों में फ़ैसले आदि करती हैं। जमातखानों के साथ पाठशाला और कहीं-कहीं स्वास्थ्य केन्द्र भी होते हैं।

जमातखानों में क़िब्ला की आवश्यकता नहीं होती, नमाज़ के बदले दुआ़ शब्द प्रचलित है। यह इमाम को उपस्थित मानते हैं अर्थात आगा ख़ान इमामे हाज़िर हैं, उनकी तस्वीर रखना और उसका आदर करना उचित माना जाता है। ख़ोजा सिर्फ़ तीन समय प्रार्थना करते है सुबह, शाम और रात।

सुबह की प्रार्थना जमातख़ाने में होती है, इसलिए कुछ लोग रात को जमातखाने में ही सो जाते हैं, ताकि सुबह की दुआ़ पढ़कर फिर घर जाएँ परन्तु

वर्तमान में करीम आगाख़ान ने यह सोना बन्द कर दिया है। सब प्रार्थनाएँ बैठे-बैठे होती हैं, इमाम की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। इमाम हाज़िर के नाम पर तमाम उपस्थित लोग झुक जाते हैं और सामने रखी हुई ठीकरी पर जो कर्बला की मिट्टी से बनी होती है माथा टेक देते हैं। यह प्रथा शिया मुसलमानों में भी पाई जाती है। वह भी नमाज़ में अपने सामने ठीकरी रखते हैं, जिस पर माथा टेक देते हैं ।

ख़ोजा माला भी जपते हैं, इनकी जपमाला (तस्बीह) में **101** मनके होते हैं।

प्रातः काल की प्रार्थना के बाद एक विधि मनाई जाती है, उसे घठपंध कहते हैं। इसमें कर्बला की मिट्टी पानी में मिलाकर प्रार्थना करने वालों को दी जाती है, अब इसमें संशोधन कर दिया गया हैं।

अब मिट्टी मिले पानी वाले आगाख़ान के हाथ से स्पर्श किया हुआ पानी दिया जाता है। यह विधि मसीहियों के प्रीतिभोज से मिलती जुलती है। प्रार्थना के बाद उपस्थित व्यक्ति दान देते हैं, नये चाँद की रात को भी यह विधि मनाई जाती है और लोग उस समय चाँदी के सिक्के दान के रूप में देते हैं। खाना पकाकर जमातखानों में लोग लाते हैं जिसे नीलाम किया जाता है और आय जमात के कल्याणकारी कार्यों के लिए आगाख़ान साहब को भेंट स्वरूप दी जाती है।

सुखरीति-

जमातख़ानों में ख़ोजा स्त्रियाँ और पुरुष एक साथ दुआ पढ़ते हैं। हर शुक्रवार को नियाज़ निकाला जाता है। इसके बाद प्रसाद मिलते हैं, जिसे "सुखरीति" कहते हैं।

रोज़ा-

रमज़ान में केवल एक दिन का रोज़ा रखना पर्याप्त है। **21**वीं तिथि को यह उपवास रखा जाता है जो रात्रि से प्रारम्भ हो अगले दिन दोपहर **12** बजे तक चलता है। रमज़ान की **23** तारीख़ को जमातख़ाना पर दीपक जलाये जाते हैं।

हज-

ख़ोजा के लिए हज का अभिप्राय इमाम का दर्शन करना है। हज के लिए मक्का जाने की आवश्यकता नहीं। ख़ोजा लोग दर्शनार्थ कर्बला और नजफ़ जाते हैं, जो ईराक़ में हैं।

ज़कात-

ज़कात ज़रूरी है क्योंकि यह इमाम हाज़िर के लिए दी जाती हैं। इसे ही दसौंद या दस्वाँ भाग कहते हैं। जिहाद का अभिप्राय तलवार से लड़ना नहीं परन्तु अपनी ही वासनाओं से युद्ध करना है। जिस व्यक्ति ने अपनी नफ़्स (वासनाओं) को पराजित कर लिया उसने सबसे बड़ा जिहाद विजय कर लिया।

मरने के बाद-

जब क़ब्र में मुन्कर और नकीर प्रश्न पूछेंगे तब वह यह पूछेंगे कि तुमने इमाम को पहचाना या नहीं। यदि उत्तर हाँ में होगा तो मुक्ति निश्चित है और यदि उत्तर नहीं होगा तो उस व्यक्ति को पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है और **84** लाख बार पशु बनना पड़ता है। फिर कहीं जाकर मानव रूप में जन्म मिलता है कि वह इमाम को पहचान सके।

त्योहार-

हज़रत अ़ली की शहादत का दिन, हज़रत हुसैन का जन्म दिन, शबेक़द्र, ईदुल् फ़ित्र, ईदुल् अज़्हा, नौरोज़ और आगाख़ान का जन्मदिन आदि ख़ोजो के मुख्य त्योहार हैं।

बोहरा

यह एक व्यापारी वर्ग है जो बोहरा कहलाता है। बोहरा शब्द व्यवहार का बिगड़ा रूप है। यह लोग भारतवर्ष के पश्चिमी तट के क्षेत्र के रहने वाले थे, जो यमन और मिस्र देशों से व्यापार किया करते थे। जब यह लोग मुसलमान हुए तो बोहरा कहलाने लगे। बोहरे अधिकतर लोहे के सामान का धन्धा करते हैं, सूरत और बम्बई में इनकी संख्या अधिक है। वैसे यह लोग भारतवर्ष के समस्त बड़े-बडे नगरों में पाये जाते हैं और व्यापार में विशष रुचि लेते हैं।

यह लोग व्यापार में विशेष रुचि लेते हैं और ग़ैर मुस्लिमों के हाथ का खाना नहीं खाते थे, मगर अब बहुत परिवर्तन हो चुका है। यह लोग दाढ़ी रखते हैं और सिर मुंडवाते हैं। तम्बाकू, शराब और अन्य नशीली वस्तुओं से घृणा करते हैं, गाने में रुचि लेते हैं पर नृत्य को बुरा मानते हैं। त्योहारों पर आतिशबाजी और रौशनी आदि करते हैं।

यह सूद लेते हैं और उसे बुरा नहीं समझते हैं। दीवाली पर रौशनी करते हैं और बही खाते बदलते हैं, इनकी स्त्रियाँ पर्दा नहीं करतीं। हिन्दू धोबियों के हाथ से धुले हुए कपड़ों को पुनः पानी में धोकर पवित्र करके पहनते हैं।

बोहरे शियों के उस फ़िर्क़े से सम्बन्ध रखते हैं जो इमाम इस्माईल का अनुयायी है। इस्माईलियों में यह विश्वास प्रचलित था कि इमाम कुछ आन्तरिक और आध्यात्मिक शक्तियों का स्वामी होता है। यह विश्वास बोहरों और ख़ोजो में भी पाया जाता है।

धार्मिक गुरु-

बोहरों के धार्मिक और आध्यात्मिक नेता का नाम 'सय्यदना बुरहानुद्दीन' है जो बावनवें दाई मुत्लक (Absolute Dai) हैं। बोहरे अपने दाई को गुप्त और रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी समझते हैं, इसलिए उनके आदेश का पालन अपना कर्तव्य मानते हैं।

बोहरे मानते हैं कि इमाम का आदेश परमेश्वर का आदेश होता है और दाई की आज्ञा इमाम की आज्ञा है। दाई मुत्लक़ भी गुप्त इमाम की भांति मासूम और प्रत्येक प्रकार की त्रुटि से मुक्त होता है।

बोहरे वस्तुतः इस्माईलियों के ही एक फ़िर्क़े से हैं। इमाम इस्माईल, इमाम जाफ़र अस्सादिक़ (छठे इमाम) के पुत्र थे। आप अपने पिता के जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गये। एक गिरोह ने इनकी मृत्यु को स्वीकार न किया और उन्हें इमाम मानने लगे। वह गिरोह शत्रु के भय से गुप्त रूप से इमाम इस्माईल की इमामत (इमाम होना) का प्रचार करता रहा।

जब मिस्र में फ़ातिमी ख़लीफ़ों का राज्य स्थापित हुआ तो इस्माईली विश्वासों और दीक्षाओं का प्रचार बड़े ज़ोर शोर से शुरु हो गया। इस प्रचार या मुनादी को दअ़वत कहते हैं। जो व्यक्ति इस प्रचार के लिए ख़लीफ़ा या इमाम की ओर से नियुक्त किया जाता है उसे दाई अथवा दअ़वत देने वाला कहते हैं।

आठवें फ़ात्मी ख़लीफा इमाम अल् मुस्तनस बिल्लह (1035 ई० से 1094) के समय में फ़ात्मी ख़ुलूफ़ा उन्नति के शिखर पर थे। अल् मुस्तनसिर बिल्लाह के बाद इमाम मुस्तअ़ली ख़लीफ़ा हुए क्योंकि वह छोटे पुत्र थे, इसलिए कुछ लोगों ने बड़े बेटे निगार को ख़लीफ़ा और इमाम मान लिया और इस प्रकार इस्माईलियों में विभाजन हो गया।

इमाम मुस्तअ़ली के बाद 'आ़मिर बिल्लाह' ख़लीफ़ा और इमाम हुए और उन्होंने इमाम तय्यिब को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इमाम तय्यिब का चाचा आपका विरोधी एवं शत्रु था, इसलिए आप उस के भय से अदृश्य हो गये और यहाँ से इमाम के अदृश्य रहने का विश्वास आरम्भ होता है और इमाम प्रकट के स्थान पर इमाम मस्तूर (अदृश्य इमाम) का विश्वास बल पकड़ने लगा। इमाम तय्यिब के पश्चात प्रकट इमामों का सिल्सिला समाप्त हो गया।

दाई हज़रात ने इमाम मस्तूर अथवा अदृश्य इमाम (गायब) के नाम दअ़वत का काम जारी रखा और इन लोगों के हाथ में अत्यधिक शक्ति आने लगी। इन दाइयों का एक मुखिया होता है जिसे दाई मुत्लक कहते थे।

दाई मुतलक के प्रति विश्वास यह है कि वह इमाम मस्तूर और उम्मत

(जाति) की मध्यस्थता करता है। उम्मत के लोग दाई मुत्लक के द्वारा ही इमाम मस्तूर तक पहुँच सकते हैं। प्रारम्भ में इन दाईयों का मुख्य केन्द्र यमन में था और वहाँ से वह शासन भी करने लगे थे और इस प्रकार इन दाईयों ने सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही पद ग्रहण कर लिये थे।

कुछ समय बाद इनका मुख्य केन्द्र भारतवर्ष में बड़ौदा के निकट सिद्धपुर में स्थानान्तरित हो गया। कहते हैं कि दाई मुत्लक यूसुफ़ बिन सुलेमान 1539 ईस्वीं में यमन से भारत के उत्तर पश्चिम तट पर गुजरात प्रदेश में आकर रहने लगा और इस प्रकार भारत के बोहरों को जो 11वीं और 12वीं शताब्दी में कुछ इस्माईली प्रचारकों के प्रयत्न से मुसलमान हो चुके थे, अपना आध्यात्मिक गुरु अपने ही देश में मिल गया और उन का यमन आना जाना और वहाँ रुपया पैसा भेंट स्वरूप भेजना समाप्त हो गया, तब से बोहरों का आध्यात्मिक मुख्य केन्द्र भारत में ही है।

आजकल सय्यदना मुहम्मद बुरहानुद्दीन जो बोहरों के बावनवें दाई मुत्लक हैं बम्बई में निवास करते हैं, क्योंकि शासन की गद्दी उनके पास नहीं है वह 'हिज़ हाईनेस' कहलाने के स्थान पर 'हिज होलीनेस' कहलाते हैं।

1596 ईस्वीं में बोहरों में दाई मुत्लक़ की समस्या पर एक विवाद उठ खड़ा हुआ। दो दाई एक यमन में और दूसरा गुजरात में दाई मुत्लक़ होने के दावेदार थे। यमन वाले दाई का नाम सुलेमान था और गुजरात वाले का नाम दाऊद था। बोहरों की एक बहुत बड़ी संख्या ने दाऊद की पैरवी की और दाऊद के अनुयायी दाऊदी बोहरे कहलाते हैं। कुछ बोहरों ने सुलेमान की पैरवी की और वह आजकल सुलैमानी बोहरे कहलाते हैं। दाऊदी बोहरों का धर्म-गुरु बम्बई में और सुलेमानी बोहरों का धर्म गुरु यमन में रहता है।

भारतवर्ष के बोहरे प्रायः 'दाऊदी फ़िर्क़े' के हैं। दाऊदी बोहरों में भी कुछ फ़िर्क़े और पाये जाते हैं जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं।

दाऊदी बोहरों के वर्तमान धर्मगुरु सय्यदना बुरहानुद्दीन साहिब बावन (52) दाई मुत्लक़ हैं। आप अपने पिता सैयदना ताहिर सैफ़ुद्दीन की भाँति बुद्धिमान और ज्ञानवान हैं। आप की गद्दी सूरत में है पर आप अपना समस्त शासन कार्य बम्बई में बद्री महल वाले कार्यालय से करते हैं। आप के अनुयायियों की संख्या

लगभग पाँच लाख है।

दाईं मुत्लक़ को मुल्ला जी या मुल्ला साहिब भी कहते हैं। प्रत्येक दाई मुत्लक़ को अपने जीवनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना पड़ता है। रिवायत यह है कि मुल्ला जी को यह नियुक्ति इल्हाम की आगाही से करनी पड़ती है, ताकि बाद में किसी प्रकार की गलतफ़हमी पैदा न हो सके। बोहरों की अपनी मस्जिदे होती हैं, यह लोग दूसरे मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज़ नहीं पढ़ते और इनके जमातख़ाने और क़ब्रस्तान भी दूसरे से पृथक होते हैं।

दाईं मुत्लक के सहायक को आ़मिल कहते हैं। वह जमात से रुपया पैसा एकत्रित करता है। यह रुपया पैसा ऐसी पेटियों में एकत्रित किया जाता है जिसे ग़ल्ला कहते हैं। यह पेटियाँ मस्जिदों, जमातखानों और तीर्थ स्थानों पर रखी जाती है और आ़मिल साहिब इन गल्लों की देखभाल करते हैं। यह समस्त रुपया पैसा दाई मुत्लक़ भेंट किया जाता है और फिर वह इन से जमात के प्रशासकीय कार्यों को चलाते हैं।

बोहरों के धार्मिक रीति-रिवाज

(क) मीसाक़-

यह अ़रबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रतिज्ञा। यह विश्वास पर दृढ़ रहने वालों की प्रतिज्ञा है। हर बोहरा नवयुवक को पन्द्रह वर्ष की आयु में यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है अर्थात उसे दाई के प्रति निष्ठावान रहने की सौगन्ध खानी पड़ती है।

यह रीति आ़मिल की उपस्थिति में की जाती है और यह प्रतिज्ञा इस्लामी महीने ज़िल्हिज्ज की अठारहवीं तिथि को करनी पड़ती है। यह वह द्वार है जिस से विश्वासी धर्म में प्रवेश करता है। इस प्रतिज्ञा या क़सम के द्वारा प्रत्येक बोहरे का तन, मन और धन परमेश्वर के अधीन हो जाता है, जिस का अर्थ यह है कि दाईं मुत्लक़ जो ख़ुदा का नबी और इमाम का प्रतिनिधि है वह बोहरों के तन मन और धन का स्वामी होता है। मीसाक़ की रीति के पश्चात नगदी के रूप में भेट भी दी जाती है जिसका एक चौथाई भाग आ़मिल को मिलता है और शेष पूँजी समाज के ख़ज़ाने में जमा हो जाती।

(ख) नमाज़–

बोहरे केवल तीन बार नमाज पढ़ते है यानी प्रातःकाल, बारह बजे और अन्तिम नमाज़ रात्रि को पढ़ते हैं। बोहरों का कहना है कि पाँचों नमाज़ें तीन बार में ही समाप्त कर ली जाती है। बोहरो की अज़ान में ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के बाद ह़ज़रत अ़ली का नाम भी आता है। इनकी मस्जिदों में मकबरा नहीं होता और जुमे की नमाज़ के लिए मस्जिद में जमा होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इमाम की अनुपस्थिति में न मेम्बर और न जमाती नमाज़ की आवश्यकता है और अन्य दिनों की नमाज़ की भांति जुमे की नमाज़ भी घर पर पढ़ी जा सकती है।

(ग) रुक्या–

प्रत्येक दाऊदी बोहरे के कफ़न में अ़रबी में लिखा हुआ एक रुक्या रखा जाता हैं। एक भाग दीर्घ होता है छाती पर और दूसरा जो लघु होता है दाहिने हाथ में रख दिया जाता है। इस रुक्ये में मृतक के पक्ष में दुआएँ मग्फ़िरत (परमेश्वर क्षमा दे) लिखी होती है कि परमेश्वर इसे क्षमा करे और जन्नत दे।

(घ) सिलूसिला–ए–तवस्सुल–

बोहरों की प्रार्थनाएँ दाईं मुतूलक़ के द्वारा ही ख़ुदा तक पहुँच सकती हैं। समस्त मन्नतें और आराधनाएँ भी दाईं मुतूलक़ के द्वारा ही इमाम रसूल और अल्लाह तक पहुँच सकती हैं। इसे सिलूसिलाए–तवस्सुल कहते हैं।

(च) ज़ियारत–

दाऊदी बोहरे भी अपने वलियों की क़ब्रों की ज़ियारत करते हैं अर्थात बम्बई, सूरत और अह़मदाबाद में वलियों और पवित्र पूर्वजों की क़ब्रें है जहाँ बोहरे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और भेंट चढ़ाते और मन्नत आदि मानते हैं। बम्बई में सेठ चन्दा भाई का मकबरा बोहरों के लिए एक सुप्रसिद्ध ज़ियारतगाह है, यहाँ प्रतिवर्ष उर्स भी होता है।

दाऊदी बोहरों में कई सुधार आन्दोलन हो रहे हैं। कुछ बोहरों ने अपने आपको दाई मुतूलक़ के नियन्त्रण से कुछ सीमा तक मुक्त भी करा लिया है। ऐसे बोहरों को दाईं मुतूलक अपनी जमआ़त से निष्कासित कर देते हैं, परन्तु जिन

को निकाल दिया जाता है वह यह कहते हैं कि हम अन्धकार से प्रकाश में आ गये हैं।

बोहरों की धार्मिक पुस्तकें

बोहरों की धार्मिक पुस्तकों में सह़ीफ़ा 'अल्–सलात' अ़रबी और गुजराती में मौजूद हैं। दाईमुस्सलाम और 'अल् ह़क़ायक़' पुस्तके भी पाई जाती हैं। बोहरों में अ़रबी सीखने का शौक़ है परन्तु यह लोग अपने धन्धे में गुजराती भाषा का ही उपयोग ज़्यादातर करते हैं।

मह़देविया सम्प्रदाय–

क़ियामत (प्रलय) से पहले ह़ज़रत मेंहदी इस संसार में प्रकट होंगे, यह विश्वास सभी मुसलमानों का है और कई ह़दीसें इस ओर संकेत भी करती हैं।

उदाहरण के लिए–

"ह़ज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि दुनिया उस समय तक समाप्त न होगी जब तक अल्लाह किसी व्यक्ति को मुजद्दिद (सुधारक) के रूप में न भेजे जिसका नाम मेरे नाम के और उस के पिता का नाम मेरे पिता के अनुसार होगा। वह पृथ्वी को न्याय से भर देगा जैसी वह अन्याय से भरी होगी"।

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि०) से भी एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया, "वह उम्मत हरगिज़ नष्ट न होगी जिसके प्रारम्भ में मैं हूँ और ईसा इब्ने मरियम उसके अन्त में और मेंहदी उसके मध्य में हैं"।

दूसरी ह़दीस से यह बात स्पष्ट होती है कि ह़ज़रत ईसा (अ़लै०) के पुनः आगमन से पहले ह़ज़रत मेंहदी प्रकट होंगे।

शियों का विचार है कि उनके इमाम अदृश्य ही मेंहदी बन कर प्रकट होंगे। अह़मदिया फ़िर्क़े के लोग मिर्ज़ा गुलाम अह़मद क़ादियानी को आने वाला मेंहदी मानते हैं। भारतवर्ष में कुछ व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का उल्लेख करेंगे जिनको भारत में आने वाला मेंहदी माना जाता है और जिसके मानने वाले फ़िर्क़ा महदविया नाम से भारतवर्ष और विशेषकर हैदराबाद में आज भी पाये जाते हैं।

फ़िर्क़ा मह़देविया के लोग सय्यद मुह़म्मद जौनपुरी को आने वाला मेंहदी

मानते हैं।

आपकी मृत्यु 1532 ई० सन् में ख़ुरासान जाते हुए नगर फ़राह में हुई जो ब्लोचिस्तान के उत्तर में है। आप तेईस वर्ष तक मेंहदियत की दअ़वत देते रहे।

हैदराबाद दक्षिण मेंहदविया फ़िर्क़े का केन्द्र है। इस फ़िर्क़े की अपनी मस्जिद भी है और यह लोग अपने विश्वासों के प्रचार के लिए पुस्तकें और पत्रिकाएँ छापते हैं। इस फ़िर्क़े के लोग दूसरे मुस्लिम फ़िर्क़े के लोगों के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते। सूफ़ियों की भाँति इस फ़िर्क़े के लोगों का यह विश्वास है ि अल्लाह का दर्शन इसी संसार में प्राप्त हो सकता है और इस दर्शन की प्राप्ति प्रत्येक मेंहदवी के लिए अनिवार्य है। इसकी प्राप्ति के लिए अल्लाह का नाम का जाप, अल्लाह पर भरोसा, संसार के मोहमाया का त्याग, सत्यवादी पुरुषों की संगति और एकान्त में जीवन व्यतीत करना आवश्यक है।

मुस्लिम धर्मदर्शन के प्रमुख सम्प्रदाय

(1) क़दरिया सम्प्रदाय-

यह कहा जाता है कि क़िस्मत (भाग्य) के सिद्धान्त पर वाद-विवाद ने इस्लाम में बुद्धिवाद की नींव डाली। कद्र शब्द का अर्थ है अल्लाह का शाश्वत आदेश। लोक भाषा में इसे तक़्दीर कहा जाता है। क़ुर्आन में आया है, निश्चय ही हमने हर चीज़ एक नियत अन्दाज़े से पैदा की हैं। कह दें हमें कुछ पेश नहीं आता सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन हुआ है वह क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, यह अनादि से ही निश्चित है। सह़ीह़ मुस्लिम ह़दीसों का एक भण्डार है और इन ह़दीसों को एकत्रित करने वाले का नाम मुस्लिम था। सह़ीह़ मुस्लिम के कद्र अध्याय में मुस्लिम कद्र पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, अल्लाह ने वस्तुओं के निर्माण करने से पचास हजार वर्ष पहले उनके भाग लिख दिये।

प्रथम हिजूरी शताब्दी के अन्त में मोबाद अल् जुहनी (मृत्युकाल 699 ई० ने बसरा में कद्र सिद्धान्त पर वाद-विवाद आरम्भ किया और उपरोक्त मान्यता का खंडन किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि इन्होंने कद्र सिद्धान्त का खंडन और विरोध किया तथापि उन्हें और उनके शिष्यों को क़दरिया कहा गया है। वह जो क़द्र सिद्धान्त का पक्ष ग्रहण करते हैं और एक परम नियतिवाद को मानते हैं जबरिया कहलाते हैं।

जबरिया शब्द का अर्थ है जिसे मजबूर किया जाए।

अल् जुहनी के पश्चात् ह़सन अल्-बसरी (मृत्युकाल 728) क़दरिया सम्प्रदाय के अगुवा हुए और इन्होने यह प्रचार शुरु किया कि नैतिक कार्यों के लिए संकल्प-स्वतंत्र (**Freedom of will**) की आवश्कता है।

ह़सन-अल् बसरी ने एक पत्र में लिखा कि यदि कुर्आन में परमनियतिवाद

क़द्र की धारणा पाई जाती है तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि मनुष्य अपने कार्यों का स्वयं चयन नहीं करता। मनुष्य के लिए जो कुछ लिखा गया है वही वही करेगा। यदि वह कोई अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करे भी तो वह ऐसा न कर सकेगा, क्योंकि क़िस्मत में बुरा काम करना ही लिखा है अर्थात् गर्भाश्य ही से वह या तो अच्छा व्यक्ति है या बुरा।

यदि सब कुछ अल्लाह के हुक्म से ही है तो जो अवैध बालक उत्पन्न होता है उसमें भी अल्लाह की ही इच्छा है।

इस विचारधारा का खंडन करते हुए हसन-अल् बसरी लिखते हैं कि उसके पूर्वगामी अहले सोहबत अर्थात् हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथियों ने कभी ऐसा नहीं कहा है। जिन संदर्भों में क़द्र की उपरोक्त व्याख्या की गई है उनकी उन संदर्भों से तुल्ना नहीं की गई जिनमें मनुष्य की स्वतंत्रता का उल्लेख है।

उदाहरण के लिए क़ुर्आन में यह स्पष्ट लिखा है कि अल्लाह किन-किन बातों से खुश और किन-किन बातों से नाराज़ होता है और वह यह चाहता है कि मनुष्य उन कार्यों को करे जिनसे वह ख़ुश होता है और उनको न करे जिनसे वह नाराज़ होता है।

इसके होते हुए भी मनुष्य में उन कार्यों के करने की योग्यता है जो अल्लाह की दृष्टि में अनुचित हैं।

इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ पर अल्लाह यह दिखाना चाहता है कि भौतिक संसार क़द्र का अनुगामी है परन्तु मनुष्य के नैतिन क्षेत्र में स्वतंत्रता पाई जाती है। मनुष्य को यह सिखाना कि वह अच्छे कार्य करे और यह आज्ञा देना कि बुरे कार्यों से विमुख हो। इन बातों से स्पष्ट होता है कि अल्लाह स्वयं मनुष्य की स्वतंत्रता को प्रकट करता है।

यदि हम यह समझें कि अल्लाह मनुष्य से अच्छे कार्य करने की आशा रखता है, परन्तु चुपके से उसके भाग्य में बुरे कर्म करने की आज्ञा लिख देता है या उसके द्वारा बुरे कार्य करने की आशा करता है तो इसका यह अभिप्राय होगा कि अल्लाह कोई धोखेबाज़ है। ख़ुदा माफ़ करे वह ऐसा नहीं है। अपने एक पत्र के अन्त में हसन अल्-बसरी लिखते हैं नेकी करना अल्लाह का हक़ है पर बुराई करना मनुष्य की अपनी इच्छा एवं करनी है।

हसन-अल्-बसरी के पश्चात् क़दरिया सम्प्रदाय मोतजली सम्प्रदाय में विलीन हो गया। मोतज़ल्ली सम्प्रदाय के सबसे बड़े नेता 'वासिल इब्ने अता' (मृत्युकाल 748) और अ़म्र इब्ने उ़बैद (मृत्युकाल 762) थे। यह दोनों बसरा के रहने वाले थे और हसन-अल् बसरी के मित्र थे।

(2) मोतजला सम्प्रदाय-

मोतजला शब्द अ़रबी शब्द एतिजाल से बना है। जिस का अर्थ है पृथक हो जाना। मोतजला ऐसा व्यक्ति है जो तटस्थ हो, मोतजली मध्यम मार्गी थे। ख़ारजियों का दृष्टिकोण था कि जो पाप करता है वह काफ़िर है। इसके विपरीत मुर्जियों का दावा था कि यद्यपि वह पापी है फिर भी वह मुसलमान है। हसन अल्-बसरी के विचार थे कि वह कपटी है पर वासिल इब्ने अ़ता और उसके साथियों का, जो अल् अक़्ल अर्थात तर्क अथवा बुद्धि के नियम को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कहना यह है कि अल्लाह की इच्छा और उसके न्याय भी इस अल् अ़क़्ल (बुद्धि) के अधीन हैं।

यह मोतजालियों की बुनियादी विचारधारा थी। इस पर टिप्पणी करता हुआ अलूशाह रसूतानी लिखते हैं, अल्लाह बुद्धिमान है और वह केवल वही कार्य करता है जो शुभ और हित्कारी हैं और अपने बन्दों के लिए भी ऐसे ही कार्य करता है तथा उनसे ऐसे ही कार्यों की अपेक्षा करता है। इनके अनुसार यदि हम व्यक्ति को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी मानते हैं तो फिर यह आवश्यक है कि व्यक्ति में संकल्प की स्वतंत्रता मानी जाए।

मोतज़लियों के पाँच महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं-

(1) तौहीद-

अल्लाह के 99 अति सुन्दर नाम हैं। इनमें से सात नामों को विशेष स्थान प्राप्त है। इन सात नामों को मुस्लिम विद्वान अल्लाह के गुण कहते हैं। यह हैं ज्ञाता, शक्तिमान, जीवित, सुनने वाला, इच्छा करने वाला, बोलने वाला और देखने वाला। यह अल्लाह के गुण (सिफ़ात) हैं। मोतज़लियों का कहना है कि यह सिफ़ात का प्रत्यय अल्लाह के एक्य में विभिन्नता को दर्शाता है। इसलिए यह मानते हैं कि इन गुणों का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है।

मोतज़लियों का विचार है कि यदि हम इन गुणों को इस्मे ज़ात मानते हैं तो फिर अनादि एक न होकर अनेकता का भागी होगा और हम शिर्क के पाप के अधिकारी होंगे। इसलिए मोतजलियों ने इस सिद्धान्त को मानने से इन्कार किया कि ईश्वर गुण सम्पन्न हैं।

(2) क़ुर्आन अनादि नहीं है-

मोतजलियों के समक्ष दूसरी बड़ी समस्या यह भी कि क्या क़ुर्आन अल्लाह का शब्द होने के कारण अल्लाह के समान अनादि है। मोतजलियों की दृष्टि में क़ुर्आन को अनादि घोषित करने की शिक्षा मूर्तिपूजा के समान है। उनका मत है कि अल्लाह के बाद ही क़ुर्आन पर विश्वास लाया जाए।

(3) न्यायी ईश्वर-

मोतजली क़द्र (तक़्दीर) सिद्धान्त का भी खंडन करते हैं। वह कहते हैं कि यह कहना कि अल्लाह जिसे चाहता है सीधे मार्ग पर ले जाता है और जिसे चाहता है गलत मार्ग पर ले जाता है। अल्लाह के न्यायी होने पर दोष लगाने के बराबर है। उनका कहना है कि जो शुभ कार्य करता है वह पुरस्कार का हक़्दार है और जो बुरे कार्य करता है वह दण्ड को अर्जित करता है। इसी संदर्भ में मोतजली यह भी कहते हैं कि ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता है और शुभ और अशुभ का ज्ञान भी बुद्धि ही देती है।

जब तक बुद्धि हमें यह न बताए कि क्या शुभ और क्या अशुभ है हम शुभ और अशुभ के भेद को नहीं जान सकते। इस संदर्भ में वह मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता को मानते हैं। शुभ और अशुभ कार्य का उत्तरदायित्व भी मनुष्य पर है।

मोतजली यह भी मानते हैं कि जो कुछ भी सृजित है वह नश्वर है। इस प्रकार उन्होंने परम नियतिवाद को मानने से इन्कार किया और कहने लगे कि ईश्वर पाप का सृजनहार नहीं है, वह तो केवल शुभ का ही सृजनहार है। वह मनुष्य को क़दरियों की भाँति एक स्वतंत्रकर्ता मानते थे और इस प्रकार मोतजलियों ने इस बात की घोषणा की कि वह ईश्वर के ऐक्य और न्याय की धारणाओं के समर्थक हैं।

मोतजलियों के अनुसार यदि कोई मुसलमान किसी घृणित पाप को करे और वह तौबा किये बिना मर जाए तो यद्यपि वह दण्ड का अधिकारी होगा तथापि वह उतना दण्डित नहीं किया जाएगा जितना कि काफ़िर।

उन्होंने इस बात से भी इन्कार किया कि जन्नत में लौकिक चक्षु परमेश्वर का दर्शन कर सकेंगे।

(3) अल्-अश्अरीया सम्प्रदाय-

अबू अल ह़सन इब्ने इस्माईल अल् अशअ़री (873-933) ख़लीफ़ा मामून की मृत्यु के बाद मोतजलियों का प्रभाव क्षीण होने लगा और ख़लीफ़ा-ए-वक़्त और ख़लीफ़ा अल्-मुतवक्किल (848-861) ने इनके सिद्धांतों को कुफ़्र घोषित कर दिया।

राज्य का यह आदेश मुस्लिम बुद्धिवादियों के लिए घातक बना। अल् अशरी यद्यपि प्रारम्भ में मोतजला परम्पराओं का अनुसरण करता था, परन्तु बाद में वह इनसे पृथक हो गया तथा उसने अल्-अशरीया सम्प्रदाय को प्रारम्भ किया।

अल्-अशरी का नियम यह था कि अल्लाह का ह़क़ अल्लाह को और इन्सान का ह़क़ इन्सान को देना चाहिए। अल्-अशअ़री नियतिवाद के सिद्धान्त को कुछ परिवर्तनों के साथ मानने लगा, उसके अनुसार मनुष्यों में ऐसी योग्यता पाई जाती है कि वह उन कार्यों का जो अल्लाह ने आरम्भ किये अनुमोदन करें अथवा अपनी स्वीकृति प्रदान कर उन्हें अपने ही कार्य मान लें।

क़ुर्आन साक्षात है या सृजित। इस सम्बन्ध में अल्-अशरी का यह मत था कि जहाँ तक वह अल्लाह की वाणी है वहाँ तक वह अनादि है और जहाँ पुस्तक के रूप में वह मनुष्यों के अधिकार में है और समय पर इस बात का प्रकटीकरण हुआ है वहाँ तक वह सृजित है।

अल्-अ़शरी ने इन दो तथ्यों को इतने तर्क संगत ढंग से प्रस्तुत किया कि वह अधिकृत मुस्लिम धर्म विज्ञान बन गया।

मोतजलियों और अशअरीयाओं के आपसी भेद यह थे कि मोतजली यह मानते हैं कि अल्लाह के समस्त कार्य किसी न किसी लक्ष्य के पाबन्द हैं, क्योंकि अल्लाह किसी ऐसे कार्य को नहीं करता जो बुद्धि से परे हो।

अल्लाह बुद्धिमान (Rational Being) है। इसके विपरीत अशअरीया यह मानते हैं कि अल्लाह पर किसी प्रकार की पाबन्दी थोपी नहीं जा सकती। वह जो चाहता है करता है। यदि वह किसी कार्य को लक्ष्योन्मुक्त करना चाहे तो भी कर सकता है। अशअरीया अल्लाह को एक परम सम्राट के रूप में मानते हैं जिसकी इच्छाओं पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं है।

यदि हम यह सोचने लगें कि अल्लाह अपने कार्यों में परिस्थितियों से प्रभावित होता है या उस पर किन्हीं सोच विचार का प्रभाव होता है तो इसका अभिप्राय यह है कि हम अल्लाह को सर्वशक्तिमान और परम सम्राट नहीं मानते और उसकी स्वतंत्रता पर बन्धन डालते हैं। यह सत्य है कि वह सर्वश्रेष्ठ है, स्वतन्त्र है, स्वच्छन्द है और प्रत्येक प्रकार की सीमाओं से परे हैं परन्तु वह जो कुछ करता है इस सृष्टि के हित के लिए करता है।

मोतजली यह मानते हैं कि परमेश्वर के लिए यह अनिवार्य है कि वह पापी को दण्ड दे और पुण्यात्मा को पुरस्कार दे, वह कभी भी इसके विपरीत नहीं कर सकता।

इसके प्रतिकूल अशअरीया का कथन है कि दण्ड और पुरस्कार अल्लाह के उपहार हैं। वह जिसे चाहे दण्ड दे और जिसे चाहे पुरस्कार। यद्यपि वह सदा ही अधर्मी को दण्ड देता है और धर्मी को पुरस्कार।

हम ईश्वर को किसी भी कार्य के लिए कभी भी विवश नहीं कर सकते। जैसा कुर्आन में आया है (वह) जिसे चाहेगा क्षमा करेगा, जिसे चाहेगा यातना देगा। अल्लाह को हर चीज का सामर्थ्य प्राप्त है।

मोतजली यह मानते थे कि हमारे लैकिक चक्षु ईश्वर को नहीं देख सकते परन्तु अशअरीया लिखता है, बुद्धि पर सन्देह किया जा सकता न कि ह़दीस पर। अशअरीया तार्किक पद्धि को बिल्कुल त्यागकर कुर्आन और ह़दीस पर बल देता, तर्क और बुद्धि को वह़्य का दास मानता है।

अल् अशअरीया मोतज़लियों के संकल्प स्वतंत्र के सिद्धांत का भी खंडन करता है। वह लिखता है, अल्लाह मनुष्य के कार्य को निश्चित करता है और मनुष्य उन्हें केवल स्वीकार (इक्तिसाब) करता है।

(4) मुस्लिम दार्शनिकों के दो बड़े समुदाय-

मोतजली और अलूअशरीय विचारधाराओं ने अनेक मुस्लिम विचारकों को जन्म दिया। मुस्लिम धर्म-दर्शन के इतिह़ास में इन विचारकों को क्षेत्रीय दृष्टि से वर्गीकृत किया गया है। मुस्लिम धर्म-दार्शनिकों के दो बड़े समुदाय माने जाते हैं।

यह दो बड़े समुदाय हैं (1) पूर्वी समुदाय (2) पश्चिमी समुदाय।

पूर्वी समुदाय के जिन दार्शनिकों का हम उल्लेख करेंगे उनके नाम इस प्रकार हैं (क) अबू याक़ूब इब्ने इस्ह़ाक अलूकिदन्दी (ख) अबू नस्र मुह़म्मद बिन मुह़म्मद बिन तरखान अशफ़ाराबी। (ग) अबू अ़ली अल् ह़ुसैन इब्ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने सीना। (घ) अबू अ़ली इब्ने मिस्क़ा। इनको पूर्वी दार्शानिक समुदाय इसलिए कहते हैं कि यह सब इस्लाम के उस क्षेत्र में पैदा हुए जो आधुनिक मध यपूर्व तक सीमित है।

पश्चिमी समुदाय के दार्शनिकों के नाम हैं (क) इब्ने बाजा। (ख) अबू वलीद मुह़म्मद इब्ने अह़मद मुह़म्मद इब्ने रुश्द (Averroes) (ग) अबू बक्र मुह़म्मद इब्ने अ़ब्दुल मलिक इब्ने तुफ़ैल। जब इस्लाम का प्रचार स्पेन तक हुआ तो जो दार्शनिक इस्लाम प्रशासित पश्चिम जगत में उत्पन्न हुए उन्हें पश्चिमी दार्शनिक समुदाय कहा गया।

भाग-5
सूफ़ीवाद या तसव्वुफ़

सूफ़ीवाद या तसव्वुफ़

इस्लाम मनुष्य को त्याग की नहीं वरन् जगत में रहते हुए धर्मानुसार जीवन बिताने की शिक्षा देता है, तथापि इस्लाम में ऐसे लोग पाये जाते हैं जिन्होंने जगत से मुँह मोड़कर त्याग के मार्ग को अपनाया। ऐसे लोगों ने इस दुनिया को एक सराय से अधिक महत्व नहीं दिया और इस जगत के ऐ़श व आराम को एक प्रलोभन और भ्रम माना, यह लोग सूफ़ी कहलाते हैं।

तसव्वुफ़ को तरीक़त भी कहा जाता है जिसका अर्थ है मार्ग या पथ। जो व्यक्ति तसव्वुफ़ का अभ्यास करता है उसे फ़क़ीर कहते हैं अर्थात् अल्लाह धनी है और अल्लाह का यह फ़क़ीर निर्धन पथगामी है। इनको अहले तरीक़ात, अहले-दिल, दरवेश, मुरीद इत्यादि भी कहते हैं और इनके गुरुओं को शेख़, मुर्शिद, पीर, मुराद आदि नाम से पुकारा जाता है। सूफ़ी यात्रा के लक्ष्य को मेअ़राज कहते हैं।

शिबली नामक विद्वान (काल 1904 ईस्वीं) इसी विचार की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि सूफ़ी वह है जिसने संसार से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया है और परमेश्वर से जोड़ लिया है।

सूफ़ी का जब तक वह जीवित है मुख्य कार्य है परमेश्वर के एक्य पर ध्यान केन्द्रित करना। सूफ़ी के जीवन का लक्ष्य यह है कि परमेश्वर के सुन्दर नामों का स्मरण (ज़िक्र) करना और इस प्रकार जीवन पथ (तरीक़ा) पर चलकर परमेश्वर से एकात्म हो जाना।

सूफ़ियों के घराने या परम्पराएँ-

सूफ़ियों के घरानों की एक लम्बी सूची बनाई जा सकती है। अबू अल् फ़ज़्ल ने चौदह घरानों (खानदानों) का उल्लेख किया है, परन्तु यहाँ केवल पाँच प्रमुख घरानों का ही उल्लेख किया जाता है जिन्होंने भारत में प्रसिद्धि पाई। वह पाँच घराने इस प्रकार हैं-

(1) चिश्ती (2) सुहरवर्दी (3) क़ादिरी (4) सत्तारी (5) नक़्शबन्दी। इन

घरानों में केवल यह अन्तर है कि प्रत्येक घराना अपने ही गुरु के प्रति निष्ठावान होता है और जो अभ्यास उनके पीर या मुर्शिद ने बताये हैं उन्ही का पालन करता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि एक घराने का कोई सदस्य विभिन्न घरानों का अनुयायी हो सकता है।

प्रत्येक घराने का मुख्य पीर होता है। पीरी वंशानुक्रमगत होती है अथवा पीर द्वारा किसी शिष्य को भी पीर मनोनीत किया जाता है। पीर को ख़लीफ़ा या सज्जादाह नशीन भी कहते हैं।

पीर ही अपने अनुयायियों में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति का स्रोत एवं प्रदर्शक माना जाता है। पीर ही नये सदस्यों को शामिल करके दीक्षा देता है। जिस स्थान में पीर रहता है उसे ख़ानकाह कहते हैं। यह ख़ानकाह उस पीर की क़ब्र के निकट जिसने इस घराने को स्थापित किया बनी होती है। घराने में दो प्रकार के सदस्य होते, एक आ़म सदस्य जो गाँव या शहरों में रहते हैं और सप्ताह के किसी दिन दर्शन आदि के लिए आते हैं।

दूसरे विशेष सदस्य, विशेष सदस्य दो वर्ग के होते हैं। एक वर्ग को मुसाफिर कहते हैं जो देश के विभिन्न भागों में जाकर ख़ानकाह के लिए चंदा आदि एकत्र करते हैं।

दूसरा वर्ग ख़ानकाह में रहता हैं। ख़ानकाह में रहने वालों के तीन उपवर्ग होते है- प्रथम अहले ख़िद्‌मत (सेवक) द्वितीय अहले सोह्‌बत (संगति में रहने वाले) तृतीय अहले ख़िल्‌वत (वैराग्य लेने वाले)।

(क) चिश्ती घराना या परम्परा-

भारतवर्ष में यह सम्भवतः सबसे प्राचीन है। यह अपने आप को ख़्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती (मृत्युकाल 966 ईस्वीं) से सम्बद्ध करती है। ख़्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो सीस्तान (अफ़्ग़ानिस्तान) में सन् 1142 में पैदा हुए चिश्ती परम्परा को भारत में लाए।

शहाबुद्दीन गौरी की फौजों के साथ सन् 1195 में अज्‌मेर चले गये, जहाँ सन् 1236 में आप का देहान्त हो गया। अजमेर में आपकी क़ब्र ख़्वाजा साह़ब की दरगाह के नाम से सुप्रसिद्ध है। वहाँ पर हर वर्ष उर्स लगता है और ख़्वाजा

मुइनुद्दीन चिश्ती के घराने में भारत में बड़े-बड़े संत उत्पन्न हुए हैं, जैसे-

ख़्वाजा कुतुबुद्दीन बख़्तियार काकी जिनके नाम पर कुतुबमीनार दिल्ली में बना हुआ है, यहाँ पर उनकी दरगाह भी है।

शेख़ फ़रीदुद्दीन जो बाबा फ़रीद के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं और जिनकी दरगाह पाकपटन में है, चिश्ती घराने के संत हैं।

निज़ामुद्दीन औलिया और ह़ज़रत अलाउद्दीन अ़ली अह़मद साबिर बाबा फ़रीद के प्रतिभाशाली शिष्यों में से थे।

अलाउद्दीन अ़ली अह़मद साबिर की मृत्यु सन् 1291 में हुई। आप की दरगाह पीरा कल्यर में है जो रुड़की (उ० प्र०) के निकट स्थित है और आपके अनुयायी साबिरी कहलाते हैं।

बाबा फ़रीद के प्रमुख शिष्य ह़ज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप के अनुयायी निज़ामी कहलाते हैं। आपकी दरगाह दिल्ली में है जहाँ पर हर वर्ष हज़ारों मुसलमान और हिन्दू उ़र्स मनाने के लिए एकत्र होते हैं। आप उत्तर प्रदेश के नगर बदायूँ में सन् 1238 में पैदा हुए। आपका मृत्युकाल 1325 ईस्वीं है।

अमीर ख़ुसरो और अमीर ह़सन देहल्‌वी आपके प्रमुख शिष्यों में से थे। नसीरुद्दीन मुह़म्मद जो चिरागे देहली के नाम से प्रसिद्ध है, ह़ज़रत निज़ामुद्दीन के ख़लीफ़ा नियुक्त हुए। नसीरुद्दीन का मृत्युकाल सन् 1356 है।

नसीरुद्दीन मुह़म्मद के बाद चिश्ती परम्परा में शेख़ सलीम चिश्ती एक प्रसिद्ध संत हुए और मुगल बादशाहों पर आपका बहुत प्रभाव था। सम्राट जहाँगीर आपके घर में पैदा हुए थे, आपकी दरगाह फ़तेह़पुर सीकरी में है। आपके शिष्य निज़ामी कहलाते हैं।

(ख) सुहरवर्दी परम्परा-

चिश्ती परम्परा के भारतवर्ष में उदय के साथ-साथ जो दूसरी दरवेश बिरादरी का उदय हुआ वह सुहरवर्दी घराना है। बहाऊद्दीन ज़करिया जो मुल्तान के निवासी थे, बग़दाद में शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी से मिले और भारत वापस आकर सुहरवर्दी घराने की परम्परा को स्थापित किया। शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी अ़ब्दुल्

क़ादिर जीलानी क़ादिरी परम्परा के संस्थापक के समकालीन थे। सन 1766 में बहाऊदीन ज़करिया की मृत्यु मुल्तान में हुई जहाँ आपकी दरगाह है। आपके कार्यों को आपके शिष्य सय्यद जलालुद्दीन सुर्खपोश (1199-1291) ने बढ़ाया।

सुर्खपोश बुख़ारा में पैदा हुए थे, परन्तु सिंध के उच्च नगर में रहने लगे। इस परम्परा का गुजरात और सिंध में बहुत प्रभाव हैं। इस परम्परा के अन्य संत इस प्रकार हैं, जलाल बिन अह़मद कबीर, जिनका मृत्युकाल सन 1384 है। आप अपने अद्भुत कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध हैं, तत्पश्चात् आपके पोतों में से अबू मुह़म्मद अ़ब्दुल्लाह आपके ख़लीफ़ा हुए। आपका मृत्युकाल सन् 1453 है, तत्पश्चात् आपके पुत्र सय्यद मुह़म्मद शाह आ़लम (मृत्युकाल सन 1475) एक महान संत हुए। आपकी दरगाह अह़मदाबाद के पास रसूलाबाद में है।

(ग) सत्तारी परम्परा–

शब्द सत्तार का अर्थ गति है अर्थात सत्तारी परम्परा के दरवेश इस बात का दावा करते है कि वह अनुयायी को बहुत गति से फ़ना और बक़ा के द्वार तक पहुँचा देते हैं। प्रथम दरवेश का नाम शेख़ अ़ब्दुल्लाह सत्तारी है, जिसने इस परम्परा की नींव रखी थी।

भारतवर्ष में यह तीसरी प्रमुख दरवेश परम्परा है। सम्राट हुमाँयू ने इस परम्परा के नेता मुह़म्मद ग़ौस से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। आपका मृत्युकाल सन् 1562 है, आपकी दरगाह ग्वालियर में हैं। आपके प्रमुख शिष्य वजीहउद्दीन गुजूराती थे, वजीहउद्दीन का मृत्युकाल सन् 1589 है। सत्तारी परम्परा फ़ारस (ईरान) से भारत में आई थी और अ़ब्दुल्लाह सत्तारी इस परम्परा को भारत में लाए। अ़ब्दुल्लाह सत्तारी 1406 में मालूवा भूमि में अल्लाह को प्यारे हो गये।

(घ) क़ादरी परम्परा–

क़ादरी परम्परा के संस्थापक अ़ब्दुल् क़ादिर अल् गीलानी अथवा जीलानी थे, आपकी दरगाह बग़दाद में है। अ़ब्दुल् क़ादिर (रह़०) को भारत में पीर दस्तगीर अथवा पीरेपीरान कहते हैं। आपकी ज़ियारतगाहें (Shrines) अनेक

स्थानो में बनी हैं। आपकी मृत्यु सन् 1166 में हुई।

आपकी मृत्यु के तीन सौ वर्ष बाद क़ादरी परम्परा सन् 1482 में सय्यद बन्दगी मुह़म्मद ग़ौस द्वारा सिंध प्रान्त में आई। आपने भी उच्च (सिन्ध) में जो सुहरावर्दी परम्परा का गढ़ था, अपना निवास स्थान बनाया। ग़ौस की मृत्यु सन् 1516 में उच्च में ही हुई। आपके अनेक शिष्य शेख़ मीर मुह़म्मद थे जिनको मियाँ मीर भी कहा जाता था। मियाँ मीर दाराशिकोह के गुरु थे, दाराशिकोह ने स्वयं आपकी जीवनी लिखी। यह सकीनतुल् औलिया कहलाती है। मियाँ मीर सन् 1635 में लाहौर मे इन्तिक़ाल कर गये, वहाँ पर आपकी दरगाह है।

(च) नक़्शबन्दी परम्परा–

इस घराने या परम्परा के संस्थापक तुर्किस्तान के ख़्वाजा बहाउद्दीन नक़्शबंद थे। भारत में आपके शिष्य नक़्शबन्दी कहलाते हैं, वाज़ा नक़्शबन्द बुघारा में दफ़्न हैं, आपका मृत्युकाल सन् 1389 है।

ख़्वाजा मुह़म्मद बाक़ी बिलाह बैरंग के द्वारा इस परंपरा ने भारत में प्रवेश किया। ख़्वाजा मुह़म्मद की मृत्यु सन् 1603 में दिल्ली में हुई, दिल्ली में आपकी दरगाह है।

कुछ विद्वानों के अनुसार नक़्शबन्दी परम्परा शेख़ अह़मद अल् फ़ारूक़ी द्वारा भारत में आई। फ़ारूक़ी सरहिन्दी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप मुह़म्मद बाक़ी के बाद ख़लीफ़ा बने। आपको इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलिफ़ अस्सानी शेख़ अह़मद फ़ारूक़ी सरहिन्दी की उपाधि मिली थी अर्थात् ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के बाद आप ही एक बड़े सुधारक माने जाते हैं। आपकी दरगाह पटियाला के सरहिन्द नामक स्थान में है।

(3) बेशरा परम्पराएँ–

रहस्यवाद की परम्पराओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। (क) बाशरा परम्पराएँ (ख) बेशरा परम्पराएँ। बाशरा परम्पराएँ उन परम्पराओं को कहते हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यह परम्पराएँ नियमानुसार हैं और इनके अनुयायी परम्परागत इस्लामी रीति रिवाजों जैसे

रोज़ा नमाज़ आदि को मानते हैं।

बेशरा परम्पराएँ स्वतन्त्र हैं अर्थात् किसी धर्म विशेष को नहीं मानतीं। बेशरा परम्पराओं को मुस्लिम धार्मिक परम्पराओं के अन्तर्गत सम्मिलित करना उचित नहीं है क्योंकि यह किसी रोज़ा, नमाज़ आदि को नहीं मानतीं।

बेशरा परम्पराओं में मुख्य कलन्दरी परम्परा है। यह कलन्दर प्रायः अपने साथ भालू अथवा बन्दर को लिए घूमते हैं। सेल (Sell) लिखता है, अली अबू-यूसुफ़ कलन्दर ने इस परम्परा को भारतवर्ष में चलाया। भूअ़ली कलन्दर स्पेन का रहने वाला था। पानीपत में 1323 में आप की मृत्यु हुई, वहाँ आपकी दरगाह है।

बेशरा परम्पराओं की कोई संस्था आदि नहीं होती, वह किसी विशेष संत की ज़ियारतगाह को मानते हैं। यदि किसी नियम का वह पालन करते हैं तो यह है कि किसी ज़ियारतगाह के बाबा के पास जाकर फ़क़ीरी का दीक्षा संस्कार ले लेते हैं। तत्पश्चात् वह उस संत के नाम पर भिक्षा माँग सकते हैं।

इस प्रकार इस में कुछ परम्पराओं का ज्ञानरूप प्रस्तुत किया गया है वरना इस्लाम में सीधी सादी बातें बताई गई हैं, जिस पर आ़म इन्सान अ़मल कर सकता है और आज के साइंसी युग में तो इन सब बातों का कोई तात्पर्य ही नहीं और यह सम्प्रदाय मौजूद भी नहीं। इसलिए इन सब चक्करों में न पड़कर इस्लाम के सिद्धान्तों पर और ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के तरीके़ पर अ़मल करना चाहिए। अल्लाह तआ़ला सही़ रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए। वस्सलाम

दुआ़ओं का इच्छुक
मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी
मस्जिद अखाड़े वाली
03-10-2021

❁❁❁

(मुफ़स्सिरे क़ुर्आन) मुफ़्ती मुह़म्मद सरवर फ़ारूक़ी नदवी साह़ब द्वारा लिखित हिन्दी पुस्तकें

01. क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद)
02. क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद)
03. क़ुर्आन का पैग़ाम (क़ुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद)
04. क़ुर्आन का पैग़ाम (पारा अम्म अनुवाद और व्याख्या)
05. तफ़्सीर फ़ारूक़ी (भाग-1 से भाग-7 तक)
06. इस्लाम धर्म क्या है? (क़ुबूले ह़क़ के बाद इस्लामी कोर्स)
07. जिहाद, आतंकवाद और इस्लाम
08. हिन्दी पत्रकारिता और मीडिया लेखन
09. अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (Hard bound)
10. अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (Paper back)
11. जन्नत के ह़ालात और जन्नती
12. कुफ़्र और शिर्क की ह़क़ीक़त
13. रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का हुलिया मुबारक और आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की सुन्नतें
14. ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) की प्रमाणित जीवनी
15. अल्लाह के अधिकार और बन्दों के अधिकार
16. रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की बातें (अअ़माले ह़स्ना की रौशनी में)
17. सह़ाबा का इस्लाम और उसके बाद
18. इस्लामी राज्य की शासन व्यवस्था
19. अज़ान क्या है?
20. आओ नमाज़ की ओर
21. रोज़ः का हुक्म और उसके मसायल
22. ह़ज और उ़मरा का आसान तरीक़ा
23. ज़कात का हुक्म और उसके मसायल
24. उ़मरह का आसान तरीक़ा
25. आपके सवालों का आसान ह़ल (भाग एक)
26. झाड़, फूँक, जादू, टोना और तअ़वीज़, गंडे
27. इस्लाम की बुनियादी मालूमात
28. रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की सीरत
29. रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की पाकीज़ह ज़िन्दगी
30. बीवी-शौहर की ज़िम्मेदारियाँ *(शरीअ़त की रोशनी में)*
31. आधुनिक हिन्दी व्याकरण और मीडिया लेखन
32. सूर-ए-फ़ातिह़ा की तफ़्सीर
33. तौह़ीद की ह़क़ीक़त (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)
34. पवित्र क़ुर्आन का सन्देश इन्सानी दुनिया के नाम
35. इस्लाम धर्म तल्वार से फैला या सदाचार से
36. ग़ैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार (ऐतिहासिक दृष्टि से)
37. ग़ैर मुस्लिमों से सम्बन्ध और धार्मिक आज़ादी
38. इस्लामी विरासत की तक़्सीम एक नज़र में
39. मीरास की तक़्सीम (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
40. लाइलाहा इल्लल्लाहु की गवाही
41. मोबाईल से सम्बन्धित मसायल (शरीअ़त की रोशनी में)
42. अल्लाह के प्यारे नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) एक नज़र में
43. सृष्टि का सृष्टा कौन?
44. ईशदूतों का धर्म और परलोक विश्वास
45. प्राकृतिक नियम और परमेश्वर से इस्लाम का सम्बन्ध
46. मुह़र्रम की ह़क़ीक़त
47. इस्लाम?
48. मोबाईल व इण्टरनेट से सम्बन्धित मसायल
49. मानव कल्याण सम्बन्धी उपदेश
50. रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की 400 नसीहतें

उर्दू पुस्तकें

01. मआ़नी (लफ़्ज़ी तर्तीब के एतिबार से रवाँ उर्दू तर्जुमः)
02. आख़िरी रसूल कहाँ, कब और कौन?
03. ग़ैर मुस्लिमों से तअ़ल्लुक़ात और मज़हबी आज़ादी
04. इस्लाम में जिज़्या, ख़िराज और ज़िम्मियों के अख़्तियारात
05. क़ुर्आन के मिसाली नमूने और लाज़वाल मोअ़जिज़ा
06. क़ुर्आन में इन्सान का मक़ाम और उस का अअ़ला मक़्सद
07. आ़माल को बातिल करने वाली चीज़ें और नियत की अहमियत
08. इस्लामी क़ानूने विरासत और मीरास की तक़्सीम

09. उम्मते मुहम्मदिया की इज़्ज़त का मेअ़यार और बनी इस्राईल
10. कायनात के अ़जायबात और इन्सान का अल्लाह से तअ़ल्लुक़
11. ग़ैर मुस्लिमों से दोस्ती या दुश्मनी (एतिराज़ के तनाज़ुर में)
12. इस्लाम के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात और उस की दअ़वत का असर
13. इस्लाम में ग़ैर मुस्लिमों के हुक़ूक़
14. हिन्दू धर्म, फ़िर्क़े तन्ज़ीमें और इदारों का तआ़रुफ़
15. ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्ल०) का ज़िक्र और मूर्तिपूजा की मुमानियत वेदों की दुनिया में
16. बौद्ध धर्म और इस्लाम
17. कलिमा-ए-तय्यबः की ह़क़ीक़त और उस के तक़ाज़े
18. ग़ैर मुस्लिमों में तरीक-ए-दअ़वत उस्लूबे अंबिया की रोशनी में
19. अल्लाह तअ़ाला का तआ़र्रुफ़ और कलिम-ए-शहादत के फ़ज़ायल
20. क़ियामत तक के फ़ित्ने (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पेशीनगोई की रोशनी में)
21. तलाक़ का इस्लामी तरीक़ा (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)
22. अल्लाह की तरफ़ से रिज़्क़ की तक़्सीम और कमज़ोर तब्क़े की किफ़ालत
23. क़ुर्आन के मुताबिक़ दौलत का इस्तेमाल
24. ज़कात और मसारिफ़े ज़कात (क़ुर्आन व सुन्नत की रोशनी में)
25. रसलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (मुस्तनद कुतुबे सीरत की रोश्नी में)
26. रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की सीरत के अनमोल मोती
27. रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का हुलिया मुबारक और आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की सुन्नतें
28. जन्नत के ह़ालात और जन्नत की नेअ़मतों का ज़िक्र
29. कुफ़्र व शिर्क की ह़क़ीक़त (क़ुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में)
30. कुफ़्र शिर्क और फ़िस्क़ का ज़िक्र और सह़ाबा से मुतअ़ल्लिक़ अ़क़ीदा
31. क़ुर्आन के मुताबिक़ दअ़वत और इस्लामी जिहाद
32. ज़बरदस्ती इस्लाम क़ुबूल करवाने की मुमानिअ़त
33. दाढ़ी की अहमियत (शरीअ़त की रोशनी में)
34. मदारिसे इस्लामिया के निसाब का तारीख़ी जायज़ा
35. रोज़ः, तरावीह़, सद्क़ः और एतिकाफ़ के एह़काम व मसायल
36. ह़ज और उ़मरा का मुकम्मल तरीक़ा
37. मुसाफ़िर और सफ़र के मसायल
38. काग़ज़ी नोट और बैअ़ की ह़क़ीक़त
39. इस्लामी क्विज़ (सवाल व जवाब की रोशनी में)
40. तफ़्सीर का बुनियादी मअ़ख़ज़
41. हिन्दुस्तान में क़ुर्आन के तर्जुमे की शुरुआ़त और चन्द तफ़ासीर का तआ़र्रुफ़
42. इस्लाम में तिजारत का तरीक़ा
43. इस्लामी मआ़शियात का तक़ाबुली जायज़ा
44. इस्लाम का ज़रई निज़ाम
45. दौलत की पैदाईश और अतियाते क़ुदरत
46. मुसलमानों के फ़िर्क़े और उनके अ़क़ायद
47. इस्लाम में औ़रत का मक़ाम
48. तअ़द्दुदे इज़्दिवाज और इस्लाम (मज़ाहिब आ़लिम की रौशनी में)
49. ह़राम, ह़लाल और मुबाह चीज़ें
50. ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की सिफ़ात (अह़ादीस की रौशनी में)
51. जहन्नम के ह़ालात और जहन्नमी (क़ुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में)
52. मुस्तनद मस्नून दुआ़एँ
53. आ़माल सालिह़ा (भाग-1)
54. आ़माल सालिह़ा (भाग-2)
55. अल्लाह तअ़ाला का तआ़र्रुफ़ और कलिम-ए-शहादत के फ़ज़ायल
56. रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के करीमाना अख़्लाक़ और आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की सीरत
57. जिन्नात और शैतान का ज़िक्र (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
58. नबियों की सीरत (क़ुर्आन व ह़दीस की रौशनी में)
59. मुह़र्रम की ह़क़ीक़त और आ़शूरा के वाक़िआ़त
60. नबियों व सह़ाबा का ज़रिया-ए-मआ़श

इस्लाम और मुस्लिम समाज का परिचय

61. रसूल करीम (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के बेटे और बेटियाँ
62. सह़ाबियात के अहम वाक़िआ़त
63. रसूल करीम (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की अ़ज़्वाज मुतह्हरात
64. ह़ज़रत मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) और जज़ीरे अ़रब
65. क़ुर्आन की नसीह़तें और उस का असर
66. जैन धर्म का मुख़्तसर तआ़र्रुफ़
67. हिन्दू धर्म के फ़िर्क़ों के अ़क़ायद और उन की तर्दीद
68. जीव हत्या और क़ुर्बानी
69. मदऊ के एतिबार से दअ़वत का तरीक़ा
70. हिन्दू मज़हबी किताबों का मुख़्तसर तआ़र्रुफ़
71. रसूल करीम (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) का मक्की व मदनी दौर
72. क़ुबूल-ए-इस्लाम के बाद तअ़लीमी व तर्बियती निज़ाम
73. हिन्दू धर्म ग्रन्थों में तौह़ीद, रिसालत और आख़िरत जैसा तसव्वुर
74. इस्लाम क़ुबूल करने के अस्बाब और मुख़ालिफ़त के तरीक़े
75. रसूल करीम (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की दअ़वत के मुख़्तलिफ़ तरीक़े
76. उम्मते मुस्लिमा पर दअ़वत की ज़िम्मेदारी
77. मुस्लिम पर्सनल लॉ और यक्साँ सिविल कोड
78. ह़ज़रत आदम (अ़लै०) से मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम)
79. पुराण का तआ़रुफ़
80. जनाब गुरुनानक जी और सिख धर्म का तआ़र्रुफ़
81. हिन्दू मज़हब के अहम त्योहार और शादी का तरीक़ा
82. पुर्नजन्म और आवागवन का तसव्वुर
83. मय्यित से मुतअ़ल्लिक़ मसायल
84. औलाद की तअ़लीम व तर्बियत
85. यौमे आज़ादी और यौम-ए-जम्हूरिया तक की दअ़वती ह़िक्मतें
86. पुराण का तआ़रुफ़
87. जनाब गुरुनानक जी और सिख धर्म का तआ़र्रुफ़
88. हिन्दू मज़हब के अहम त्योहार और शादी का तरीक़ा
89. पुर्नजन्म और आवागवन का तसव्वुर
90. मय्यित से मुतअ़ल्लिक़ मसायल
91. औलाद की तअ़लीम व तर्बियत
92. यौमे आज़ादी और यौम-ए-जम्हूरिया

अ़रबी पुस्तकें

1. ग़ैर अ़रबी रस्मुलख़त में क़ुर्आन की इशाअ़त
2. मन्ज़तुल मराह फ़ी ज़ौइल इस्लाम वल्अद्यान वल्ह़ज़ारात अलुमुख़्तलह
3. अलु इन्सान फ़ी ज़ौइल क़ुर्आन वस्सुन्नह
4. नुब्जतु अ़न सिफ़ाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम
5. ग़ज़्व-ए-हुनैन व तायफ़ फ़ी ज़ौविलु क़ुर्आन वलु सुन्नह
6. अस्बाब तह़बतुलु अअ़माल वलु हमियतुलुनिया फ़ी ज़ौइल क़ुर्आन वलु सुन्नह
7. अलु फ़ितन अलु वाक़िअः इला क़ियामः अलु साअ़ह फ़ी ज़ौइल अह़ादीस अलु शरीफ़
8. अलु नबी अलु ख़ातिम मन, मता, वआईन फ़ी ज़ौइल कुतुबुलु हिन्दूसीया वद्दिनातुल मुख़्तलिफ़ा
9. अल्हिन्दूसिया फिरक़ुहा, अक़ाइदोहा, मुनज़्ज़िमातुहा व अहदाफ़ुहा
10. अहमयतुलु दअ़वह वलु तब्लीग़ फ़ी ज़ौइल क़ुर्आन वलु सुन्नह
11. ज़िक्र मुह़म्मदिन (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) फ़िलु वेद
12. अत्तअ़रीफ़ुलवजीज़ बिदियानी बूज़ा
13. तअ़द्दुदे अज़्ज़ौवजात वलु इस्लाम फ़ी जौए दियानात

अंग्रेज़ी पुस्तकें

1. मुह़म्मद दी लास्ट प्रोफ़ेट अन्डर दी शेड ऑफ़ वेद, उपनिषद ऐण्ड पुराण
02. मुह़म्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) एण्ड स्टेटस आफ़ वरशिप
03. बेसिक टीचिंग आफ़ इस्लाम
04. दी स्वॉड आफ़ इस्लाम
05. अज़ान, ए कालिंग फ़ार ह्यूमेनिटी
06. इस्लाम?

अनुवाद की हुई पुस्तकें

01. मुन्तख़ब अहादीस (लेखक- हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ कान्धलवी रह०)
02. क़ादियानियत नुबूवते मुहम्मदी के ख़िलाफ बग़ावत (लेखक-इमामे हरम अब्दुल्लाह बिन अस्सुबय्यिल रह०)
03. दारे अरक़म का एहसान इन्सानी दुनिया पर (लेखक- हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अ़ली हसनी नदवी रह०)
04. मानवता आज भी उसी चौखट की मुहताज़ है (लेखक- मौलाना मुहम्मद हसनी रह०)
05. रमज़ान का तोहफ़ा
06. यक्साँ सिविल कोड और महिलाओं के अधिकार (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ़ हसनी नदवी)
07. मालिक व मख़्लूक़ श्रेष्ठ कौन? (विचारक- मुहम्मद मुस्तफ़ा क़ादरी) (तस्हीह़ व तर्तीब- मु० मुहम्मद सरवर फ़ारूक़ी)
08. यतीमों की किफ़ालत (लेखक-मुहम्मद आमिर सिद्दीक़ी नदवी)

शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्तकें

09. दो सौ मआशरती मसायल
10. तफ़्सीर फ़ारुक़ी (जिल्द अव्वल)
11. तफ़्सीर फ़ारुक़ी (जिल्द दोम)
12. तफ़्सीर फ़ारुक़ी (जिल्द सोम)
13. तारीख़-ए-इस्लाम
14. क़ससुलुल् अम्बिया
15. मजमुआ़ अहादीस (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
16. दुआ़ के आदाब (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
17. इस्लाम के अ़दालती फ़ैसले (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
18. सीरत-ए-सहाबा
19. क़ुर्बानी से मुतअ़ल्लिक़ मसॉयल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
20. तहारत से मुतअ़ल्लिक़ मसॉयल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
21. इल्म से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
22. ईमानियात, अ़क़ायद और नज़र से मुतअ़ल्लिक़ मसायल
23. ईदैन व जुमअ़ः से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
24. मदारिस से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
25. हिबा व जहेज़ से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
26. सूद से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
27. सफ़र और सद्क़ः फ़ित्र से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
28. निकाह़ से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
29. तलाक़ व इद्दत और नफ़्क़ा से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
30. नमाज़ व जमाअ़त से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
31. ज़कात से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
32. ह़ज से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
33. इमामत से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
34. क़िराअत से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
35. तिजारत की मुख़्तलिफ़ क़िस्मों से मुतअ़ल्लिक़ मसायल
36. वसीयत व मीरास से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
37. अज़ान व इक़ामत से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
38. तर्बियत, रज़ाअत व अ़क़ीक़ा से मुतअ़ल्लिक़ मसायल
39. अ़लामात क़ियामत (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
40. सज्दः से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
41. वक़्फ़ से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
42. मस्जिद से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
43. इल्म व उ़ल्मा से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
44. तक़्लीद व इज्तिहादी की शरई ह़ैसियत (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
45. सज्दः सहू से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
46. बिद्अ़त की नहूसत से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)

47. किरायेदारी से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
48. कारोबार में शिर्कत से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
49. मीरास से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
50. सुन्नत व नवाफ़िल से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
51. इस्लाह़-ए-मुआ़शरह से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
52. औ़रतों के मख़्सूस मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
53. इन्सानी अअ़ज़ा से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
54. मय्यत से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
55. रमज़ान, रोज़ः और तरावीह़ से मुतअ़ल्लिक़ मसायल
56. एतिकाफ़ से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
57. ज़मीन से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
58. रुयतुल हिलाल से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
59. इ़ल्म से मुतअ़ल्लिक़ मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
60. तहारत से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
61. हिफ़ाज़ते क़ुर्आन से मुतअ़ल्लिक़ मसायल
62. नमाज़ व जमाअ़त से मुतअ़ल्लिक़ मसायल
63. ई़दैन व जुमअ़ से मुतअ़ल्लिक़ मसायल
64. तरावीह़ व एतिकाफ़ से मुतअ़ल्लिक़ मसायल
65. सफ़र और सद्क़-ए-फ़ित्र से मुतअ़ल्लिक़ मसायल
66. क़ुर्बानी से मुतअल्लिक़ मसायल
67. तलाक़ व इद्दत और नफ़्क़ा से मुतअ़ल्लिक़ मसायल
68. निकाह से मुतअ़ल्लिक़ मसायल
69. हिबा व जहेज़ से मुतअ़ल्लिक मसायल
70. वक़्फ़ से मुतअ़ल्लिक मसायल
71. मस्जिद से मुतअ़ल्लिक मसायल
72. तिजारत की मुख़्तलिफ़ क़िस्मों से मुतअ़ल्लिक मसायल
73. वसीयत व मीरास से मुतअ़ल्लिक मसायल
74. अज़ान व इक़ामत से मुतअ़ल्लिक मसायल
75. तर्बियत, रज़ाअ़त व अ़क़ीक़ा से मुतअ़ल्लिक मसायल
76. ज़कात से मुतअ़ल्लिक मसायल
77. ह़ज से मुतअ़ल्लिक़ मसायल
78. इमामत से मुतअ़ल्लिक मसायल
79. क़िरत से मुतअ़ल्लिक मसायल
80. सज्द-ए-तिलावत से मुतअ़ल्लिक मसायल
81. इस्लामी पर्दा (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)
82. मीरास से मुतअ़ल्लिक मसायल (क़ुर्आन व सुन्नत की रौशनी में)